रजिस्ट्री सं० डी—(डी)—73 REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 24, 1981 (कार्तिक 2, 1903)
No 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 24, 1981 (KARTIKA 2, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
[PART III—SECTION 1]
उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 23 सितम्बर 1981

सं. पी./1782-प्रशा. ।।—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-12-1980 के अनुक्रम में अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा महालेखाकार का कार्यालय, हरियाणा, चंडीगढ़ के लेखा अधिकारी श्री एल. आर. सरीन को 1-6-81 से 30-11-1981 तक की अग्रेतर अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में वित्त एवं बजट अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं। श्री सरीन इस अधिसूचना द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान कोई प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

2. यह अधिसूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुमोदन से जारी की गई है; **क्योंकि** उनका पत्र सं. 39017/2/81-स्था. (ख) दिनांक 10-6-81 तथा इसे जारी करने के लिए महालेखाकार हरियाणा ने भी अनुमति दी है; **क्योंकि** उनका पत्र सं. प्रशा. 1/जी. ओ./सी. एफ./एल. आर. एस./2839 दिनांक 4-9-1981।

3. इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-6-1981 का अधिक्रमण किया गया है।

पी. एस. राणा
अनुभाग अधिकारी
कृते अध्यक्ष
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

मसूरी, दिनांक 1 अक्तूबर 1981

सं. 2/6/81-ई. एस. टी.—श्री आर. एस. बाहती, स्थाई अधीक्षक को पूर्णतः अस्थाई तथा तदर्थ रूप से दिनांक 1-10-81 (पूर्वाह्न) से छः माह के लिये या इस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहिले हो, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में सहायक प्रशासन अधिकारी के पद पर, वेतनमान रु. 650-30-740-35-880-ई. बी.-40-960 में नियुक्त किया जाता है।

एस. एस. रिजवी.
उप निदेशक (वरिष्ठ)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 1981

सं. ए.-19021/7/81-प्रशासन-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री गुरबचन जगत, भारतीय पुलिस सेवा (पंजाब-1966) को दिनांक 21-9-1981 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस अधीक्षक नियुक्त करते हैं।

दिनांक 30 सितम्बर 1981

सं. 19021/6/81-प्रशासन-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री पी. के बी. चक्रवर्ती, भारतीय पुलिस सेवा (महाराष्ट्र 1971) को दिनांक 19 सितम्बर, 1981 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

को. ला. ग्रोवर
प्रशासनिक अधिकारी (स्था.)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 1981

सं. ओ दो -1445/79-स्थापना—महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर (श्रीमती) ज्योत्सना त्रिवेदी को 4-9-81 के पूर्वाह्न से केवल तीन महीने के लिए अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक इनमें जो पहले हो उस तारीख तक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है।

दिनांक 30 सितम्बर 1981

स. ओ दो -1578/81-स्थापना—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डा सुरेन्द्र सिंह को 17-8-81 के पूर्वाह्न से 1-9-81 तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है।

ए. के. सूरी
सहायक निदेशक
(स्थापना)

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 28 सितम्बर 1981

सं 11/36/79-प्रशा -1—इस कार्यालय की तारीख 6-10-1980 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति, नई दिल्ली में दिल्ली शाखा के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यालय अधीक्षक श्री एम एल गुलाटी की नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में उप-निदेशक के पद पर पतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा तदर्थ नियुक्ति की अवधि की तारीख 1 मार्च, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, जो भी अवधि पहले हो, सहर्ष और बढ़ाते हैं।

2 श्री गुलाटी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

पी. पद्मनाभ
भारत के महापंजीकार

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग कार्यालय, निदेशक लेखा परीक्षा, डाक-तार

दिल्ली-110054, दिनांक 26 सितम्बर 1981

स का आ प्रशासन-।।।/330/23(ए) (2) अधिसूचनाए—निदेशक लेखापरीक्षा डाक-तार ने सहर्ष, डाक-तार शाखा लेखापरीक्षा कार्यालय हैदराबाद के अनुभाग अधिकारी श्री वीसा-प्रगदा वीरभद्रा नरसिम्हा राव की पदोन्नति कर उनके स्थानापन्न लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 14-7-81 पूर्वाह्न से नियुक्त किया है तथा उन्हें अगले आदेशों तक डाक-तार शाखा लेखापरीक्षा कार्यालय अहमदाबाद में तैनात किया है। उनकी पदोन्नति तदर्थ आधार पर है और यशोधनाधीन है।

केवल थापड़
सहायक निदेशक
लेखा परीक्षा

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 1981

स प्रशासन-।।।/312/23(ए) (2) अधिसूचनाए—डाक-तार लेखापरीक्षा कार्यालय कलकत्ता के स्थानापन्न लेखापरीक्षा अधिकारी श्री एस आर चक्रवर्ती दिनांक 31-7-1981 अपराह्न से निलंबन पर सेवा निवृत्त हो गये हैं।

एस. कप्पुस्वामी
लेखा परीक्षा अधिकारी

रक्षा मंत्रालय

आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड,

कलकत्ता, दिनांक 26 सितम्बर 1981

सं० 8/81/ए/एम०—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित सहायक चिकित्सा अधिकारियों/कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (तदर्थ) का सेवा से त्याग पत्र/बर्खास्तगी मंजूर करते हैं। तदनसार. प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से, उनके नाम, आर्डनेन्स फैक्टरियों संगठन की नफरी से काट दिए जाते हैं :—

क्रम सं०	नाम	फैक्टरी का नाम जिसमें तैनाती थी	दिनांक	कैफियत
1.	डा० के० रामामूर्ति, सहायक चिकित्सा अधिकारी	गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर	7-2-81 (अपराह्न)	त्याग पत्र दिया।
2.	डा० सरोज कान्त साहू, सहायक चिकित्सा अधिकारी	मेटल एण्ड स्टील फैक्टरी, ईशापुर	1-5-81 (अपराह्न)	त्याग पत्र दिया।
3.	डा० वीरेन्द्र सिंह, सहायक चिकित्सा अधिकारी	क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर	22-6-81 (अपराह्न)	बर्खास्त किया गया।
4.	डा० (श्रीमती) मीरा सेन, कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (तदर्थ)	गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर	20-8-81 (अपराह्न)	बर्खास्त किया गया।
5.	डा० टी० एस० चड्ढा, कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, (तदर्थ)	गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर	26-8-80 (अपराह्न)	बर्खास्त किया गया।

सं० 9/81/ए/एम—राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित सहायक चिकित्सा अधिकारियों को आर्डनेन्स फैक्टरियों में प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से आगामी आदेश न होने तक नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम व पद	नियुक्ति स्थान	दिनांक
1.	डा० हरिशंकर जाटव (एस० सी०) सहायक चिकित्सा अधिकारी	हैवी वेहिकल फैक्टरी 'अवादी'	27-5-81 (पूर्वाह्न)
2.	डा० (कुमारी) शकुन्तला देवी, सहायक चिकित्सा अधिकारी	आर्डनेन्स फैक्टरी, मुरादनगर	28-5-81 (पूर्वाह्न)
3.	डा० विजय के० साहू, सहायक चिकित्सा अधिकारी	आर्डनेन्स फैक्टरी, खमारिया	01-6-81 (पूर्वाह्न)
4.	डा० एम० एल० लुकोंग, सहायक चिकित्सा अधिकारी	आर्डनेन्स फैक्टरी, खमारिया	02-6-81 (पूर्वाह्न)
5.	डा० के० परघा सारथी, सहायक चिकित्सा अधिकारी	क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर	02-6-81 (पूर्वाह्न)
6.	डा० अमलेन्दु मंडल (एस० सी०) सहायक चिकित्सा अधिकारी	क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर	3-6-81 (पूर्वाह्न)
7.	डा० के० हेमन्त कं० डारा, सहायक चिकित्सा अधिकारी	आर्डनेन्स फैक्टरी, भुसावल	6-6-81 (पूर्वाह्न)
8.	डा० जितेन्द्र नारायण राय, सहायक चिकित्सा अधिकारी	राइफल फैक्टरी, ईशापुर	9-6-81 (पूर्वाह्न)
9.	डा० प्रमोद कुमार गुप्ता, सहायक चिकित्सा अधिकारी	क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर	11-6-81 (पूर्वाह्न)
10.	डा० वीरेन्द्र कुमार, सहायक चिकित्सा अधिकारी	आर्डनेन्स उपस्कर फैक्टरी, कानपुर	01-7-81 (पूर्वाह्न)
11.	डा० एम० एस० प्रसाद, सहायक चिकित्सा अधिकारी	वेहिकल फैक्टरी, जबलपुर	19-7-81 (पूर्वाह्न)
12.	डा० रमेश चन्द्र साहू, सहायक चिकित्सा अधिकारी	स्माल आर्म्स फैक्टरी, कानपुर	23-7-81 (पूर्वाह्न)
13.	डा० नलिन बिहारी कानूनगो, सहायक चिकित्सा अधिकारी	गन एण्ड शेल फैक्टरी, काशीपुर	30-7-81 (पूर्वाह्न)
14.	डा० मनोज कं० भौमिक, सहायक चिकित्सा अधिकारी	गन एण्ड शेल फैक्टरी, काशीपुर	27-7-81 (पूर्वाह्न)

आर० जी० देवलालिकर,
अपर महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियों/सदस्य (कार्मिक)

कलकत्ता, दिनांक 22 सितम्बर 1981

सं० 34/जी/81—राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अफसरों को स्थानापन्न महाप्रबन्धक (सेलेक्शन ग्रेड) डी० डी० जी० ओ० एफ० (स्तर-III) के पद पर, उनके सामने दर्शाई गई तारीख से, नियुक्त करते हैं :—

1.	श्री के० द्वारकानाथ, स्थानापन्न उप-पी० ओ०	पहली, अगस्त, 1981
2.	श्री पी० एस० त्रिवेदी, स्थानापन्न वरिष्ठ उप-निदेशक	पहली अगस्त, 1981
3.	श्री एस० थीयागराजन, स्थानापन्न महाप्रबन्धक/ग्रेड-1	पहली अगस्त, 1981
4.	श्री एम० पी० रामामूर्ती, स्थानापन्न महाप्रबन्धक/ग्रेड-1	पहली अगस्त, 1981
5.	श्री बी० के० घाई, स्थानापन्न महाप्रबन्धक/ग्रेड-1	पहली अगस्त, 1981
6.	श्री आर० के० मजुमदार, स्थानापन्न महाप्रबन्धक/ग्रेड-1	पहली अगस्त, 1981

सं० 35/जी/81—राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अफसरों को स्थानापन्न उप-प्रबन्धक /डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० के पद पर, उनके सामने दर्शाई गई तारीख से नियुक्त करते हैं :—

1.	श्री प्रबल सिंह, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	31 जुलाई, 1981
2.	श्री सी० पी० सेठी, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	31 जुलाई, 1981
3.	श्री ए० बालगोपाल, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	31 जुलाई, 1981
4.	श्री बी० एल० इमरायल, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	31 जुलाई, 1981
5.	श्री एस० नागभूषणम्, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	31 जुलाई, 1981
6.	श्री एन० बी० नामविसन, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	31 जुलाई, 1981

क्रम सं०	नाम व पद	नियुक्ति दिनांक
7.	श्री सी० वाई० जगन्नाथन, सस्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	31 जुलाई, 1981
8.	श्री पी० एस० नारायणस्वामी, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	31 जुलाई, 1 981
9.	श्री एन० के० दे, अस्थायी सहायक प्रबन्धक	31 जुलाई, 1981
10.	श्री के० के० तनेजा, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	31 जुलाई, 1981
11.	श्री के० जे० जे० रतनम, सहायक प्रबन्धक (परखावधि)	31 जुलाई, 1981
12.	श्री वी० एन० आवाती, सहायक प्रबन्धक (परखावधि)	31 जुलाई, 1981

सं० 36/जी/81—राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अफसरों को स्थानापन्न एस० ओ० के पद पर, उनके सामने दर्शायी गई तारीख से नियुक्त करते हैं :—

1.	श्री विभूति भूषण चौधरी, स्थानापन्न ए० एस० ओ०	पहली अगस्त, 1981
2.	श्री कालिका प्रसाद सुकुल, स्थानापन्न ए० एस० ओ०	पहली अगस्त, 1981
3.	श्री निर्माल्य भूषण चक्रवर्ती, स्थानापन्न ए० एस० ओ०	पहली अगस्त, 1981
4.	श्री सवितासु प्रकाश गोस्वामी, स्थानापन्न ए० एस० ओ०	पहली अगस्त, 1981
5.	श्री विनय भूषण चौधरी, स्थानापन्न ए० एस० ओ०	पहली अगस्त, 1981
6.	श्री धीरेन्द्र नाथ सोहा, स्थानापन्न ए० एस० ओ०	पहली अगस्त, 1981
7.	श्री दिलीप कुमार मित्रा (II) स्थानापन्न ए० एस० ओ०	पहली अगस्त, 1981
8.	श्री आरीन्द्र नाथ घोष, स्थानापन्न ए० एस० ओ०	पहली अगस्त, 1981

सं० 37/जी/81—राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अफसरों को स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक /टी० एस० ओ० के पद पर, उनके सामने दर्शाई गई तारीखों से नियुक्त करते हैं :—

1.	श्री एस० एन० सरकार, स्थानापन्न फोरमैन	पहली जून, 1981
2.	श्री एच० के० कपूर, स्थानापन्न फोरमैन,	10 जुलाई, 1981
3.	श्री वी० एल० मलहोत्रा, स्थानापन्न फोरमैन	10 जुलाई, 1981
4.	श्री पी० पद्मनाभन्, स्थायी फोरमैन	30 जून, 1981
5.	श्री प्यारा सिंह पादन्, स्थानापन्न फोरमैन	पहली जून, 1981 (तदर्थ आधार पर)
6.	श्री वी० पी० सेठ, स्थानापन्न फोरमैन	पहली जून, 1981 (तदर्थ आधार पर)
7.	श्री देबो प्रसाद मुखर्जी, स्थानापन्न फोरमैन	पहली जून, 1981 (तदर्थ आधार पर)
8.	श्री सति प्रसन्न दास, स्थानापन्न एस० ए०	पहली जून, 1981 (तदर्थ आधार पर)
9.	श्री के० के० भाटिया, स्थानापन्न फोरमैन	पहली जून, 1991 (तदर्थ आधार पर)
10.	श्री ए० के० मजुमदार, स्थानापन्न फोरमैन	पहली जून, 1981 (तदर्थ आधार पर)
11.	श्री बालेश्वर सिंह, स्थायी फोरमैन	पहली जून, 1981
12.	श्री जोगिन्दर सिंह, स्थायी फोरमैन	17 जुलाई, 1981

वी० के० मेहता,
सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियां

श्रम मंत्रालय

कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र, महानिदेशालय

बम्बई, दिनांक 26 सितम्बर 1981

सं. 3/1/81-स्थापन—महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय बम्बई ने श्री टी. वी. रामचन्द्रन को अवर निरीक्षक (गोदी सुरक्षा) के पद पर दिनांक 25 मई 1981 से इस कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय बम्बई में स्थानापन्न की हैसियत में अगले आदेश आने तक नियुक्त किया है।

ए. के. चक्रवर्ती
महानिदेशक

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 1981

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण

(स्थापना)

सं. 6/1026/74-प्रशा. 'राज.'/5624—सेवा निवृत्ति की आयु होने पर, श्री एस. पी. कपूर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग 4 के स्थायी अधिकारी और जो उसी सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे, ने 31 अगस्त 1981 के दोपहर बाद से इस कार्यालय में नियंत्रक, आयात-निर्यात के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

ए. एन. कौल
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वस्त्र विभाग

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 25 सितम्बर 1981

सं. 10(2)/77-81/सी. एल. बी. ।।—कपास नियंत्रण आदेश, 1955 के खण्ड 5(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं. 10 (1)/73-74/सी. एल.बी.-।। दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता हूं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में स्पष्टिकरण (चार) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(चार) इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए भारतीय कपास में भारतीय कपास की सभी किस्में शामिल होगीं। लेकिन कपास सत्र सितम्बर, 1981 से अगस्त, 1982 तक सुधिन कपास इस अधिसूचना की सीमा से बाहर होगी।"

सुरेश कुमार
अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन अनुभाग-।)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 1981

सं. प्र.-1/1 (884)—इस महानिदेशालय में स्थाई अवर प्रगति अधिकारी तथा स्थानापन्न सहायक निदेशक (ग्रेड-।।) श्री डी. डी. भारद्वाज निवृतमान आयु होने पर दिनांक 30-9-81 (अपराह्न) से सेवा निवृत हो गए।

एस. एल. कपूर
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान

(प्रशासन अनुभाग-6)

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 1981

सं. प्र-6/247 (369)—निरीक्षण निदेशक, कलकत्ता के कार्यालय में स्थायी उप निदेशक निरीक्षण (वस्त्र) भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप।, वस्त्र शाखा के ग्रेड ।। श्री ए. आर. हलदर का दिनांक 6-8-1981 को देहान्त हो गया। तद्नुसार उनका नाम दिनांक 6-8-1981 (पूर्वाह्न) से सूची से हटा दिया गया है।

पी. डी. सेठ
उप-निदेशक (प्रशासन)

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1981

सं. ए-12025/2/80-स्थापना—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक, श्री दलीप भट्टाचार्या को सीनियर आर्टिस्ट के पद पर अस्थायी रूप से 17 सितम्बर, 1981 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

जनकराज लिखी
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1981

सं. ए. 12025/22/80-प्रशासन-।—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री एम. हरी को 24 अगस्त, 1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक बी. सी. वैक्सीन प्रयोगशाला गिण्डी मद्रास में पशुचिकित्सक के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

शाम लाल कुठियाला
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 1981

सं. ए. 19012/7/81-एस. आई.—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री पी. ए. सावंत को 4 सितम्बर, 1981 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो बम्बई में तदर्थ आधार पर सहायक डिपो मैनेजर के पद पर नियुक्त कर दिया है।

शिवदयाल
उप निदेशक प्रशासन (भंडार)

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 30 सितम्बर 1981

सं. ए. 19023/12/81-प्र.त.—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री ए. एम. श्रीवास्तव को इस निदेशालय के अधीन गुन्टूर में दिनांक 7-9-81 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न विपणन अधिकारी (वर्ग I) नियुक्त किया जाता है।

बी. एच. पनिहार
निदेशक प्रशासन
कृते कृषि विपणन सलाहकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना

संयंत्र स्थल

डाक-न. प. वि. प कालोनी

बुलन्दशहर-202 389, दिनांक

क. न. प वि. प./प्रशा/26(1)/81/एस/11719—नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना अभियन्ता, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के अधिस्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्थानापन्न सहायक लेखाधिकारी श्री गोविन्द सिंह का दिनांक सितम्बर 10, 1981 के पूर्वाह्न से अग्रिम आदेशों तक के लिए नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना में स्थानापन्न सहायक लेखाधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

अ. दे. भाटिया
प्रशासन अधिकारी
कृते मुख्य परियोजना अभियन्ता

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 1981

सं. ए. 32014/4/81-ई.एस.—महानिदेशक नागर विमानन ने सर्वश्री के. के. जी. गल्ला और केदार नाथ, भंडार सहायकों को दिनांक 19 सितम्बर, 1981 (पूर्वाह्न) से अन्य आदेश होने तक क्रमशः नियंत्रक, केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो, नई दिल्ली और क्षेत्रीय निदेशक, मद्रास क्षेत्र, मद्रास एयरपोर्ट के कार्यालय में भंडार अधिकारी (समूह "ब" पद) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

जगदीश चन्द्र गर्ग
सहायक निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर 1981

सं० ए० 32013/4/80-ई० सी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित दो वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों को, प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से छः मास की अवधि के लिए अथवा ग्रेड में रिक्तियां उपलब्ध होने तक तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक संचार के ग्रेड में नियुक्त किया है। उन्हें महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में तैनात किया गया है :—

क्रम सं०	नाम	वर्तमान तैनाती स्टेशन	कार्य ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री एम० के० सरस्वती . . .	रेडियो निर्माण और विकास एकक, नई दिल्ली	31-8-81 (अपराह्न)
2.	श्री सुशील कुमार . . .	महानिदेशक नागर विमानन (मुख्यालय)	16-9-81 (पूर्वाह्न)

प्रेम चन्द,
सहायक निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

नई दिल्ली-110022, दिनांक 16 सितम्बर 1981

सं. 22/1/81-प्रशासन-I (बी)—अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एतद्द्वारा, श्री विक्रमजीत सिंह, पर्यवेक्षक, को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (ग्रुप बी) सेवा के अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर के ग्रेड में, स्थानापन्न क्षमता में, 3-9-1981 पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

सन्तोष विश्वास,
अवर सचिव

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग)
कम्पनी ला बोर्ड कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मेसर्स कमाणी इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितंबर 1981

सं. सांख्यिकी/11281—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना

दी जाती है कि मैसर्स कमाणी इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बिको मेच कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 1981

सं. सांख्यिकी/1372—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बिको मेच कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किये गये तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नाम मेटल्स एंड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड जयपुर के विषय में

जयपर, दिनांक 28 सितम्बर 1981

सं. सांख्यिकी/1376 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स नाम मेटल्स एंड केमिकल्स प्राईवेट लि. जयपुर का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और यह कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महेन्द्रा सेविंग्स एण्ड जनरल फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 1981

सं. सांख्यिकी 1599—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स महेन्द्र सेविंग्स एण्ड जनरल फाईनेन्स प्राईवेट लि. का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आबू रोड रेलवे को-आपरेटिव एशोशियेशन लि. (समापन में) के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 1981

सं. सांख्यिकी/लिक्वे/22—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स आबू रोड रेलवे को-ऑपरेटिव एशोसियेशन लि., (समापन में) का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. दीक्षित
कम्पनियों का रजिस्ट्रार राजस्थान, जयपुर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और श्री वीनायक मील्स लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 29 सितम्बर-1981

सं. 650/560/81-82—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर श्री वीनायक मील्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सिवरूदरसेवर केमिकल्स इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

सं 1972/560/81-82—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर सिवरूदरसेवर केमिकल्स इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी टी गजवानी,
कम्पनियों का रजिस्ट्रार

कार्यालय आयकर आयुक्त

इलाहाबाद, दिनांक 2 सितम्बर 1981

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 125 के अधीन निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, निर्धारण रेंज, वाराणसी का क्षेत्राधिकार

सं. 77—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 125 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक विद्यमान दिनांक 13-12-1979 की अधिसूचना के साथ आदेश संख्या 3 को आशोधित करते हुए मैं आयकर अधिकारी, ए-वार्ड, विशेष जांच वृत्त वाराणसी, सर्व/श्री राजकुमार शाह एण्ड संस, पिसाच मोचन, वाराणसी सर्व/श्री राज कुमार शाह संस, पिसाच मोचन, वाराणसी (स्था. लेखा सं. 10-012-एफ वी-5834) (जिसे दिनांक 13-12-1979 की उक्त अधिसूचना सं. 3 के साथ संलग्न सूची में क्रम सं 32 पर लिखा गया था) के केस में निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त निर्धारण, वाराणसी (भूतपूर्व निरीक्षी सहायक आय कर आयुक्त, रेंज-।।, वाराणसी) के बदले क्षेत्राधिकार रखेंगे।

यह आदेश दिनांक 7-9-1981 से लागू होगा।

हीरा सिंह
आयकर आयुक्त, इलाहाबाद

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 अक्तूबर, 1981

निदेश सं० 16352—यतः मुझे, राधा बालकृष्णन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० 4274/21, प्लाट है तथा जो ग्रीनवेज रोड, मद्रास-28 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का के कार्यालय, शुलापुर (डाक्यूमेंट सं० 681/81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रेल 81

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निलिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती मनि
(अन्तरक)

(2) श्रीमती गीता
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि आर० एस० सं० 4274/21, प्लाट, ग्रीनवेज रोड मद्रास-28
(डाक्यूमेंट सं० 681/81)

राधा बालकृष्णन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास।

दिनांक : 17-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 अक्तूबर, 1981

निदेश सं० 11299—अतः मुझे, राधा बालकृष्णन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० सर्वे स० 465, 473, है, जो सीरापालम मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बत्तूर (डाक्यूमेंट स० 44/87) मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1980 (1908 का 16) के अधीन, जनवरी, 81 को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितों) ने उक्त अन्तरण के लिए तय किए गए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :---

(1) श्री सोम सुन्दरम

(अन्तरक)

(2) भारत ब्लोकस्मिथ कम्पनी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, जो सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय XX-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में है।

अनुसूची

भूमि सर्वे 465, 473, सीरापालयम
(डाक्यूमेंट स० 44/81)

राधा बालकृष्णन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज-II, मद्रास।

दिनाक : 17-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 अक्तूबर, 1981

निदेश सं० 11300—यतः मुझे, राधारा बालकृष्णन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० टी० एस० 17/77/2, 12/74/1,है, जो अलगेसन रोड, कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बतूर (डाक्यूमेंट सं० 73/81), में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) डाक्टर आर० बेल्लि

(अन्तरक)

(2) श्री ललित कृष्ण खन्ना बीमकन्ना

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि टी० एस० 12/71/2, 12/74/1, अलगेसन रोड, कोयम्बटूर (डाक्यूमेंट सं० 73/81)

राधा बाल कृष्णन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास।

दिनांक : 17-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास
मद्रास, दिनांक 17 अक्तूबर, 1981

निदेश सं० 11321—अतः मुझे, राधा बालकृष्णन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है, तथा जो सिखडासमपालयम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय. कोइम्प्बतूर (डाक्युमेंट सं० 277/81) में भारतीय भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ---

(1) श्री आर० वासुकि
(अन्तरक)

(2) श्री धार
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि—सिखडासमपालयम (डाक्युमेंट सं० 277/81)

राधा बालकृष्णन
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज-II, मद्रास

दिनांक: 17-9-1981
मोहर:

रूप भाई टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 अक्तूबर 1981

निदेश सं० 11332—अत मुझे, राधा बालकृष्णन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी म० है, तथा जो सामकुलम मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पेरिमन्नायषन-पालयम (डाक्युमेंट स० 138/81) मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, इस प्रयोजन से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने की सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री रगनायक और अदर्स

(अन्तरक)

(2) श्री घुनसेकरन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाश- की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के नाम लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि—सामकुलम, कोयम्बटूर
(डाक्युमेंट स० 138/81)

राधा बालकृष्णन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज-II, मद्रास

दिनांक : 17-9 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 सितम्बर, 1981

सं० 16171 : यतः मुझे राधा बालकृष्णन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० 156 और 157, है जो नुगंमप्रारवम रोड, मद्रास 34 में स्थित है (और इसके उपाबद्ध में और पूर्ण रूप.मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय मद्रास नारथ (डाकूमेंट सं० 26/81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधियिम, 1908 (1908 का 16 के अधीन 16 जनवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक [illegible] है;

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती महालक्ष्मी और प्रिया।

(अन्तरक)

(2) श्री ओबुल रेड्डी और अदरस

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या सम्बन्धित व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 156 और 157, नुगंमपारवम है रोड, मद्रास-34 (डाकूमेंट सं० 26/81)

एस. गोविन्द राजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास।

तारीख : 17-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1)-के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज मद्रास

मद्रास, दिनांक 16 सितम्बर, 1981

सं० 9309—यतः, मुझे, राधा बालकृष्णन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जसकी सं० सर्वे 402/2 स/583 है, जो तामबरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, तामबरम (डाकूमेंट सं० 244/80) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16 जनवरी 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात:--

(1) श्री कृष्णनम्माल और अदरस ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती इन्द्रा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि सरवे 402/2 रा, 583, तामबरम
(डाकूमेंट सं० 244/81)

राधा बालकृष्णन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज मद्रास ।

दिनांक : 16-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 सितम्बर, 1981

सं० 9289:—यतः, मुझे राधा बालकृष्णन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख का अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 50 ए, है, जो कोरङ्गाचेरी मे स्थित है और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, कूथानल्लूर (डाकूमेंट सं० 1/81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी, 1981।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गोपाल अय्यर और अदरस।

(अन्तरक)

(2) श्री शेरबुद्दीन और अदरस।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त पदों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण—50 ए, कोरङ्गाचेरी (डाकूमेंट सं० 1/81)

राधा बालकृष्णन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास।

दिनांक 17-9-1981
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, मद्रास

मद्रास, दिनाक 17 सितम्बर, 1981

सं० 9289 —यत: मुझे, राधा बालकृष्णन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० 52 है, जो कोरडाचेरी मे स्थित है (और इसमे उपाबद्ध मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, कूथानल्लूर (डाकूमेंट स० 2/81) मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी, 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से वर्णित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 296-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री वैद्यनात अय्यर और अदरस।
(अन्तरक)

(2) श्री शेरबुद्दीन और अदरस।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण —इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 52, कोरडाचेरी (डाकूमेंट सं० 2/81)

राधा बालकृष्णन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

दिनांक 17-9-1981
मोहर:

प्रारूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।।, मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 सितम्बर 1981

निदेश सं. 9302—अतः मुझे, राधा बालकृष्नं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं 76, 76ए है, तथा जो राम जी. रोड, पाठि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पाठि (डाकुमेंट सं.-155/81) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी, 1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरिकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से, उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री जान. राम. कुमरेसन। (अन्तरक)

(2) श्री सनठमल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण—76, 76ए, राम जी. रोड, पाठि। (डाकुमेंट सं. 155/81)।

राधा बालकृष्नं
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास

तारीख : 17-9-1981
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 15 सितम्बर, 1981

सं. 11335, यतः मुझे राधा बालकृष्नं,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. सर्वे 17, 18, 19 है, जो तल्लि रोड उठ्मलमेट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उठ्मलपेट (ठाकू मेंट सं. 259/81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16 फरवरी 1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिशत से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात:--

(1) श्री धनपति ।
(अन्तरक)

(2) श्री अप्पावू ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि सर्वे 17, 18, 19 तल्लि रोड डवलपमेंट (डाकू मेंट सं० 259/81) ।

राधा बालकृष्नं
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास ।

दिनांक 15-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 सितम्बर 1981

सं० 9302.—यतः मुझे, राधा बालकृष्णन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 76, 76-ए है, जो एम० जी० रोड, पांडिचेरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, पांडिचेरी (डाकूमेंट सं० 154/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथा पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सवरिमुथुराजन। (अन्तरक)

(2) श्री सनवभल्ली। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 76, 76-ए, एम० जी० रोड, पांडिचेरी (डाकूमेंट 154/81)।

राधा बालकृष्णन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

दिनांक 17-9-1981
मोहर।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 सितम्बर 1981

सं० 9306, यतः मुझे, राधा बालकृष्णन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० टी० एस० 36/3 (पार्ट) है, जो डिंडीगुल रोड त्रिची मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय त्रिची (डाकूमेंट सं० 238/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या,

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री पद्मानभा अय्यर।

(अन्तरक)

(2) श्री विनफारमा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होनी हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण टी० एस० 35/3 (पार्ट) डिंडीगुल रोड, त्रिची (डाकूमेंट सं० 238/81)।

राधा बालकृष्णन,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज मद्रास।

दिनांक 17-9-1981
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 सितम्बर 1981

निदेश सं० 11/जनवरी/81:—यतः, मुझे, आर० रविचन्द्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस० सं० 1032 और 1033 है, जो इलन्जी गांव, तेन्कासी तालूक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर०-I तेन्कासी (डाकूमेंट स0 16/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-1-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखत उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत् उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती अन्नम्मा मरकास।

(अन्तरक)

(2) मिस लिस्सी जोसफ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(पुज्जातोप—एस० सं० 1032 और 1033, इलन्जी गांव, तेन्कासी तालूक डाकूमेंट सं० 16/81)।

आर० रविचन्द्रन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

दिनांक : 7-9-1981
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 सितम्बर, 1981

सं० 64/जनवरी/81:—यतः, मुझे, आर० रविचन्द्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 42/2 और 42/3 पार्ट्स है जो, परियकूडल गांव, अन्ना नगर, मद्रास-40 मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, पेरियमेट, मद्रास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-1-81

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री के० पी० एस० मेनन।

(अन्तरक)

(2) श्री ए० मरुथा पिल्लै और अन्य ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और निर्माण प्लट 42/2 और 42/3 पार्ट्स, पेरायकूडल गांव, अन्ना नगर, मद्रास-40 डाकूमेंट सं० 48/1981 ।

आर० रविचन्द्रन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक 17-9-1981
मोहर :

प्रूफ़ आई० टी० एस० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 सितम्बर 1981

सं० 65/जनवरी/81-—यत:, मुझे, आर० रामचन्द्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ए०-6, प्लाट सं० 90, अन्ना नगर, मद्रास-40 है, जो मे स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय पेरायमेंट, मद्रास (डाकुमेंट सं० 87/1981) मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 31-1-81

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसें अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) पी० मसद पिल्लै।

(अन्तर

(2) श्री वी० टी० वी० शर्मा और अन्य।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(भूमि और निर्माण ए० 6, प्लाट स. 90, अन्ना नगर, मद्रास-40 (डाकूमेंट स० 87/1981)।

आर० रविचन्द्रन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 17-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 14 सितम्बर 1981

सं० 16219 :—यतः मुझे, राधा बालकृष्णनं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 77, है, जो आर० एस० सं० 626 नुगंमपाक्कम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, टी० नगर (डाकूमेंट सं० 111/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन दिनांक जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कृष्ण अय्यर और कम्पनी।

(अन्तरक)

(2) श्री एम० महालक्ष्मी अम्माल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि प्लाट सं० 77, आर० एस० सं० 626, नुगंमपाक्कम (डाकूमेंट सं० 111/81) ।

राधा बालकृष्णनं
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास ।

दिनांक 14-9-1981

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 14 सितम्बर 1981

सं० 73/अनवरी/81:—यतः, मुझे, आर० रविचन्द्रन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है,

और जिसकी सं० प्लाट सं० 3410, ए० ए० नगर, मद्रास-40 है, जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सेम्बियम, मद्रास (डाकुमेंट सं0 174/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-1-1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती वी० सरस्वती बाई ।

(अन्तरक)

(2) मरीय अन्टायिन जोसफ और अन्य ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(प्लाट सं० 3410, ब्रांच IV स्कीम, ए० ए० नगर, मद्रास, डाकूमेंट सं० 174/1981)।

आर० रविचन्द्रन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास।

दिनांक 14-9-1981

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) धारा की 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 14 सितम्बर 1981

सं० 62/जनवरी/81:—यतः, मुझे, आर० रविचन्द्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 55, आरमेनियन स्ट्रीट मद्रास-1 है, जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर०-II मद्रास नार्थ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-1-81

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, से निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री एम० हासन खलीलियन और अन्य।
(अन्तरक)

(2) जोहर एस्टेट एण्ड पारटनरस।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(भूमि और निर्माण प्लट 55, आरमेनियन स्ट्रीट, मद्रास डाकूमेंट सं० 269/81)।

आर० रविचन्द्रन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास।

दिनांक 14-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 8 सितम्बर 1981

सं० ए० पी० 2714:—यतः मुझे, आर० गिरधर, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है**

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जैतो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जैतो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) **अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या**

(ख) **ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती रणजीत कौर विधवा तथा प्रीतमोहिन्द्र सिंह, रीतमोहिन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह गाव जैतो जिला फरीदकोट।

(अन्तरक)

(2) श्री तोता सिंह सुखदेव सिंह पुत्र सन्ता सिंह गाव जैतो जिला फरीदकोट।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि उपर नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो)।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1341 दिनांक जनवरी 1981 से रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी जैतो में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी,
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 8-9-1981

मोहर]

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

अर्जन रेंज, जालन्धर कार्यालय,

जालन्धर, दिनांक 14 सितम्बर 1981

सं० ए० पी० 2771—यतः मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा जो गांव खुरला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री करतार सन्धु पत्नी कुन्दन सिंह वासी 265 आर० माडल टाउन, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री करनैल सिंह पुत्र साधु सिंह वासी गांव कोर कला, तहि जिला जालन्धर :

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 6358, दिनांक जनवरी 1981 की रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 14-9-1981
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर कार्यालय

जालन्धर, दिनांक 14 सितम्बर 1981

स० ए० पी० 2772—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो खुरला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, से निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय को धारण, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्रीमती करतार सन्धु पत्नी कुन्दन सिंह वासी 265, आर माडल टाउन, जालन्धर।

(अन्तरक)

2 श्री जसविन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह वासी गाव कोट कला, तहि- जिला जालन्धर।

(अन्तरिती)

3 जैसा कि ऊपर न० 2. मे लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

4 जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके उक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू।

उक्त सपत्ति के अर्जन के सबध में कोई भी आक्षेप।—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न० 6410, दिनांक जनवरी, 1981 को, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी जालन्धर मे लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 14-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर कार्यालय

जालन्धर, दिनांक 14 सितम्बर 1981

स० ऐ० पी० 2773—यत मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो गांव मकसुद पुर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध मे अनुसूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकार के कार्यालय जालन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1981। को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है.---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्रीमती बलदेव कौर पत्नी हरभजन सिंह मुख्तार आम हरभजन सिंह उर्फ भजन सिंह पुत्र सुहेल सिंह, वासी हेलर तहि. जिला जालन्धर।

(अन्तरक)

2 श्री गुरदयाल सिंह पुत्र सागर सिंह गाव मोहिम तहिसील नकोदर जिला जालन्धर और को आप-मारकीटिंग सोसाइटी मार्फत सागर आईस मिल्ज जी० टी० रोड मकसुद पुर (जालन्धर) मैसर्ज चमल लाल जनकराज मार्फत

(अन्तरिती)

3 जैसा कि ऊपर न० 2 मे लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

4 जो व्यक्ति सम्पति मे रूचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 6237 दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 14-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर कार्यालय
जालन्धर, तारीख 14 सितम्बर 1981

सं० ए० पी० 2774:—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मकसूद पुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1981। को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

1. श्रीमती बलदेव कौर पत्नी हरभजन सिंह मुख्तार आम बिकर सिंह पुत्र सुहेल सिंह, वासी गांव हैलर तहि व जिला जालन्धर।
(अन्तरक)
2. श्री खुशपाल सिंह उर्फ खुशाल सिंह पुत्र सागर सिंह वासी मोहेम तिहि नकोदर, जिला जालन्धर और को आप मार्केटिंग सोसायटी मार्फत सागर आईस मिल्ज, जी० टी० रोड, मकसुद पुर (जालन्धर) मैसर्ज चमलन लाल जनक राज मार्फत
(अन्तरिती)
3. जैसा कि पर नं० 2 में लिखा है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता हो।
(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख 6239, दिनांक जनवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख 16-9-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन., एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर कार्यालय

जालन्धर, दिनांक 14 सितम्बर, 1981

सं० ए० पी० 2775:—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा हजो गांव मकसूद पुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती बलदेव कौर पत्नी हरभजन सिंह मुख्तार आम अजीत सिंह उर्फ जीत सिंह पुत्र सुहेल सिंह, गांव हेलर तहि व जिला जालन्धर।
(अन्तरक)
2. श्री गुरपाल सिंह पुत्र सागर सिंह वासी गांव मोहेम तहि: नकोदर जिला जालन्धर। को-आप मार्केटिंग सोसायटी मार्फत सागर आईस मिल्स, जी० टी० रोड, मकसूद पुर (जालन्धर) मैसर्ज चमन लाल जनक राज मार्फत।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति मार्फत में रूचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा शक्ति जैसा कि विलेख नं० 6240, दिनांक जनवरी 1981, को रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख 14-9-1981
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर कार्यालय

जालन्धर, दिनांक 14 सितम्बर, 1981

सं० ए० पी० 2776, :—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा जो गांव मकसूद पुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1981।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती बलदेव कौर पत्नी हरभजन सिंह मुख्तार आम चरन सिं पुत्र सुहेल सिंह वासी हेलर तहि जिला जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री गुरपाल सिंह पुत्र सागर सिंह वासी मोहेम तहि नकोदर, जिला जालन्धर और को-आप-मार्कीटिंग सोसायटी मार्फत सागर आईल मिल्ज, जी० टी० रोड, (जालन्धर) और चमन लाल जनक राज मार्फत

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति क अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 6241, दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 14-9-1981

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर कार्यालय

जालन्धर, दिनांक 14–9–1981

सं० ए० टी० 2777:—यत० मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव मकसूद पुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1981।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और श्रन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्रीमती बलदेव कौर पत्नी हरभजन सिंह मुख्तार आम करन सिंह पुत्र सुहेल सिंह गांव हैलर तहि व जिला जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री खुशपाल सिंह उर्फ खुशाल सिंह पुत्र सागर सिंह गांव मोहेम तहि नकोदर जिला जालन्धर। और को आप आर्कीटिंग सोसायटी मार्फत आईल मिलस जी० टी० रोड नजदीक मकसूद पुर (जालन्धर मैसर्ज चमन लाल जनक राम मार्फत जैसे ऊपर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता हो।

(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 6242, दिनांक जनवरी 1981 को रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

मोयर :

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 14–9–1981

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 सितम्बर, 1981

सं० ए० पी० 2778—यतः मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जो गांव मकसूद पुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती बलदेव कौर पत्नी हरभजन सिंह मुख्तार-आम सुरिन्द्र सिंह पुत्र सुहैल सिंह गांव हैलर तह० जिला जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री खुशहाल सिंह उर्फ खुशपाल सिंह पुत्र सागर सिंह वासी गांव मोहिम, तहि० नकोदर, जिला जालन्धर, को आप मारकीटिंग सोसायटी मार्फत सागर आईल मिल्ज जी० टी रोड मकसूद पुर (जालन्धर) और मैसर्ज चमन लाल जनक राज मार्फत जैसे ऊपर

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता हो।

(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 6243, दिनांक जनवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख 14-9-1981

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 16 सितम्बर 1981

सं० ए० पी० 2779—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे **इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है**), **की धारा** 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त **अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के** दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा **के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या **धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में** सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. श्री सुभाष पुत्र तथा श्रीमती दया वन्ती विधवा श्री ब्रह्मानन्द एन० एन० 443, गोपाल नगर, जालन्धर (अन्तरक)
2. श्रीमती देश गोयल पत्नी अमरजीत गोयल वासी एन० के०-221, चरनजीत पुरा, जालन्धर। (अन्तरिती)
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।
   (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है तथा डा० अमरजीत गोयल सन्तलाल, बलदेव राज, व मलिक सिंह वासी एन० के० 246, चरन जीत पुरा, जालन्धर।
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रूचि रखता हो।
   (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 6429, दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 16-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालंधर

जालन्धर, दिनांक 16 सितम्बर 1981

निदेश सं० ए० पी० 2780—यतः मझे, आर० गिरधर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्री दया नन्द पुत्र जसा राम उर्फ जसवन्त राय, वासी मकान नं० 368, गोपाल नगर, जालन्धर।
(अन्तरक)

(2) श्री बलदेव राज पुत्र परस राम वासी 114, गोपाल नगर, जालन्धर।
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 मे लिखा है तथा डा० अमरजीत गोयल, संत लाल, बलदेव राज व. मलिक सिंह वासी एन० के० 246, चरणजीत पुरा, जालन्धर।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे संपत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित किए जा सकगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 6430 दिनांक जनवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक: 16-9-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 16 सितम्बर, 1981

निदेश सं० ए० पी० 2781—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव बुरज खाल सिंह वाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नथाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण में हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्री चानन सिंह पुत्र भोला सिंह गांव बुरज खान सिंह वाला, तह० नथाना जिला भटिण्डा । (अन्तरक)

(2) श्री अमरनाथ पुत्र रोनक राम मार्फत मैसर्ज रौनक राम, ओम प्रकाश, कमीशन एजेंट्स, बूचो मण्डी, जिला भटिण्डा तथा हरदेव सिंह पुत्र लाल सिंह, नाजर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह तथा परमजीत सिंह पुत्र जाल सिंह वासी बुरज खान सिंह वाला तह० नथाना जिला भटिण्डा (अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1225, दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी नथाना में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

दिनांक : 16-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 16 सितम्बर, 1981

निदेश सं० ए० पी० 2782—यत मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा जो फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री हरी सिंह पुत्र भीम सैन वासी खलवाटा गेट, फगवाड़ा ।

(अन्तरक)

(2) श्री वीना रानी पत्नी मनोहर लाल वासी खलवाटा गेट, फगवाड़ा ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2552, दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक: 16-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 16 सितम्बर, 1981

निदेश सं० ए० पी० 2783—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फगवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का एचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री हरीपाल सिंह पुत्र भीम सैन वासी खलवाटा गेट, फगवाडा।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सनेह लता पत्नी नरिन्द्र पाल (2) विनोद कुमारी पत्नी हरबन्स लाल, वासी खलवाटा गेट, फगवाडा।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधो-हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2553, दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक: 16-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 16 सितम्बर 1981

निर्देश सं० ए० पी० 2784—यत: मुझे, आर० गिरधर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 6 जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सुदर्शन धीर पत्नि एम० के० धीर, 71, राजपत नगर, जालंधर।

(अन्तरिती)

(2) श्री पवन कुमार पुत्र गांधी राम वासी अजीत नगर पटियाला

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 6527, दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक : 16-9-1981
मोहर

प्ररूप आई. टी. एस. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 17 सितम्बर, 1981

निर्देश सं० ए० पी० 2785—यतः मुझे, आर० गिरधर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो चक हुसैना लम्मा पिण्ड में स्थित है(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी, 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री शाम सिंह पुत्र मिश्रा सिंह वासी गाव चक हुसैना लम्मा पिण्ड, तह० जिला जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्रीमती सरला देवी पत्नि तथा सतीश कुमार, अनिल कुमार पुत्र श्रद्धा नन्द, वासी होशियारपुर रोड, जालन्धर शहर। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता हो
(वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 5967, दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 17-9-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 17 सितम्बर, 1981

निर्देश सं० ए० पी० 278—यतः मुझे, आर० गिरधर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो चक हुसैन लम्मा पिण्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी, 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री शाम सिंह पुत्र मीआं सिंह वासी गांव चक हुसैना लम्मा पिण्ड, तह० व जिला जालन्धर। (अन्तरक)

(2) श्रीमती सरला देवी पत्नि तथा सर्वश्री कुमार, अनिल कुमार पुत्र श्रद्धा नन्द, वासी होशियारपुर रोड, जालन्धर शहर। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण।—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 5990 दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 17-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 21 सितम्बर 1981

निर्देश ए० पी० नं० 2787—यत मुझे, आर० गिरधर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कोटकपुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोटकपुरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी, 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रूर चन्द पुत्र श्री मिट्ठू राम वासी कोट कपूरा जिला फरीदकोट

(अन्तरक)

(2) श्री केवल कृष्ण व होरा लाल सुपुत्र गंगा राम वासी कोट कपूरा, जिला फरीदकोट।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 3586 दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक : 21-9-1981
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 8 सितम्बर, 1981

निवेश सं० ए० पी० 2745—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी हदं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो माडल टाउन जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी, 1981 ।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान् प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गुरनाम सिंह पुत्र परसा सिंह खुद व मुख्तयार सरबजीत सिंह और बलराज सिंह, जगजीत सिंह पुत्र परसा सिंह, गांव कालरा तह० व जिला जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुशीला सुदन विधवा प्रेम प्रकाश 239-माडल टाऊन जालन्धर ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर न० 2 मे लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 6456, दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

दिनांक : 8-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 8 सितम्बर 1981

निदेश ए० पी० 2746—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो टीउना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भाटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भगवन्त दास चेला श्री पूरन दास गांव टीउना तह० व जिला भाटिण्डा।

(अन्तरक)

(2) श्री बलविन्दर सिंह, मोहिन्दर सिंह, पुत्र गुरदेव सिंह तथा लाभ सिंह, बोहर सिंह, गुरतेज सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, गांव व डाकखाना चुगा कलां, तह० व जिला भाटिण्डा।

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधो-हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 4986, दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भाटिण्डा ने लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक : 8-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 8 सितम्बर 1981

निदेश सं० ए० पी० 2747—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो टीऊना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भगवन्त दास चेला श्री पूरन दास गांव टीऊना, तह० व जिला भटिण्डा।

(अन्तरक)

(2) श्री बलविन्दर सिंह, मोहिन्दर सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह तथा लाभ सिंह, बोहर सिंह, गुरनेज सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, गांव व डाकखाना चुग कलां, तह० व जिला भटिण्डा।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 5002, दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा ने लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 8-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 8 सितम्बर 1981

निदेश सं० ए० पी० 2748—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव टीऊना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भगवन्त दास चेला श्री पूरन दास गांव टीऊना तह० व जिला भटिण्डा ।

(अन्तरक)

(2) श्री बलविन्दर सिंह, मोहिन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह व लाभ सिंह, बोहर सिंह, गुरतेज सिंह पुत्र सुखदेव सिंह. गांव व डाकखाना चुगा कलां तह० व जिला भटिण्डा।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 5077, दिनांक फरवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा ने लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 8-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 8 सितम्बर 1981

निर्देश सं० ए० पी० 2749—यत: मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इससे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो गांव टीऊना मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में, और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी, 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भगवन्त दास चेला श्री पूरन दास गांव टोऊना, तह० व जिला० भटिण्डा ।

(अन्तरक)

(2) श्री बलविन्दर सिंह, मोहिन्दर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह लाभ सिंह, बोहर सिंह, गुरतेज सिंह पुत्र सुखदेव सिंह गांव व डाकखाना चुघा कलां, तह० व जिला भटिण्डा ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर न० 2 मे लिखा है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे संपत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 5146, दिनांक फरवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा ने लिखा है ।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 8-9-1981

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एल. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 8 सितम्बर 1981

निर्देश न० ए० पी० न० 2750—यतः मुझे, आर० गिरधर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो बस्ती शेख जालन्धर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनाक जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण मे हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) श्रीमती मेल कौर पत्नि श्री बखशीश सिंह और केहर सिंह काबिल सिंह, पुत्रान मखन सिंह वासी बस्ती शेख जालन्धर

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गुरबचन कौर पत्नि श्री रोशन सिंह वासी डब्ल्यू० एस० 352 बस्ती शेख जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) कि जैसा ऊपर नं० 2 मे लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सपत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 6052 दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक : 8-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 8 सितम्बर, 1981

निदेश नं० ए० पी० नं० 2751—यतः मुझे, आर० गिरधर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव लिछड़ां में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तारका) और अन्तारिती (अन्तारितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तारिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती हरजिन्दर कौर, रेशम कौर पुत्रीयां श्री केसर सिंह, मारफत मुख्तयार श्रीमती रमन कौर विधवा श्री केसर सिंह वासी लिधड़ां तहसील व जिला जालधर

(अन्तरक)

(2) डा० टी० आर० जौसफ पुत्र श्री तुलसी राम और श्रीमती रोजी जोसफ पत्नी श्री टी० आर० जोसफ वासी सूरानूसी तहसील व जिला जालंधर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 6553, दिनांक जनवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक: 8-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 8 सितम्बर, 1981

निदेश सं० ग्० पी० 2752—यतः मुझे, आर० गिरधर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है?। तथा जो गांव मकसूदपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री गरीब दास पुत्र श्री हाकू राम वासी रवि दास नगर, जालन्धर

(अन्तरक)

(2) श्री शिव दर्शन लाला आनन्द पुत्र गिरधारी लाल मारफत मु० एवरवेयर मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी आनन्द नगर, जी० टी० रोड, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 5958 दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक: 8-9-1981

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 8 सितम्बर, 1981

निदेश नं० ए० पी० नं० 2753—यतः मुझे, आर० गिरधर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव मकसूदपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी, 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक को हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री गरीब दास पुत्र श्री हाकू राम वासी रविदास नगर जालंधर

(अन्तरक)

(2) श्री प्रेमलाल आनंद पुत्र श्री गिरधारी लाल मारफत मैं० एवटवेअर मनूफैक्चरिंग कं० जी०टी रोड, जालंधर

(अन्तरिती)

जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 5959 दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी में लिखा है ।

आर० गिरधर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालंधर

तारीख :8 :9 :81

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालंधर

जालंधर दिनांक 8 सितम्बर, 1981

निर्देश नं० ए०पी० नं० 2754—अतः मुझे आर० गिरधर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जमशेर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी 1981 ।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्ननिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री कुलदीप सिंह मुख्यमोरआम श्रीमती सुरजीत कौर विधवा नाजर सिंह तथा कृपाली कौर पत्नी नाजर सिंह तथा सन्तोख सिंह पुत्र नाजरसिंह वासी जमशेर जिला जालंधर ।

(अन्तरक)

(2) श्री मोहिन्दर सिंह, सन्तोख सिंह धारा सिंह दलजीतसिंह दविन्द्र सिंह पुत्रान प्रकाशसिंह वासी जमशेर खेड़ातान जिला जालंधर ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 6119 दिनांक जनवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर में लिखा है ।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालंधर

तारीख :8-9-81
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालंधर

जालंधर दिनांक 14 सितम्बर 81

निर्देश नं० ए०पी० 2767—यत: मुझे आर० गिरधर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है जो जालंधर में स्थित है (और इससे से उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री जगदीश मिश्र पुत्र सरणदास
श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी कुलभूषण
श्रीमती देवकी देवी विधवा
नन्दलाल मार्फित श्री कलभूषण पुत्र नन्दलाल और धर्मवीर पुत्र सरनदास वासी लक्ष्मीपुरा जालंधर
(अन्तरक)

(2) श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र सतपाल सिंह
और सतपाल सिंह पुत्र जीवन सिंह वासी नीला महल, जालंधर।
मार्फत प्रीमयर रबर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया, जालधर।
(अन्तरिती)

(3) जो ऊपर नं० 2 में है
इन्डस्ट्रयल एरया जालंधर
(वह व्यक्ति जिसके अधियोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधो-हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति और व्यक्ति जो कि विलेख नं० 6384 दिनांक जनवरी 1981 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालंधर

तारीख :14 :9 :81

मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालंधर

जालंधर, दिनांक 14 सितम्बर, 1981

निर्देश नं०ए०पी० नं० 2768--अत : मुझे आर० गिरधर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है जो नवाशहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नवाशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जनवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्रीमती हरजिन्दर कौर पत्नी जगजीत सिंह वासी गांव मूसा पुर तहसील नवाशहर जिला जालन्धर

(अन्तरक)

(2) श्री त्रिलोक चन्द और निर्मल कुमार पुत्र हंस राज और श्रीमती अमरत रानी पत्नी त्रिलोक चन्द और श्रीमति विजय कुमारी पत्नी निर्मल कुमार गांव राही तहसील नवाशहर जिला जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(जो व्यक्ति, जिसके अधियोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 3537 दिनांक जनवरी 81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवाशहर ने लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालंधर

दिनांक : 14 : 9: 1981
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 सितम्बर 1981

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2769——यतः मुझे आर० गिरधर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा जो नवांशहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नवांशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती हरजिनदर कौर पत्नी जगजीत सिंह वासों गांव मूसा पुर तहसील नवांशहर जिला जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री तरलोक चन्द और निर्मल कुमार पुत हंसराज और श्रीमति अमंत रानी पत्नी तरललोक चन्द और श्रीमति विजय कुमारी पत्नी निर्मल कुमार गांव राहीं तहसील नवांशहर जिला जालन्धर। (अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधो हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 3559 दिनांक जनवरी 1981 रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी नवांशहर में लिखा है।

आर गिरधर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर

तारीख : 14-9-1981

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 सितम्बर 1981

निदेश सं० ए० पी० 2770—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो नवांशहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नवांशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्रीमती हरजिन्दर कौर पत्नी जगजीत सिंह वासी गांव मूसापुर तहसील नवांशहर जिला जालन्धर। (अन्तरक)

(2) श्री तरलोक चन्द और निर्मल अमार पुत्र हंसराज और श्रीमति अमृतरानी पत्नी तरलोक चन्द और श्रीमती विजय कुमारी पत्नी निर्मल कुमार गांव राहों तहसील नवांशहर जिला जालन्धर है (अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 310 दिनांक फरवरी 1981 रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी नवांशहर में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 14-9-1981
मोहर :

प्रकरण आई० डी० ए० एम०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालंधर

जालंधर, दिनांक 10 सितम्बर 1981

निदेश सं० ए० पी० 2755—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा जो गांव रामीदी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हिलवां में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

(1) श्री निरमल सिंह बल पुत्र राम सिंह गांव रामीदी तह० ढिलवां मुख्तार आम हरनेक सिंह उर्फ गुरमेल सिंह पुत्र बारा सिंह वासी रामीदी तह० ढिलवां । (अन्तरक)

(2) श्री जसबीर सिंह सुरजीत सिंह पुत्र संतोख सिंह गांव रामीदी तहसील ढिलवां जिला कपूरथला । (अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है ।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1170 दिनांक फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ढिलवां ने लिखा है ।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 19-9-1081,
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालंधर

जालंधर, दिनांक 10 सितम्बर 1981

निर्देश सं० ए० पी० 2756—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव रामीदी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ढिलवां में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

(1) श्री गुरमेल सिंह उर्फ हरनेक सिंह, गांव रामीदी तह० ढिलवां, जिला कपूरथला।
(अन्तरक)

(2) श्री जसबीर सिंह, सुरजीत सिंह पुत्र संतोख सिंह गांव रामीदी, तह० ढिलवां जिला कपूरथला।
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर न० 2 में लिखा है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

व्यक्ति तथा संम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1201 दिनांक मार्च 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ढिलवां ने लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालंधर

तारीख :- 10-9-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 10 सितम्बर 1981

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2757—यतः मुझे आर० गिरधर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फिरोजपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्रीमती राज कुमारी विधवा किशन लाल वासी बगदी गेट, फिरोजपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री गुरदेव सिंह सुखदेव सिंह और श्रीमती रजिन्द्र कौर पत्नी श्री जवसन्त सिंह वासी इन्तसाईड दिल्ली गेट, फिरोजपुर ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 5699 दिनांक जनवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखा है ।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 10-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 10 सितम्बर 1981

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2758:—यतः मुझे, आर० गिरधर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो वीर कलोनी सुन्दर नगर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री कृशनलाल सागर पुत्र श्री तुलसीदास वासी मकान नं० 5838/2, वीर कलोनी (सुन्दर नगर) अबोहर। (अन्तरक)

(2) श्री प्रेम कुमार सचदेवा पुत्र श्री सोहन लाल वासी गांव धरागवाला तह० फाजिलका जिला फिरोजपुर। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति सेवा कि विलेख नं० 3304 दिनांक जनवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 10-9-1981

मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 10 सितम्बर 1981

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2759—यतः मुझे, आर० गिरधर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो वीर कलौनी (सुन्दर नगर) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख फरवरी 1981

प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्न लिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री कृशन लाल सागर पुत्र श्री तुलसीदास वासी मकान नं० 5838/2 वीर कलौनी (सुन्दर नगर) अबोहर (अन्तरक)

(2) श्री प्रेम कुमार सचदेवा पुत्र श्री सोहन लाल वासी गांव धरांग वाला, तहि० फाजिल्का जिला फिरोजपुर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पति मे रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 3635 दिनांक फरवरी 81 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी अबोहर में लिखा है।

(आर० गिरधर)
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 10-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 10 सितम्बर 1981

निर्देशश सं० ए० पी० 2760—यतः मुझे आर० गिरधर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनूसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्यआस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्रीमती मनजीत कौर पुत्री श्री रतन सिंह पत्नी हरदयाल सिंह वासी ग्रांव गुरहेह तहसील जगरांपी जिला लुधियाना

(अन्तरक)

(2) श्री मुहिन्द्र सिंह, कुलजीत सिंह सुपुत्र श्री गुरबचन सिंह वासी गाव हौजे खास तहि० फाजिलका जिला फिरोजपुर

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पति मे रुचि रखता है

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप.—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनूसूची

सम्पात तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2920 दिनांक जनवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी अबोहर में लिखा है ।

आर० गिरधर
सक्षम अधिकारी
सहायक अयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 10-9-1981

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 10 सितम्बर 1981

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2761—यतः मुझे आर० गिरधर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अब, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित, व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्रीमती कुशलिया देवी विधवा श्री लाजपतराय वासी गली नं० 8, मन्डी अबोहर

(अन्तरक)

(2) श्री वेद प्रकाश पुत्र विलोक चन्द वासी गली नं० 10, मन्डी अबोहर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है

(वह व्यक्ति, जिससे बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 3254 दिनांक जनवरी 1981, को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी अबोहर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 10-9-1981

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 10 सितम्बर 1981

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1762—यतः मुझे आर० गिरधर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मंडी अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अब अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:——

(1) श्री सत पाल पुत्र भूज लाल वासी गांव दतरानवाली तहसील फाजिल्का

(अन्तरक)

(2) श्री जै कृष्ण पुत्र चानन लाल वासी गली नं० 14-15, मन्डी अबोहर

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 3131 दिनांक जनवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी अबोहर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 10-9-1981

मोहर :

प्ररूप आई.टी.पी.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

जालन्धर

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 10 सितम्बर 1981

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2763—यतः मुझे आर० गिरधर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कपूरथला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान **प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 **(1922 का 11)** या उक्त अधिनियम, या **धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)** के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री बरजिन्द्रा सिंह पुत्र राजी हरमिन्दा सिंह वासी कपूरथला मुख्यातियार आम आफ श्रीमति डान सिंह उर्फ देविका पत्नी वर जिन्द्रा सिंह वासी कपूरथला

(अन्तरक)

(2) श्रीमती प्रमजीत कौर पत्नी मनजीत सिंह वासी कपूरथला, प्रितम देई विधवा श्री ज्ञान चन्द, रानी बाजार, मुहल्ला, सराफपुरा अमृतसर, श्री लाला वन्ता पत्नी अमर नाथ और वरशा रानी पत्नी जोगिन्द्रपाल वासी मुहल्ला जानकी दास कपूरथला

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित **हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 3153 दिनांक जनवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख 10-9-1981

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालंधर

जालंधर, दिनांक 10 सितम्बर 1981

निर्देश सं० ए० पी० 2764—यतः मझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कपूरथला में स्थित है (और इससे उपाबद्धमें अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बरजिन्द्रा सिंह पुत्र राजा हरमिन्दरा सिंह वासी कपूरथला मुख्तार आम श्रीमति धनसिंह उर्फ देविका पत्नी बरजिन्द्रा सिंह।

(अन्तरिक)

(2) श्री कैलाश कुमार पुत्र शरत चन्द, वासी, जे० जे० कलब कपूरथला, शकुन्तला गुलेरिया पत्नी जी० एस० गुलरीया, वासी मोहला सतनाम पुरा फगवाडा, हरबन्स लाल पुत्र शिव राम वासी मो० कसाबा कपूरथला, जागरलाल पुत्र मलुक सिंह वासी नजदीक जे० जे० क्लब कपूरथला, केवलराम मादान पुत्र मनोहर लाल मन्दिर सुदाँ जिला कपूरथला तरिप्ता मलचंदा पत्नी सतपाल, वासी लोहारी गेट करिशना गली, कपूरथला, प्रेम दत पुत्र मोहिन्द्र दत्त वासी कपूरथला

(अतरिता)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह पम्पति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके, पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 3192 दिनांक जनवरी 1981 को रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी कपूरथला ने लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 10-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 10 सितम्बर 1981

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2675—यतः मुझे आर० गिरधर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा जो कपूरथला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती ऊषा देवी पत्नी राजा हरमिन्द्रा सिंह वासी कपूरथला द्वारा वरजिन्द्रा सिंह पुत्र राजा हरमिन्द्रा सिंह मुख्तियार आम वासी कपूरथला
(अन्तरक)

(2) श्री बखशीश सिंह पुत्र श्री सीतल सिंह गांव डाक खाना मुखपुर जिला कपूरथला
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 3198 दिनांक जनवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है ।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 10-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 10 सितम्बर 1981

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2766—यतः मुझे आर० गिरधर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा जो कपूरथला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिशत से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री ज्ञान सिंह उर्फ देविका पत्नी श्री वरजिन्दा सिंह द्वारा श्री वरजिन्द्रा सिंह पुत्र राजा हरमिन्द्रा सिंह वासी कपूरथला मुख्तियारे आम

(अन्तरक)

(2) श्री अजय कुमार आनन्द, प्रेम पाल आनन्द जयशपाल आनन्द सुपुत्र श्री नवल किशोर आनन्द वासी शेखुदुरा जिला कपूरथला

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करता हूं कि पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 3210 दिनांक जनवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 10-9-1981

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज बंगलोर

बंगलोर दिनांक 27 अगस्त 1981

निर्देश सं० 354/81-82—यतः मुझे डा० वि० एन० ललितकुमार राव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० चलता नंम्बर 15 है जो बास्कोन्डा-गामा, गोवा, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, मार्मुगोवा गोवा अंडर डाक्युमेंट नंम्बर 8/81 दिनांक 7-1-1981 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जोस मारिया गेराल्डो सांचेस गीतांजली इमारत के पास, बास्कोन्डा-गामा, गोवा

(अन्तरक)

(2) सप्ले और असोसियेटस लोटस अपार्टमेंन्ट, एफ एल गोम्स रोड बास्कोन्डा-गामा, गोवा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करना हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

बास्कोन्डा-गामा, गोवा में स्थित खुला जगह जिसका नाम है "टेरेनो मीयमुंकुडेलम" और जिसका चलता नंम्बर है 15

डा० वि० एन० ललितकुमार राव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज बंगलोर ।

तारीख : 27-8-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना 411004

पूना 411004, दिनांक 8 सितम्बर 1981

निर्देश सं० सी० ए० 5/एस० आर० कल्याण जानेवारी/530/81-82—यत: मुझे शशिकान्त कुलकर्णी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या नं० 264 हिस्सा नं० 6 है तथा जो ठाकुरानी गांव, विष्णुनगर गोखले रोड, डोंनिवली में स्थित है (और इससे 'उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबंधक कल्याण में रजिस्ट्री करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 30 जनवरी 1981 ।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रावजी लालजी एंड कंपनी 3, उमीया निवास, मानेकलाल इस्टेट अग्रा रोड, घाटकोपर, बाम्बे-400086

(अन्तरक)

(2) श्री आर० वाय० भालोदकर चिटनीस शिवसदन सहकारी गृहरचना संस्था गोखले पथ, विष्णुनगर, डोंनिवली 421202 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन और इमारत जो स० न० 264, हिस्सा नं० 6, ठाकुरली गाव ता० कल्याण, डोंबिवली म्युन्सिपल एरिया में, विष्णुनगर, गोखले पथ, डोंनिवली (वेस्ट) में स्थित है ।

(जैसा की रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 228 जो 30-1-80 को दुय्यम निबंधक कल्याण के दफ्तर में लिखा है ।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 8-9-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 17 सितम्बर 1981

निर्देश सं० 516/अर्जन/81-82---अतः मुझ हृदय नारायण,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु से अधिक है

और जिसकी सं० प्लैट संख्या 186, 185 खाता संख्या 176, 181 सर्वे थाना संख्या 7, फुलवारी तौजी सं० 391 तथा जो ढकनपुरा जोबोरेंग रोड पटना से जाना जाता है में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 13 जनवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान-प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

10—296GI/81

(1) श्री प्रभात कुमार सिन्हा (2) श्री पंकज कुमार सिन्हा (3) श्री विनोद कुमार सिन्हा (4) श्री प्रेम कुमार सिन्हा सभी वल्द श्री गनेश लाल निवासी बोरींग रोड थाना कोतवाली, जिला पटना ।

(अन्तरक)

(2) श्री जय नारायण तिवारी वल्द श्री किशोरी तिवारी और (2) श्री जमुना पाठक वल्द स्व० सुखराम पटक दोनो निवासी बोरींग रोड, पटना

(अन्तरक

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अरारी जमीन तो मौजा ढकनपुरा अब जोरींग रोड, पटना से जाना जाता है में स्थित है एवं वह पूर्णरूप से बसिका संख्या 164 दिनांक 13-1-81 में वर्णित है तथा जिसका पंजीकरण जिला अबर निबन्धक पदाधिकारी पटना द्वारा संम्पन्न हुआ है ।

हृदय नारायण
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षत्र,
बिहार, पटना

तारीख 17-9-81
मोहर ।

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपूर
बंगलूर, दिनांक 5 सितम्बर 1981

निर्देश सं० सि० आर० 62/29450/80-81/एसिक्यू०

बी—यतः मुझ डा० वी० एन० ललितकुमारराव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 40/7, है, तथा जो मिल्लर्स रोड, सिविल स्टेशन, बंगलूर, में स्थित है (और इस से उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजीनगर बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 8 जनवरी 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) (1) वसंता वेंकटेशुलु, (2) श्रीमति, वरलक्ष्मा विजयकुमार (3) श्रामति वनजा रविचंद्रा, (4) श्रीमती, वा० बालाजीराव, सं० 47/7, मिल्लर्स रोड, बंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स, एस० और वे० प्रापर्टीस प्रायिवेट लिमिटड, अहलान्टा बिल्डीग, नारीमन पोयिंट, बंबई ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 3621/80-81 ता० 8-1-1981)

संपत्ति जिसका सं० 40/7 है, तथा जो मिल्लर्स रोड, सिविल स्टेशन बंगलूर में स्थित है।

चकबन्दी है :—

उ—में प्रायिवेट संपति ।
द—में प्राइवेट संम्पति ।
पू—में प्राइवेट संम्पति ।
प—में अप्रोच रोड ।

डा० वी० एन० ललितकुमार राव
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक 5-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० चण्डी०/313/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसका सं० प्लाट नं० 3073, है तथा जो सैक्टर, 35, डी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 1 जनवरी 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) कप्तान जोगिन्द्र सिंह सपुत्र स्वर्गीय श्री डा० सावन सिंह निवासी मिलिटरी फार्म कानपुर उ० प्र० माध्यम श्री दीना नाथ खन्ना सपुत्र श्री नन्द लाल खन्ना निवासी एस० सी० एफ० न० 89, सैक्टर चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अरुण दत्ती पत्नी श्री हरी सिंह निवासी मकान नं० 3211, सैक्टर 35-डी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 3073, सैक्टर, 35 डी, चण्डीगढ़ में स्थित है।

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विलेख संख्या 1792 जनवरी, 1981 में दर्ज है)

सुखदेव चन्द
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 19 सितम्बर 1981
मोहर

प्रारूप आई० टी० एम० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० चण्डी०/308/80-81—यतः मुझे सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 1373, है तथा जो सैक्टर 34-सी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अधिः नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुवि । के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेजर जरनैल सिंह अन्तल सपुत्र श्री एस० एस० अन्तल निवासी मकान नं० 3828, सक्टर 19-डी, चण्डीगढ़ ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जगदीश भमबारी पत्नी श्री सतपाल भमबारी और श्री सतपाल भमबारी सपुत्र श्री किरपाल राम निवासी 3087, सैक्टर 23-डी, चण्डीगढ़ ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 1373, सक्टर 35-सी, चण्डीगढ़ में स्थित है ।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या 1765 जनवरी, 1982 में दर्ज है) ।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 19 सितम्बर 1981
मोहर.

अक्स आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० खरड़/40-80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 76 सी है तथा जो फेज-II-बी, 1, म० हा० ली०, जिला रोपड़ में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, खरड़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1/81

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री टिकम चन्द बली और अमृता बली निवासी 2866 सैक्टर 22, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री हरदी सिंह ढिल्लों सपुत्र श्री तेजा सिंह निवासी गांव बलोगी, तहसील खरड़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 76, सी, फेज-II बी०-1, मोहली, जिला रोपड़। (जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खरड़ के कार्यालय के विलेख संख्या 4983 जनवरी 81 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 19 सितम्बर 1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० चण्डी/314/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 3015 है तथा जो सैक्टर 35-डी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1/81

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

(1) श्री मंहगा सिंह मार्फत राये सिंह निवासी मकान नं० 1191 सैक्टर 8-सी, चण्डीगढ़ ।

(अन्तरक)

(2) श्री जोगिन्द्र सिंह सपुत्र श्री दसौदा सिंह, निवासी मकान नं० 242, सक्टर 22-ए, चण्डीगढ़ ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं; वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 3015 सैक्टर 35-डी, चण्डीगढ़ ।

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या 1793 जनवरी, 1981 में दर्ज है) ।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 19 सितम्बर 1981

मोहर ।

प्रारूप आई० टी० एस० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० चण्डी/310/80-81—अतः, मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 3330-पी है तथा जो सैक्टर 32-डी, चण्डीगढ़, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री जय राम दसुआर, मकान नं० 898/10, ब्लाक नं० 23 शिवा जी नगर, समराला रोड़ लुधियाना (अन्तरक)

(2) श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी श्री पूर्ण सिंह, नं० 182/23 इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, चण्डीगढ़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 3330 पी० सैक्टर 32-डी चण्डीगढ़।

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या 1778 जनवरी 1981 में दर्ज है)।

सुखदेव सिंह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज लुधियाना

तारीख : 19 सितम्बर 1981
मोहर :

प्ररूप आई टी एन.एम ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० लुधियाना /412/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 38-एल० है तथा जो भाई रणधीर सिंह नगर, फिरोजपुर रोड़ लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 1/81

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नयाब सिंह सपुत्र श्री भान सिंह निवासी भुर्ज हमेरा तहसील मोगा, जिला फरीदकोट ?

(अन्तरक)

(2) श्री सुरिन्द्र सिंह चीमा सपुत्र श्री रघुनाथ चीमा निवासी तलवाड़ा जिला होशियारपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 38-एल० भाई रणधीर सिंह नगर, फिरोजपुर रोड़ लुधियाना पर स्थित है।

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 5622 जनवरी, 1981 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 19 सितम्बर 1981

मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० चण्डी०/320-80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 2[, 000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 655, है तथा जो सैक्टर 33-बी, चण्डीगढ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :---

(1) श्री कर्मपाल सिंह सपुत्र श्री करतार सिंह सिधू निवासी चकशेरांवाला, तहसील मुक्तसर जिला फिरोजपुर अब निवासी 62 कवालरी मार्फत 56 ए०पी० ओ० माध्यम श्री गजिन्द्र सिंह सपुत्र श्री किशान सिंह निवासी मकान नं० 216 सैक्टर 9-सी चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री दलजीत सिंह अबरोई सपुत्र श्री अर्जुन सिंह और श्रीमती सुषमा अबरोई पत्नी श्री दलजीत सिंह अबरोई निवासी 53, नपियर रोड अम्बाला कैंट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 655 सैक्टर, 33-बी, चण्डीगढ में स्थित है।

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या 1842 जनवरी, 1981 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 19 सितम्बर 1981

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० पटियाला/113/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 2132 है तथा जो मोहाली कोठी जुल्मगढ़ पराना थाना सदर पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, पटियाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री सिलिन्दर कुमार, 26 भूपिन्द्र नगर, पटियाला। (अंतरक)

(2) श्री सुधीर कुमार, पुष्पीन्द्र कुमार और सुशील कुमार सपुत्र श्री हरबन्स लाल और श्री हरबन्स लाल सपुत्र काश्मीरी लाल, निवासी मकान नं० 2313/1, सथ घड़ी गली, पटियाला। (अंतरिती)

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 2132, मोहाली कोठी जुल्मगढ़ पुराना थाना, सदर, पटियाला।

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय के विलेख सं० 7069 जनवरी 1981 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 19 सितम्बर 1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयुकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० चण्डीगढ़/317/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 1155 है तथा जो सैक्टर 34-सी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती चरणजीत कौर पत्नी श्री मुखवन सिंह माध्यम श्री मनजीत सिंह सपुत्र श्री मदन सिंह निवासी 55, सैक्टर, 15-ए चण्डीगढ़ ।

(अंतरक)

(2) श्रीमती सुनेना रानी अनन्द पत्नी श्री बी० डी० अनन्द निवासी 1030, सैक्टर 27-बी, चण्डीगढ़।

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; ,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 1155 सैक्टर 34-सी, चण्डीगढ़ में स्थित है ।

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या 1822 जनवरी, 1981 में दर्ज है) ।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 19 सितम्बर 1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना
लुधियाना, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० चण्डी/319/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 1120 है तथा जो सैक्टर 33-सी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री गुरचरण सिंह सपुत्र श्री हजूर सिंह, 48, सैक्टर 15-ए चण्डीगढ़।

(अंतरक)

(2) डा० सुशील चन्द्रा गुप्ता, बी-38, स्वामी नगर, नई दिल्ली।

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 1120 सक्टर 33-सी, चण्डीगढ़ में है।

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या 1839 जनवरी, 1981 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 19 सितम्बर 1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन लुधियाना

लुधियाना, दिनाक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० चण्डीगढ़/305/80-81---अत. मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 1348 है तथा जो सैक्टर 33-सी, चण्डीगढ़ मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का सम्बन्ध प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप मे कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री अमर सिंह सपुत्र श्री किशन सिंह, श्री देवीन्द्र सिंह सपुत्र अमर सिंह और श्रीमती हरिन्द्र पाल कौर पत्नी श्री अमर सिंह सभी निवासी, ई-37 मराभा नगर, लुधियाना ।

(अंतरक)

(2) श्री गुलजार सिंह सपुत्र श्री रुलिया सिंह गिल, निवासी 4, ट्रान्सपोर्ट ऐरिया, चण्डीगढ़ ।

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 1348, सैक्टर 33-सी, चण्डीगढ़ में है ।

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या 1750 जनवरी, 1981 में दर्ज है) ।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 19 सितम्बर 1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनाक 19 सितम्बर 1981

निर्देश स० चण्डी/315/80-81—अत: मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी स० प्लाट न० 411 है तथा जो सैक्टर, 30-ए, चण्डीगढ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ म,. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अब अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री जसपाल सिह मथाणू सपुत्र श्री सर्वन सिह मथाडू निवासी 189 बी, इन्डस्ट्रीयल एरिया, चन्डीगढ ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती हरमन्दर माथाडु पत्नी श्री सतपाल सिह निवासी 13, एम० डब्ल्यू० इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, चण्डीगढ़ ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हू।

उक्त सम्पत्ति क अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप.—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद म समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति मे हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट न० 411 सैक्टर 30-ए चण्डीगढ़ मे स्थित है।

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चण्डीगढ के कार्यालय के विलेख सख्या 1809 जनवरी, 1981 मे दर्ज है)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, लुधियाना

तारीख 19 सितम्बर 1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० चण्डी/304/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 2243 है तथा जो सैक्टर 21-सी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में तात्त्विक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्रीमती सर्वण कौर पत्नी श्री बलवन्त सिंह निवासी 6827, टोबाज क्यू एम० डब्लू० कैलगरी (कनाडा)—98498, यू० एस० ए० ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती बलबीर कौर ब्रिचर पत्नी स्वर्गीय श्री बलदेव सिंह ब्रिचर मे० ब्रिचर हिल, शिमला ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करता हूं कि पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 2243 सैक्टर 21-सी० चण्डीगढ़ में स्थित है।

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या 1747 जनवरी, 1981 में दर्ज है).

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 19 सितम्बर 1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० खरड़ 44/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 1764 है तथा जो फेज III बी-2, मोहाली, जिला रोपड़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, खरड़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री रणजीत सिंह और गुरमीत सिंह सपुत्र श्री बलदेव सिंह निवासी 329, सैक्टर 35 ए० चण्डीगढ़ ।

(अंतरक)

(2) लैफि० कर्नल दलीप सिंह सपुत्र श्री किशन सिंह, निवासी 1607-III -बी, 2 मोहाली, जिला रोपड़ ।

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 1764, फेज-III, बी०, 2 मोहाली, जिला रोपड़ ।

(जायदाद जो रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी खरड़ के कार्यालय के विलेख संख्या 5085 जनवरी 1981 में दर्ज है)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 19 सितम्बर 1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० खरड/43/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 10 सी है तथा जो फेज-III ए०, एस० ए० एस० नगर (मोहाली) जिला रोपड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय खरड मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी 1981

को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात :—

12—296GI/81

(1) श्री के० एल० नय्यर माध्यम श्री रमेश चन्द्र निवासी 627, फेज-1, मोहाली ।

(अंतरक)

(2) श्रीमती सनेह प्रभा पत्नी श्री एम० के० वर्मा निवासी 627 फेज-1, मोहाली, जिला रोपड़ ।

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 10 सी फेज-III-ए०, एस० ए० एस० नगर (मोहाली) जिला रोपड़ ।

(जायदाद जो रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी खरड़ के कार्यालय के विलेख संख्या 5055 जनवरी 1981 मे दर्ज है)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 19 सितम्बर 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० चण्डीगढ़/318/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चंद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, सिका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं०-1676, सैक्टर 35 डी० है तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्री एन० के० परमात्मा सिंह, पुत्र श्री रूप सिंह, एम० टी० कम्पनी (यू० आर० ओ०) इनफैंटरी स्कूल, महाऊ (म० प्र०)

(अंतरक)

(2) श्री सुच्चा सिंह, पुत्र श्री बाबू सिंह तथा श्रीमती चरंजीत कौर पत्नी श्री सुच्चा सिंह, निवासी 3397 सेक्टर 35-डी, चण्डीगढ़।

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नम्बर 1676, सेक्टर 35 डी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जो रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख (डीड) संख्या 1829 जनवरी 1981 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 19 सितम्बर 1981
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 10 सितम्बर 1981

स० नं० पी० आर० नं० 1406 अर्जन रेंज 23-I/81-82—

अत: मुझे, जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस० नं० 1 प्लान नं० 2 प्लाट नं० 17 शीट नं० 4 "जी" है तथा जो पेलेस रोड, जामनगर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-1-81 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) छोटालाल नाथालाल शार एण्ड अन्य की ओर से श्री मफतलाल मगनलाल न्यू सूपर मारकेट, जामनगर (अन्तरक)

(2) श्री शान्तीलाल फवराभाई महेता और अन्य "फ्रिण्डकुंज" टाउन हाल के नजदीक जामनगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसकी सर्वे नं० 1, प्लान नं० 2 प्लाट नं० 17, शीट नं० 4 "जी" जिसका फुल क्षेत्रफल 14750 वर्ग फीट है तथा पेलेस रोड जामनगर में स्थित है तथा जो जामनगर में रजिस्ट्री बिक्रत खत नं० 126/15-1-1981 में पूर्ण वर्णन दिया गया है ।

जी०सी० गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

दिनांक 10-9-81
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद
अहमदाबाद, दिनांक 10 सितम्बर 1981
रेफ नं० पी० आर० नं० 1407 अर्जन रेज 23-I/81-82

—अतः मुझे, जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसक सं० सर्वे नं० 1021-जमीन है तथा जो वेजलपुर जिला-अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 27-1-81,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री प्रियकान्त अफोरलाल मनसा न्यु शारदा मंदिर रोड, ऐलिस ब्रिज, अहमदाबाद

(अन्तरक)

(2) रमनलाल मनसुखलाल परीख "आहिरबाद" बगला नं० 16, इन्कलाब सोसायटी, गुलबर्ट टेकरा, ऐलिस-ब्रिज अहमदाबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 1 एकड़ 34 गुंठा है सर्वे नं० 1021 है, तथा जो वेजलपुर जिला अहमदाबाद में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन अहमदाबाद रजिस्ट्री बिक्री खाता नं० 1019/27-1-81 में दिया गया है।

जी० सी० गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज I, अहमदाबाद।

दिनांक 10-9-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनाक 11 सितम्बर 1981

रेंफ० नं० पी० आर० नं० 1409 अर्जन रेंज 23-I/81-82

--अत: मुझे, जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० टी० पी० ऐस० 3 सर्वे पी० 605 नं० 1/ए/2 एण्ड 1/ए/3 है तथा जो 1/अ/1 कोचरब अहमदाबाद में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-1-81 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कन्हैयालाल जेसींगभाई चीनाई और अन्य चीनाई बाग, ऐलिसब्रिज अहमदाबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री जसीन जयन्तीलाल शाह मुख्य कर्त्ता चेतलया को० ओ० हां० सो० अहमदाबाद एच० के० हाउस, आश्रम रोड, अहमदाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 1070 वर्गमीटर है 1507.63 वर्ग मीटर और 618.37 वर्ग मीटर हैं। एफ० पी० नं० 605, टी० पी० एस० 3, सब प्लाट नं० 1/ए/1, 2 और 3 तथा जो कोचरब अहमदाबाद में स्थित है तथा जिसका पुरण विर्णन अहमदाबाद रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं० 1136/27-1-1981 में दिया गया है ।

जी० सी० गर्ग

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद ।

दिनांक : 11-9-81

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज–I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 सितम्बर, 1981

एफ० नं० पी० आर० नं० 1408 अर्जन रेंज 23-I/81-82— अतः मुझे, जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 14-1 थैफी है.। तथा जो जूनगाढ़ जिला राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जूनागढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 6-1-81, को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. (1) श्री जाडेजा सुजान सिंह जी गोविंद सिंह जी कर्ता एफ० एच० यू० एफ०
विलेज—गनोल, तालुका—उपलेटा, जिला राजकोट
(2) जाडेजा बलभद्र सिंह जी गोविंद सिंह जी
कर्ता एफ० एच० यू० एफ०
विलेज गनोल तालुका-उपलेटा, जिला राजकोट
(अन्तरक)

2. (1) बा श्री देवकुंवर बा हेमन सिंह जी गोहिल, वेजलका
श्री सुरेशचन्द्र मनीलाल संघवी
गांव—वडाल
दोनों के/आफ सी० एन० दफ्तरी
छाया बजार, जनागढ़ ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप.—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 7 एकड़ +7 एकड़ है जिसका सर्वे नं० 14-1 थैफी जो जूनागढ़ सीम जूनागढ़ में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन बिक्री दस्तावेज नं० 57 और 58/6-1-81 में दिया गया है।

जी० सी० गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

दिनांक : 11-9-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 16 सितम्बर 1981

निर्देश संख्या अम्बाला/131/80-81—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० सी०-7, नया नं० 625-बी-9, है तथा जो माडल टाउन, अम्बाला शहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अम्बाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्रीमति त्रिपता शर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार म० नं० 6-7, कैलाश नगर, माडल टाउन, अम्बाला शहर।

(अन्तरक)

2 (1) श्री रणबीर सिंह कोहली पुत्र श्री कर्ण सिंह (2) श्रीमति जोगिन्दर कौर पत्नी श्री रणधीर सिंह नि० 430-ए, माडल टाउन, अम्बाला शहर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति मकान नं० सी-7 नया नं० 625-बी-9, कैलाश नगर, माडल टाउन, अम्बाला शहर में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय अम्बाला में रजिस्ट्री संख्या 4611 दिनांक 13-1-1981 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख : 16-9-1981
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 16 सितम्बर 1981

निर्देश सं० रतिया/1/80-81—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी भूमि 12 कनाल 8 मरले है तथा जो रतिया में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रतिया मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप मे कथित नहीं किया गया है --

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. सर्वश्री राधा राम, पदम कुमार, पुष्प कुमार, मोहन लाल, मूल चन्द पुत्रान श्री प्रकाश चन्द नि० रतिया जि० हिसार।

(अन्तरक)

2. मै० मॉडर्न पेपर बोर्ड मिल्ज, रतिया जिला हिसार।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति 12 कनाल 8 मरले रतिया मे स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय रतिया में रजिस्ट्री संख्या 2063 दिनांक 7-1-81 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 16-9-1981

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक
रोहतक, दिनांक 16 सितम्बर 1981

निर्देश सं० गुड़गांवा/137/80-81—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० तिमंजिली रिहायशी इमारत 56.80 वर्ग गज भूमि के साथ है तथा जो सिविल लाईन्ज, गुड़गांवा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुड़गांवा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्रीमति सुशीला रानी पत्नी राजा रती राम] माफत श्री देवेन्द्र कुमार बजाज, 2ई-45, गोपीनाथ बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) 1. श्रीमति आनन्दी देवी पत्नी श्री चेलू राम, नि० नन्द गर्म, जि० बून्दी।
2. श्री चेलूराम पुत्र तोता राम, बखेन जि० बून्दी (राजस्थान)।
3. श्री महाबीर सिंह पुत्र चेतू राम नि० निकारास जि० बून्दी
4. ले० कर्नल कृष्ण लाल पुत्र राम सिंह नि० ईशापुर जि० बुलन्द
5. श्री बलवान सिंह पुत्र श्री टीला राम नि० हकजी जिला बुलन्द
6. श्रीमति बिमला यादव पत्नी बलबीर सिंह नि० 117/आई० एन० ब्लैक, कानपुर (उ० प्र०)
7. श्री भजनलाल पुत्र श्री राम सिंह नि० ईशापुर जि० बुलन्द
8. श्री दयाराम पुत्र गिरधारी यादव नि० हरथ जि० सहारनपुर (उ० प्र०)
9. श्री मदनलाल पुत्र कर्नल राम सिंह नि० ईशापुर जि० बुलन्द

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तिमंजलि रिहायशी बिल्डिंग, 5680 व० ग० भूमि के साथ सिविल लाइन्ज, गुड़गांवा में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय गुड़गांवा में, रजिस्ट्री संख्या 5172 दिनांक 26-2-1981 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख : 16-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 16 सितम्बर 1981

निर्देश सं० सोनीपत/91/80–81—अतः मुझे, गो०सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 4300 व० ग०(7 कनाल 2 मरला) है तथा जो कुन्डली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सोनीपत मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में और उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1 श्री जिले सिंह पुत्र अमन सिंह गांव कुन्डली

(अन्तरक)

2 श्री अनिल पाहवा एवम् सजय पाहवा पुत्रान श्री मोहन लाल पाहवा नि० 61/3, राम जस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति 4300 व० ग० (7 कनाल 2 मरले) कुन्डली मे स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिट्रीस्कर्ता के कार्यालय सोनीपत मे रजिस्ट्री सख्या 3647 दिनांक जनवरी, 1981 पर दिया है ।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 16-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 16 सितम्बर 1981

निर्देश सं० सोनीपत/90/80-81—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 4390 व० ग० (7 क 7 म) है तथा जो कुन्डली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सोनीपत में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, जनवरी 81

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्यमान प्रतिफल से, ऐसे व्यमान प्रतिफल का** पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक **रूप से कथित नहीं किया गया है:—**

(क) वास्तव में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण **में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों इत्यादि,—**

1. श्री अमन सिंह पुत्र किशन चन्द गांव कुन्डली (अन्तरक)
2. श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री मेला राम नि० 3/सी, न्यू रोहतक रोड, देहली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 4390 व० ग० (7 क 5 म) कुन्डली में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय सोनीपत में रजिस्ट्री संख्या 3646 दिनांक जनवरी 1981 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 16-9-1981
मोहर :

प्रारूप आई०टी०एन०एस०-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 16 सितम्बर 1981

निर्देश सं० सोनीपत/92/80-81—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 4300 व० ग० (7 क० 2 म०) है तथा जो कुन्डली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सोनीपत में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी, 81

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से वर्णित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्री धमवीर पुत्र श्री अमन सिंह नि० गांव कुन्ड ी (अन्तरक)
2. श्री मति रुबी पाहवा पत्नी श्री मुकेश पाहवा नि० 61/8, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त आयनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 4300 व० ग० (7 क० 2म०) कुन्डली में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय सोनीपत में रजिस्ट्रीकरण संख्या 3648 दिनांक जनवरी, 1981 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 16-9-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 16 सितम्बर 1981

निर्देश सं० पानीपत/91/80—81—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसका मकान नं० 317/आर० एम० टी० है तथा जो पानीपत में स्थित में (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पानीपत में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), के अधीन, तारीख जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री हुशंकी राम मकान नं० 317/आर, माडल टाउन, पानीपत।

(अन्तरक)

2. श्री शुशील कुमार एवम् रविन्द्र कुमार पुत्रान श्री लक्ष्मीनारायण, मकान नं० 317/आर, माडल टाउन, पानीपत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति मकान नं० 317/आर, माडल टाउन, पानीपत में स्थित है जिसका अधिक विवरण, रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, पानीपत में, रजिस्ट्री संख्या 4669, दिनांक 20-1-81 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 16-9-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 16 सितम्बर 1981

निर्देश सं० बल्लभगढ़/223/80—81—अत. मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 63/15 है तथा जो फरीदाबाद मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बल्लभगढ़ मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिकी (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती बनारसी देवी पत्नी श्री एस० के० सचदेवा, नि० 63/15, फरीदाबाद ।

(अन्तरक)

2. श्री मोहन लाल गुप्ता पुत्र श्री हरी राम गुप्ता नि० मकान नं० 63, सेक्टर-15, फरीदाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति मकान नं० 63/15 (क्षे० 350 व० ग०) फरीदाबाद में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय बल्लभगढ़ में रजिस्ट्री संख्या 1001, दिनांक 8-1-1981 पर दिया है ।

गो० सि० गोपाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख: 16-9-1981

मोहर]

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 16 सितम्बर 1981

निर्देश सं० रोहतक/57/80-81—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० दुकानें 34 एवम् 35, देहली रोड है तथा जो रोहतक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रोहतक में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम किशन शर्मा पुत्र श्री रती राम नि० कोठी नं० 227-ए, माडल टाउन, रोहतक ।

(अन्तरक)

2. श्री देश राज पुत्र श्री बोध राज पुत्र श्री सोहना राम नि० 759/20, शक्ति नगर, ग्रीन रोड, रोहतक ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; या

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति दुकानें 34 एवम् 35, वार्ड नं० 28, देहली रोड, माडल टाउन, रोहतक में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, रोहतक में रजिस्ट्री संख्या 5179 दिनांक 3-3-81 पर दिया है ।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 16-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 16 सितम्बर 1981

निर्देश सं० अम्बाला/132/80—81—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 4, कैलाश नगर है तथा जो अम्बाला छावनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अम्बाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती राजेन्द्र कौर विधवा श्री जयमल सिंह अम्बाला शहर ।

(अन्तरक)

2. श्री अमस कुलतास सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह मार्फत पंजाब एण्ड सिंध बैंक, सेक्टर-17, चण्डीगढ़ ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप।—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति मकान नं० 4, कैलाश नगर, अम्बाला छावनी में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय अम्बाला में रजिस्ट्री संख्या 4562, दिनांक 9-1-81 पर दिया है ।

गो० सि० गोपाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 16-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 16 सितम्बर 1981

निर्देश सं० पानीपत/116/80-81—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 320—322, वार्ड नं० 5, मुख्य बाजार, पानीपत है तथा जो पानीपत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पानीपत में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मंगत राम पुत्र गोबिन्द राम म० नं० 2, वार्ड नं० 3, पानीपत ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती लालावती पत्नी श्री ओमप्रकाश नि० म० नं० 264, वार्ड नं० 1, पानीपत ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण ।—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति दुकान नं० 320 से 322, वार्ड नं० 5, मुख्य बाजार, पानीपत में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय पानीपत में रजिस्ट्री संख्या 4638, दिनांक 20-1-81 पर दिया है ।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख: 16-9-1981
मोहर :

14—296GI/81

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, रोहतक

रोहतक, दिनाक 16 सितम्बर 1981

निर्देश सं० बल्लभगढ़/238/80-81—अत मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट न० 10, ब्लाक-ए, सेक्टर 11 है तथा जो फरीदाबाद मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बल्लभगढ मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है --

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री मथुरा लाल पुत्र श्री रूप राम श्री रग लाल पुत्र सावालिया माडल टाउन फरीदाबाद ।

(अन्तरक)

2. श्री गुलशन लाल वोहरा पुत्र श्री बाल मुकन्द एवम् श्रीमती मीना वोहरा पत्नी श्री गुलशन लाल वोहरा नि० 1848, सेक्टर 22 बी, चन्डीगढ़ ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति प्लाट न० 10, ब्लाक-ए, सेक्टर 11, क्षे० 1000 व० ग० फरीदाबाद मे स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय बल्लभगढ़ मे रजिस्ट्री संख्या 10288 दिनाक 15-1-1981 पर दिया है ।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, रोहतक

तारीख: 16-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०, एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 16 सितम्बर 1981

निर्देश सं० बल्लभगढ़/233/80-81—अत. मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० औद्योगिक प्लाट नं० 92, क्षेत्र 1741 व० ग०, डी०एल०एफ० औद्योगिक इस्टेट नं० 1 है तथा जो फरीदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बल्लभगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात: —

1. श्री शिवलाल अधलखा पुत्र श्री गंगा राम प्रो० मै० टैक्स-टाइल हाउस, अजमलखां रोड, करोल बाग, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. म० महाजन एण्ड कम्पनी, द्वारा श्री एन० के० महाजन नि० 181, सेक्टर 15, फरीदाबाद ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति औद्योगिक प्लाट नं० 92, क्षे० 1741 व० ग०, औद्योगिक इस्टेट नं० 1, फरीदाबाद में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय बल्लभगढ़ में रजिस्ट्री संख्या 10176, दिनांक 14-1-1981 पर दिया है ।

गो० सि० गोपाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 16-9-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 16 सितम्बर 1981

निर्देश सं० बल्लभगढ़/20/81-82—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान मुख्य बाजार में है तथा जो फरीदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बल्लभगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

2. श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र श्री रामा नन्द नि० पुराना फरीदाबाद ।

(अन्तरक)

2. श्री दत्ता राम पुत्र श्री बधू राम हंस नि० मकान नं० 104, सेक्टर 18-ए, पुराना फरीदाबाद (हरियाणा) ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति दुकान मुख्य बाजार पुराना फरीदाबाद में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय बल्लभगढ़ में रजिस्ट्री संख्या 1292, दिनांक 28-4-1981 पर दिया है ।

गो० सि० गोपाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 16-9-1981
मोहर]

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- , मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 अक्तूबर, 1981

निदेश सं० 11324—अतः मुझे, राधा बालकृष्णन आयकर अधिनियम, , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० टी० एस० 12/186/1, है तथा जो सनगबर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकरर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बटूर (डाक्युमट सं० 90/81 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का 16 1908 के अधीन जनवरी 81

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ---

(1 श्री सुन्दररामन

(अन्तरक)

(2) कृष्णस्वामी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और निर्माण-15, बारत पारक रोड, कोयम्बतूर (डाक्युमेंट सं० 90/81)

राधा बालकृष्णन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण).
अर्जन रेंज-II, मद्रास।

दिनांक: 17-9-1981
मोहर :

संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा—मई, 1982

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्तूबर, 1981

सं० एफ० 8/4/81-प० I(ख)—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नांकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 9 मई, 1982 से एक सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा आयोजित की जायेगी :—

पाठ्यक्रम का नाम	रिक्तियों की संभावित सं०
(1) भारतीय सेना अकादमी, देहरादून (जनवरी, 1983 में प्रारम्भ होने वाला 74वां पाठ्यक्रम)	120 [एन० सी० सी० 'सी' प्रमाणपत्र (सेना स्कंध) प्राप्त उम्मीदवारों के लिये आरक्षित 32 रिक्तियां सम्मिलित हैं।]
(2) नौ सेना अकादमी, कोचीन (जनवरी, 1983 में प्रारम्भ होने वाला पाठ्यक्रम)	55

(नौ सेना विमानन के लिये 20 और सामान्य सेवाओं के लिये 35 रिक्तियों में एन०सी०सी० 'सी' प्रमाण-पत्र धारियों के लिये आरक्षित 6 रिक्तियां सम्मिलित हैं।)

(3) वायु सेना अकादमी ए० एफ० ए० सी०, कोइम्बतूर [जनवरी, 1983 में प्रारम्भ होने वाले 133वें एफ० (पी०) के लिये उड़ान-पूर्व प्रशिक्षण कोर्स] ...50

[एन० सी० सी० (वायु सेना स्कंध) प्रमाण-पत्र धारियों के लिये 15 आरक्षित रिक्तियां सम्मिलित हैं]

(4) अधिकारी प्रशिक्षण शाला, मद्रास (मई, 1983 में प्रारम्भ होने वाला 37वां कोर्स)...268

ध्यान दें :—(i) उम्मीदवार को आवेदन-पत्र के कालम 8 (ख) में यह स्पष्ट रूप से बतलाना होगा कि वह किन सेवाओं के लिये वरीयता क्रम में विचार किये जाने का इच्छुक है। उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह अपनी इच्छानुसार जितना चाहे उतनी वरीयताओं का उल्लेख करे ताकि योग्यता क्रम में उसके रैंक को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करते समय उसकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

विशेष ध्यान :—(ii) स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिये इस परीक्षा के भा० सैन्य अकादमी कोर्स के बचे हुए उम्मीदवार यदि बाद में इस कोर्स के लिये विचार किये जाने के इच्छुक हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अल्पकालीन सेवा कमीशन (गैर-तकनीकी) प्रदान करने के लिये विचारण योग्य हो सकते हैं चाहे उन्होंने अपने आवेदन-पत्रों में इस कोर्स के लिये अपनी पसंद नहीं बताई है :—

(i) अल्पकालीन सेवा कमीशन (गैर-तकनीकी) कोर्स के लिये प्रतियोगी सभी उम्मीदवारों को लेने के बाद भी कमी है, और

(ii) जो उम्मीदवार अल्पकालीन सेवा कमीशन (गैर-तकनीकी) हेतु वरीयता व्यक्त न करने पर भी प्रशिक्षण के लिये भेजे जाते हैं, उन्हें योग्यता सूची के क्रम में उस अंतिम उम्मीदवार के बाद रखा जाएगा जिसने इस कोर्स के लिये विकल्प सूचित किया है क्योंकि ये उम्मीदवार उस कोर्स में प्रवेश पा जायेंगे जिसके वे व्यक्त वरीयता के अनुसार हकदार नहीं हैं।

नोट I—एन० सी० सी० 'सी' प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध)/(वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग) प्राप्त उम्मीदवार नौसेना अकादमी तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन (गैर-तकनीकी) पाठ्यक्रमों की रिक्तियों के लिये भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं। चूंकि अभी तक उनके लिये इन पाठ्यक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है अतः पाठ्यक्रमों में रिक्तियों को भरने के लिये उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह समझा जाएगा। जिन उम्मीदवारों को अभी भी एन० सी० सी० 'सी' प्रमाण-पत्र (सेना-स्कंध)/(वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग) की परीक्षा अभी उत्तीर्ण करनी है, किन्तु अन्यथा वे आरक्षित रिक्तियों के लिये प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हों, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं किन्तु उन्हें एन० सी० सी० 'सी०' प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध)/(वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग) की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि आई० एम० ए०/एस० एस० सी० (एन० टी०) प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में सेना मुख्यालय भर्ती 6(एस० पी०) (ग) नई दिल्ली-110022 तथा नौ-सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में नौ-सेना मुख्यालय/आर० एण्ड आर०, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में वायु सेना मुख्यालय पी० ओ०-3, वायु सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को 31 दिसम्बर, 1982 तक पहुंच जाए।

आरक्षित रिक्तियों के लिये प्रतियोगिता की पात्रता के लिये उम्मीदवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर के सेना स्कंध के वरिष्ठ प्रभाग में सेवा के कम से कम 2 शैक्षणिक वर्षों/वायु सेना स्कंध के वरिष्ठ प्रभाग में कम से कम 3 शैक्षणिक वर्षों का अनुभव होना चाहिए और आयोग के कार्यालय में आवेदन-पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख को उम्मीदवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर से मुक्त हुए 12 महीने से अधिक न हुए हों।

नोट II—भारतीय सेना अकादमी/वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रमों में आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये परीक्षा परिणाम के आधार अर्हता प्राप्त एन० सी० सी० 'सी' वरिष्ठ प्रभाग प्रमाण-पत्र थल सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध वरिष्ठ प्रभाग प्राप्त उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाएगा और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिये आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। (क) परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्यचर्या, (ख) अकादमी/शाला में प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता स्तर तथा (ग) भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी अधिकारी प्रशिक्षण शाला और वायु सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना के सम्बन्ध में क्रमशः परिशिष्ट I, II और III में विस्तार से समझाया गया है।

नोट: परीक्षा के समस्त विषयों के प्रश्न पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न पूछे जायेंगे। नमूने के प्रश्नों सहित विस्तृत विवरण कृपया परिशिष्ट V पर "उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका" में देखिए।

2. परीक्षा के केन्द्र :—अगरतला, अहमदाबाद, ऐजल, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, कोचीन, कटक, दिल्ली, दिसपुर (गोहाटी), हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोहिमा, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, पणजी (गोवा), पटना, पोर्टब्लेयर, शिलांग, शिमला, श्रीनगर और तिवेन्द्रम।

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीखों में परिवर्तन कर सकता है। यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिये उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी प्रयास किये जायेंगे तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपनी विवेक्षा पर अलग केन्द्र दे सकता है। जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी (नीचे पैरा II देखिए)।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से संबद्ध अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा। किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र रजिस्टर्ड डाक से अवश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है। ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा किन्तु 1 अप्रैल, 1982 के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. पात्रता की शर्तें

(क) राष्ट्रिकता :

उम्मीदवार या तो

(i) भारत का नागरिक हो, या

(ii) भूटान की प्रजा हो, या

(iii) नेपाल की प्रजा हो, या

(iv) तिब्बती शरणार्थी, जो स्थायी रूप से भारत में रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले आ गया हो, या

(v) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, और पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कीन्या, उगांडा तथा तंजानिया का संयुक्त गणराज्य या जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग (iii), (iv) और (v) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया हो?

पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिये यह पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा।

जिस उम्मीदवार के लिये यह पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा, उसको इस शर्त पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और अकादमी या शाला में भी, जैसी भी स्थिति हो, प्रवेश दिया जा सकता है कि बाद में भारत सरकार द्वारा वह उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करे।

(ख) आयु-सीमायें, स्त्री या पुरुष या वैवाहिक स्थिति :—

(i) भा० से० अकादमी, नौ सेना अकादमी और वायु सेना के लिये : केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं जिनका जन्म 2 जनवरी, 1961 से बाद और 1 जनवरी, 1964 के पहले हुआ हो।

(ii) अधिकारी प्रशिक्षण शाला के लिये : केवल वही पुरुष उम्मीदवार (विवाहित या अविवाहित) पात्र हैं जिनका जन्म 2 जनवरी, 1960 से बाद और 1 जनवरी, 1964 के पहले न हुआ हो।

नोट : जन्म की तारीख केवल वही मान्य होगी जो मैट्रिकुलेशन/हायर सेकेन्डरी या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में लिखी गई हो। जिन उम्मीदवारों ने भा० से० अकादमी/नौ सेना और वायु सेना के लिये पहली पसंद बताई है, उन्हें चयन स्टाफ द्वारा सत्यापन के प्रयोजन हेतु सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिये उपस्थित होते समय आयु का प्रमाण (मूलरूप में) प्रस्तुत करना है।

(ग) शैक्षिक योग्यतायें :—

(i) भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण शाला के लिये किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता,

(ii) वायु सेना अकादमी के लिये भौतिकी और/या गणित विषयों के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता।

नौसेना/वायुसेना की पहली पसंद वाले स्नातकों को मंजूएशन के प्रमाण के रूप में प्रोविजनल सर्टीफिकेट सेवा चयन बोर्ड पूरा होने के दो सप्ताहों के अन्दर क्रमशः सेना मुख्यालय (रिक्रूटिंग) (6 एस० पी०) (ई)/ नौसेना मुख्यालय (आर० एण्ड आर० सेक्शन)/वायुसेना मुख्यालय—डाकघर 3 (ए) को प्रस्तुत हैं।

जो उम्मीदवार अभी डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु उनकी डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण आई० एम० ए०/एस० एस० सी० (एन० टी०) प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में सेना मुख्यालय भर्ती 6 (एस० पी०) (ग) नई दिल्ली-110022 तथा नौ-सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में नौ सेना मुख्यालय/आर० एण्ड आर०, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में वायु सेना मुख्यालय पी० ओ०-3, वायु सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को निम्नलिखित तारीख तक पहुंच जाए जिसके न पहुंचने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

(i) भा० से० अकादमी, नौ सेना तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिये 31 दिसम्बर, 1982 तक या उससे पहले। जिन उम्मीदवारों के डिग्री परीक्षा के परिणाम इस तारीख तक घोषित नहीं होते हैं उनको विशेष मामले के रूप में अपने प्रमाण-पत्र संबद्ध मुख्यालयों को 10 जनवरी, 1983 तक प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।

(ii) अधिकारी प्रशिक्षणशाला, मद्रास में प्रवेश के लिये 30 अप्रैल, 1983 तक या उससे पहले। जिन उम्मीदवारों के डिग्री परीक्षा के परिणाम इस तारीख तक घोषित नहीं होते हैं उनको विशेष मामले के रूप में अपने प्रमाण-पत्र सेना मुख्यालयों को 15 मई, 1983 तक प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।

जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक और तकनीकी योग्यतायें हों, जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष सामान्यता प्राप्त हों वे भी परीक्षा में प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं में से किसी से युक्त न होने पर भी, वैधिक रूप से योग्य मान सकता है जिसके पास ऐसी योग्यतायें हों जिनका स्तर, आयोग के विचार में, इस परीक्षा में प्रवेश पाने योग्य हो।

नोट I—ऐसे उम्मीदवार जिन्हें डिग्री परीक्षा में अभी अर्हता प्राप्त करनी है और जिनको संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उनको दी गई यह विशेष छूट है। उन्हें डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करना है और यूनियाबी अर्हक विश्वविद्यालय परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम की घोषणा में विलम्ब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से सम्बद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट II—जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित है, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। अगर प्रवेश दिया गया तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

नोट III—विशेष सेवा नाविकों को छोड़कर बाकी नाविक (जिनमें किशोर और कारीगर, प्रशिक्षु सम्मिलित हैं), जिनकी अपने नियत कार्य पूरा करने में छह महीने से कम समय बाकी है, इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे। जिन विशेष सेवा नाविकों को अपने नियत कार्य पूरे करने में छह महीने से कम समय बाकी है, उनके आवेदन पत्र तभी लिये जायेंगे जब वे उनके कमांडिंग अफसरों के द्वारा निर्धारित अनुशासित हों।

4. आवेदन के साथ देय शुल्क: रु० 28.00 (अट्ठाईस रुपए) [अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों] के लिये रु० 7.00 (सात रुपए)] जिन आवेदन-पत्रों के साथ यह निर्धारित शुल्क नहीं भेजा जायेगा उनको एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5. शुल्क से छूट: आयोग, यदि चाहे तो, निर्धारित शुल्क से छूट दे सकता है जब उनको इस बात का आश्वासन हो कि आवेदक भूटान, पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वस्तुतः विस्थापित व्यक्ति है जो 1-1-1964 और 25-3-1971 के बीच की अवधि में भारत में प्रव्रजन कर आया है या वह बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति है जो 1-6-1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन कर आया है या वह श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतीय मूलत: व्यक्ति है जो अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत आया है या आने वाला है और निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में नहीं है।

6. आवेदन कैसे किया जाए: केवल सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा मई, 1982 के लिये निर्धारित पत्र में छपे हुए आवेदन-पत्र ही लिये जायेंगे जो इस परीक्षा के नोटिस के साथ लगे हुए हैं। आवेदन-पत्र भर कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को भेजे जाने चाहिए। आवेदन प्रपत्र और परीक्षा के पूरे विवरण निम्नांकित स्थानों से प्राप्त किये जा सकते हैं :—

(i) दो रुपये का मनीआर्डर या संघ लोक सेवा आयोग के सचिव को नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर भेज कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 के यहां से डाक द्वारा।

(ii) दो रुपये नकद देकर आयोग के कार्यालय के काउंटर पर।

(iii) निकटतम भर्ती कार्यालय, मिलिटरी एरिया/सब-एरिया मुख्यालय, एन० सी० सी० निदेशालय, थल सेना तथा वायु सेना प्रतिष्ठानों के यहां से निःशुल्क।

आवेदन प्रपत्र तथा पावती कार्ड उम्मीदवार के हाथों द्वारा स्याही वाली कलम या बालपेन से ही भरे जाने चाहिए। सभी प्रविष्टियां शब्दों में होनी चाहिए, रेखाओं या बिन्दुओं में नहीं। अधूरा या गलत भरा हुआ आवेदन पत्र रद्दी कर दिया जाएगा।

उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आवेदन-पत्रों को भरते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग किया जाता है। वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र में की गई प्रविष्टियां स्पष्ट और सुपाठ्य हों। यदि प्रविष्टियां अपाठ्य या भ्रामक होंगी तो उनके निर्वचन में होने वाले भ्रम तथा संदिग्धता के लिये उम्मीदवार उत्तरदायी होंगे।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग द्वारा आवेदन-पत्र में उनके द्वारा की गई प्रविष्टियों को बदलने के लिये कोई पत्र आदि स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिये उन्हें आवेदन-पत्र सही रूप में भरने के लिये विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले से ही सरकारी नौकरी में हों, या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों या इसी प्रकार के संगठनों में काम कर रहे हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, आयोग को सीधे आवेदन-पत्र भेजने चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन-पत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंच जाए तो उस आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो।

जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्यभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं या ऐसे जो कर्मचारी जो लोक उद्यमों में कार्यरत हैं। उन्हें यह परिवचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है।

सशस्त्र सेना में काम कर रहे उम्मीदवार अपने आवेदन-पत्र अपने कमांडिंग अफसर के माध्यम से प्रस्तुत करें जो पृष्ठांकन (देखिए आवेदन प्रपत्र के भाग "ब") को भर करके आयोग को भेजेंगे।

7. भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक प्रलेखों के साथ सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को 21 दिसम्बर, 1981 से पहले की किसी तारीख से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और काश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप और विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों के और जिन उम्मीदवारों के आवेदन उपर्युक्त में से किसी एक इलाके से डाक द्वारा प्राप्त होने हैं, उनके मामले में 4 जनवरी, 1982 तक या उससे पहले डाक द्वारा अवश्य भिजवा दिया जाए या स्वयं आयोग के काउंटर पर आकर जमा करा दिया जाए। निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप और विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से आयोग यदि चाहे तो इस बात का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है कि वह 21 दिसम्बर, 1981 से पहले की किसी तारीख से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप या विदेशों में रह रहा था।

टिप्पणी (i) :—जो उम्मीदवार ऐसे क्षेत्रों के हैं जहां के रहने वाले आवेदन की प्रस्तुति हेतु समय के हकदार हैं उन्हें आवेदन पत्र के संगत कालम में अपने पतों में अतिरिक्त समय के हकदार इलाके या क्षेत्र का नाम (अर्थात असम

मेघालय, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाखप्रभाग) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा हो सकता है कि उन्हें अतिरिक्त समय का लाभ न मिल।

टिप्पणी (ii) :—उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र को स्वयं सं० लो० से० आ० के काउंटर पर जमा कराएं अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजें। आयोग के किसी अन्य कर्मचारी को दिये गये आवेदन-पत्रों के लिये आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

8 प्रलेख जो आवेदन के साथ भेजे जाएं।

(क) सभी उम्मीदवारों द्वारा :

(i) रु० 28.00 (अट्ठाईस रुपये) [अनुसूचित जातियों/जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये रु० 7.00 (सात रुपये)] का शुल्क जो सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में हो या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के नाम भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, नई दिल्ली पर देय भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से जारी किये गये रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय बैंक ड्राफ्ट की पिछली ओर सिरे पर अपना नाम तथा पता लिखना चाहिए। पोस्टल आर्डरों के मामले में उम्मीदवार पोस्टल आर्डर के पिछली ओर इस प्रयोजन के लिये निर्धारित स्थान पर अपना नाम तथा पता लिखें।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपने यहां के भारत के उच्चायुक्त या राजदूत या विदेशी प्रतिनिधि के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करें जिससे वह "051 लोक सेवा आयोग" परीक्षा शुल्क के खाते में जमा हो जाए और उसकी रसीद आवेदन-पत्र के साथ भेज दें।

(ii) आयु का प्रमाण पत्र :—आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गये प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हों। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली, हलफनामा, नगर निगम के सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण, तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आये हुए "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या वर्ष और महीने ही दिए होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर प्रिंसिपल से लिये गये प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन पत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

टिप्पणी (I) : जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो, उसे केवल आयु से सम्बद्ध प्रविष्टि पृष्ठ की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए।

टिप्पणी (II) : उम्मीदवार यह ध्यान में रखे कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी (III) : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या किसी परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति

उम्मीदवार को इस आशय के प्रमाणपत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसके पास पैरा 3(क) में विहित योग्यताओं में एक योग्यता है या उम्मीदवार द्वारा इसके इस प्रकार अर्जित कर लेने की संभावना है कि पैरा 3(ग) में विहित तारीख तक इसको उत्तीर्ण करने का प्रमाण दिया जा सके। जो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए वह वही हो जो योग्यता विशेष को देने वाले प्राधिकरण (अर्थात् विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा-निकाय) द्वारा जारी किया गया हो। यदि ऐसे प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उम्मीदवार को उसके प्रस्तुत न करने की वजह बतानी चाहिए और ऐसे अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए जो वह अपेक्षित योग्यता रखने के दावे के समर्थन में प्रस्तुत कर सकता है। आयोग इस प्रमाण पर गुणवत्ता के आधार पर विचार करेगा पर इसे पर्याप्त मानने के लिये बाध्य नहीं होगा।

यदि वायुसेना अकादमी के लिये प्रतियोगिता में बैठे रहे किसी उम्मीदवार द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यताओं के समर्थन में प्रस्तुत डिग्री या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति में परीक्षा-विषय नहीं दर्शाए गए हैं तो उसे विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति के साथ-साथ प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष से इस आशय के प्रमाणपत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसने पैरा 3(ग) (ii) में विनिर्दिष्ट एक या इससे अधिक विषय लेकर अर्हक परीक्षा पास कर ली है।

(iv) उपस्थिति पत्रक (आवेदन-प्रपत्र के साथ संलग्न) विधिवत् भरा हुआ।

(v) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० × 7 सें० मी०) के फोटो की एक जैसी दो प्रतियां जिनके ऊपरी हिस्से पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर विधिवत् अंकित हों।

फोटो की एक प्रति आवेदन-प्रपत्र के पहले पृष्ठ पर और दूसरी प्रति उपस्थित पत्रक में दिये निर्धारित स्थान पर चिपका देनी चाहिए।

(vi) लगभग 11.5 सें० मी० × 27.5 सें० मी० आकार के बिना टिकट लगे दो लिफाफे, जिन पर आपका पता लिखा हो।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने के दावे के समर्थन में, जहां उम्मीदवार या उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आम तौर पर रहते हों, उस जिले के (किसी प्रमाण-पत्र के नीचे उल्लिखित) सक्षम प्राधिकारी से परिशिष्ट IV में दिए गए प्रपत्र में लिए गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ग) शुल्क से छूट चाहने वाले उम्मीदवारों के द्वारा :

(i) किसी जिला अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी या संघ या राज्य विधान मण्डल के सदस्य से लिए गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उम्मीदवार निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है।

(ii) वस्तुतः विस्थापित/प्रत्यावर्तित व्यक्ति होने के दावे के समर्थन में निम्नलिखित प्राधिकारियों से लिए गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि :

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति :

(i) दण्डकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों या विभिन्न राज्यों के राहत शिविरों का शिविर संचालक।

अथवा

(ii) उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट जहां पर वह, फिलहाल, रह रहा हो।

अथवा

(iii) अपने जिले के शरणार्थी पुनर्वास का प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट।

अथवा

(iv) सब-डिवीजनल अफसर, अपने अधीनस्थ सब-डिवीजनल की सीमा तक।

अथवा

(v) शरणार्थी पुनर्वास उपायुक्त, पश्चिमी बंगाल/निदेशक (पुनर्वासन), कलकत्ता।

(ख) श्री लंका से प्रत्यावर्तित :—

श्री लंका में भारत का उच्चायुक्त।

(ग) बर्मा से प्रत्यावर्तित :—

भारतीय दूतावास, रंगून या जहां का वह रहने वाला हो, उस क्षेत्र का जिला मजिस्ट्रेट।

(घ) भा० से० अ० और वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम में अतिरिक्त रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एन० सी० सी० (सी०) प्रमाण-पत्र (सेना स्कन्ध) (वायु सेना स्कन्ध का वरिष्ठ प्रभाग) प्राप्त उम्मीदवारों द्वारा :

यह दिखाने के लिए कि उनके पास एन० सी० सी० 'सी०' प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध) (वायु सेना स्कन्ध का वरिष्ठ प्रभाग) है अथवा वह एन० सी० सी० 'सी०' प्रमाण-पत्र (सेना स्कन्ध) वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग परीक्षा में प्रवेश ले रहा है/प्रवेश ले चुका है, इस आशय के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र के साथ भेजे गए सभी प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों पर हस्ताक्षर करके तारीख लिखनी है।

9. शुल्क की वापसी :—आवेदन के साथ आयोग को अदा किया गया शुल्क वापस करने के किसी अनुरोध पर नीचे की परिस्थितियों को छोड़कर विचार नहीं किया जा सकता और न वह किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है :—

(i) जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क दे दिया है, पर जिसको आयोग ने परीक्षा में बैठने नहीं दिया उसको रु० 15.00 (पन्द्रह रुपये) [अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में रु० 4.00 (चार रुपये)] वापस कर दिया जाएगा। परन्तु यदि कोई आवेदक यह सूचना प्राप्त होने पर अस्वीकार कर दिया गया हो कि उम्मीदवार डिग्री परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है या डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो उस उम्मीदवार को शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(ii) जो उम्मीदवार नवम्बर, 1981 को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा में बैठा हो और उस परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी पाठ्यक्रम के लिये उसका नाम अनुशंसित हुआ हो तो उसके मामले में रु० 28.00 (अट्ठाईस रुपये) [अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में रु० 7.00 (सात रुपये)] का शुल्क वापस किया जा सकता है, पर यह जरूरी है कि मई, 1982 की सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिये अपनी उम्मीदवारी रद्द कराने और शुल्क वापस पाने के लिये उस उम्मीदवार का अनुरोध आयोग के कार्यालय में 15 अक्तूबर, 1982 को या उससे पहले पहुंच जाए।

10. आवेदन पत्र की पावती :—आयोग के कार्यालय में देर से प्राप्त आवेदन-पत्रों सहित प्रत्येक आवेदन-पत्र की पावती दी जाती है तथा आवेदन-पत्र की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में उम्मीदवार को आवेदन पत्र की रजिस्ट्रेशन सं० जारी कर दी जाती है। यदि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख से एक मास के अन्दर पावती नहीं मिलती है तो उसे तत्काल आयोग से पावती हेतु संपर्क करना चाहिए।

इस तथ्य का कि उम्मीदवार को आवेदन-पत्र की रजिस्ट्रेशन संख्या जारी कर दी गई है अपने आप यह अर्थ नहीं है कि आवेदन-पत्र सभी प्रकार पूर्ण है और आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

11. आवेदन का परिणाम :—अगर किसी उम्मीदवार को अपने आवेदन के परिणाम की सूचना परीक्षा शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक आयोग से प्राप्त न हुई तो उसे परिणाम की जानकारी के लिए आयोग से तत्काल सम्पर्क करना चाहिए। अगर इस बात का पालन नहीं हुआ तो उम्मीदवार अपने मामले में विचार किए जाने के अधिकार से वंचित हो जाएगा।

12. परीक्षा में प्रवेश :—किसी उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निणय अंतिम होगा। आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

13. कदाचार के दोषी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन-पत्र भरते समय कोई गलत विवरण न दें और न किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रवेश या उसकी अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति में किसी भी हालत में वे किसी तरह का संशोधन या परिवर्तन या कोई फेर-बदल न करें और न ही फेर-बदल किए गए/बढ़े हुए प्रवेश को वे प्रस्तुत करें। अगर इस प्रकार के दो अधिक प्रवेशों में या उनकी अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई अशुद्धि या असंगति हो तो इस असंगति के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है--

(i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारों का समर्थन प्राप्त करना; या

(ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना; या

(iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना; या

(iv) जाली प्रवेश या फेर-बदल किए गए प्रवेश प्रस्तुत करना; या

(v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना; या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में; किसी अनियत या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना; या

(vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाए हों; या

(viii) उत्तर पुस्तिका(ओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों; या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो; या

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

(xi) ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार की ओर प्रवृत्त होना या ऐसा करने के लिए किसी को उत्तेजित कराना। यह अपने को दण्ड अभियोजन का शिकार बनाने के अतिरिक्त--

(क) वह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा

(ख) (i) आयोग द्वारा उनकी किसी भी परीक्षा का चयन के लिए।

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के स्थायी रूप से या कुछ निर्दिष्ट अवधि के लिए अपवर्जित किया जा सकता है; लिए और

(ग) अगर वह पहले से सरकारी नौकरी में हो या उचित नियमावली के अनुसार अनुशासनिककारवाई का पात्र होगा।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक---

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

14. मूल प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण—सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से, आई० एम० ए०/एस० एस० सी० (एम० टी०) प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में सेना मुख्यालय/भर्ती 6 (एस० पी०) (ग), नई दिल्ली-110022 को तथा नौ सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में नौसेना मुख्यालय/आर० एण्ड आर० सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को या वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में वायु सेना मुख्यालय/पी० ओ०-3, वायु सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को अपनी शैक्षणिक योग्यताओं आदि के समर्थन में अपने मूल प्रमाण-पत्र सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के पूरा होने के दो सप्ताहों के अन्दर और 31 दिसम्बर, 1982 तक प्रस्तुत करने होंगे। उक्त प्रमाण-पत्रों की सत्य अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां या फोटोस्टेट प्रतियां किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

15 "आवेदन के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार"--आवेदन के सम्बन्ध में सभी पत्र-व्यवहार सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली-110011 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नांकित विवरण अवश्य होना चाहिए ---

(1) परीक्षा का नाम।

(2) परीक्षा का वर्ष और महीना।

(3) आवेदन-पत्र की रजिस्ट्रेशन संख्या, रोल नम्बर या जन्म की तारीख (अगर रोल नम्बर नहीं मिला हो।)

(4) उम्मीदवारों का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)।

(5) पत्र-व्यवहार का पता जैसा आवेदन-पत्र में दिया है।

ध्यान दें—(i) जिन पत्रों के साथ ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा हो सकता है, उस पर कोई कार्रवाई न हो।

(ii) यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार से पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है तथा इसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और उस पर कोई कारवाई नहीं की जाएगी।

16. पते में परिवर्तन :—उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन-पत्र में दिए पते पर भेजे जाने वाले पत्र आदि आवश्यक होने पर उनके नए पते पर भिजवा दिए जाए। पते में जो भी परिवर्तन हो उसे ऊपर के पैरा 15 में उल्लिखित विवरण के साथ आयोग को यथाशीघ्र सूचित कर देना चाहिए।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों ने अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद अपना पता बदल लिया हो तो उन्हें परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नाम पता तत्काल सेना मुख्यालय, ए० जी० ब्रांच रिक्रूटिंग 6(एस० पी०) (ई०) (II) वेस्ट ब्लाक 3, विंग 1, रामाकृष्णमपुरम, नई दिल्ली-110022 और वायु सेना मुख्यालय (पी० ओ०-3) नई दिल्ली-110011 को सूचित कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार इन आदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए सम्मन-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

यद्यपि प्राधिकारी इस प्रकार के परिवर्तनों पर पूरा-पूरा ध्यान देते हैं फिर भी इस सम्बन्ध में वह अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

17. लिखित परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के सम्बन्ध में पूछताछ--जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए अनुशासित हैं उनको अपने साक्षात्कार के सम्बन्ध में सभी पूछताछ और अनुरोध सीधे सेना मुख्यालय, ए० जी० ब्रांच रिक्रूटिंग 6 (एस० पी०) (ई०) (II) वेस्ट ब्लाक 3, विंग 1, रामाकृष्णमपुरम, नई दिल्ली-110022 और वायु सेना उम्मीदवारों के लिए वायु सेना मुख्यालय (पी० ओ०) नई दिल्ली-110011 के पते पर लिखने चाहिए।

उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए भेजे गए सम्मन-पत्र द्वारा सूचित की गई तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करनी है। साक्षात्कार को स्थगित करने से सम्बद्ध अनुरोध पर केवल यथार्थ परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जाएगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय होगा।

विभिन्न सेवा चयन केन्द्रों पर सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवार अपने साथ निम्नलिखित वस्तुएं लाएंगे :—

(क) सफेद कमीज में पासपोर्ट आकार फोटो की 6 प्रतियां।

(ख) बिस्तर और कम्बल (मौसम के अनुसार)।

(ग) सफेद कमीजों और हाफ पैंटों के दो जोड़े।

(घ) एक जोड़ी पी० टी० के सफेद जूते और दो जोड़े सफेद मोजे ।

(ङ) पैंटों और कमीजों के दो जोड़े ।

(च) फाउन्टेन पेन स्याही और पेंसिल ।

(छ) बूट पालिश और सफेद रूमालों ।

(ज) एक मच्छरदानी ।

18 लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा योग्यताप्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार अन्तिम परिणाम की घोषणा और अन्तिम रूप से योग्य पाए गए उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश :—

संघ लोक सेवा आयोग अपनी विवेक्षा से लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा । वे उम्मीदवार उन सभी प्रविष्टियों के लिए जिनके लिए उन्होंने अर्हता प्राप्त की है बौद्धिक तथा व्यक्तित्व परीक्षाओं के लिए सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे ।

जो उम्मीदवार आई० एम० ए० (डी० ई०) कोर्स और/या नौसेना (एस० ई०) और या वायु सेना अकादमी कोर्स की लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, चाहे वे एस० एस० सी० (एन० टी०) कोर्स के लिये अर्हता प्राप्त कर या नहीं उनको सितम्बर 1982/अक्तूबर 1982 में सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिए भेजा जाएगा और जो उम्मीदवार केवल एस० एस० सी० (एल० टी०) कोर्स के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, उनको दिसम्बर 1982/जनवरी 1983 सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिए भेजा जायेगा ।

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपनी ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उनके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिये सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के वे हकदार नहीं होंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो । उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे । लिखित परीक्षा तथा से० च० बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यता क्रम में रखा जाएगा । अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किये जाए इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के सम्बन्ध में उम्मीदवारों से कोई पक्ष व्यवहार नहीं करेगा ।

परीक्षा में सफल होने मात्र से भारतीय सेना अकादमी, नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षणशाला में जैसी स्थिति हो प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा । अन्तिम चयन शारीरिक क्षमता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को दृष्टि में रखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा ।

19 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनर्हताएं—जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सेना अकादमी, वायु सेना उड्डयन महाविद्यालय, नौ सेना अकादमी कोचीन और अधिकारी प्रशिक्षणशाला मद्रास में पहले प्रवेश पा चुके हैं पर अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिए गए हैं उनको भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या थलसेना में अल्पकालिक सेना कमीशन में प्रवेश देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा ।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण पहले भारतीय सेना अकादमी में वापस लिया गया हो उनको भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एण्ट्री नेवल कैडेटस के रूप में पहले चुन लिया गया हो पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों से वापस लिया गया हो वे भारतीय नौसेना में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे ।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण भारतीय सेना अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षणशाला, एन० सी० सी० तथा स्नातक पाठ्यक्रम से वापस लिया गया हो उनके बारे में थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा ।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव कारण, एन० सी० सी० तथा स्नातक पाठ्यक्रम से पहले वापस लिया गया हो, उनको भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

20. भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबन्ध :—भारतीय सेना अकादमी और नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी के पाठ्यक्रमों के उम्मीदवारों को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा, तब तक वे शादी नहीं करेंगे । जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा चाहे वह इस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो । जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है, वह सब उससे वसूल किया जाएगा । अल्पकालिक सेवा कमीशन (एन० टी०) के पाठ्यक्रम का कोई उम्मीदवार :

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की हो या शादी के लिए संविदा कर ली हो जिसकी पहले से कोई जीवित पति है या था

(ख) जिसने, पहले से जीवित पति-पत्नी होते हुए भी, किसी व्यक्ति से शादी की हो या शादी के लिए संविदा कर ली हो ।

अधिकारी प्रशिक्षणशाला में प्रवेश/अल्पकालिक सेवा कमीशन की प्रवृत्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस तरह की शादी ऐसे व्यक्तियों के लिए और शादी की दूसरी तरफ के व्यक्तियों के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार अनुमोदनीय है और ऐसा करने के अन्य ठोस कारण हैं तो किसी व्यक्ति को वह इस नियम के अनुपालन में छूट दे सकती है ।

21. भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय अन्त प्रतिबन्ध :—भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी, या वायु सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशन के लिए विचार योग्य नहीं होंगे । भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अन्तिम रूप से उसका चयन हो जाने के बाद उनको और किसी भी साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

22. बौद्धिक परीक्षण सम्बन्धी सूचना, रक्षा मंत्रालय (मनोविज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय) ने "सेवा चयन बोर्डों में उम्मीदवारों की बौद्धिक परीक्षण उपलब्धियों का अध्ययन" (ए स्टडी आफ इंटेलिजेंस टेस्ट कोर्स आफ कैण्डीडेट्स एट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्डस्) शीर्षक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के बौद्धिक परीक्षणों के स्वरूप और स्वभाव से परिचित हो जाएं ।

यह समूल्य पुस्तक प्रकाशन है और बिक्री के लिए प्रकाशन नियंत्रण, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 के यहां मिल सकती है। डाक द्वारा आदेश देकर या नकद भुगतान के द्वारा उनसे यह सीधे प्राप्त की जा सकती है। केवल नकद भुगतान के द्वारा यह (i) किताब महल, रिंग रोड, सिनेमा के सामने, एम्पोरियम बिल्डिंग, सी० ब्लाक, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001, (ii) उद्योग भवन की प्रकाशन शाखा, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 के बिक्री केन्द्र पर तथा (iii) भारत सरकार पुस्तकालय, 8 के० एस० राय रोड, कलकत्ता-700001 पर भी मिल सकती है।

विनय झा, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्यविवरण)

क. परीक्षा की योजना

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा--

(क) नीचे के पैरा 2 में निर्दिष्ट रीति से लिखित परीक्षा,

(ख) उन उम्मीदवारों का बुद्धि और व्यक्तिगत परीक्षण (इस परिशिष्ट के भाग ख के अनुसार) के लिए साक्षात्कार जिन्हें किसी भी एक सर्विसेज सेलेक्शन सेंटर में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए।

2 लिखित परीक्षा के विषय, उनके लिए दिया जाने वाला समय और प्रत्येक विषय के लिए नियत अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :—

(क) भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घण्टे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घण्टे	100
3. प्रारम्भिक गणित	2 घण्टे	100

(ख) नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	नियत समय	अधिकतम अंक
अनिवार्य		
1. अंग्रेजी	2 घण्टे	100
*2. सामान्य ज्ञान	2 घण्टे	100
वैकल्पिक		
*3. प्रारम्भिक गणित या प्रारम्भिक भौतिकी	2 घण्टे	100
4. गणित या भौतिकी	2 घण्टे	150

जो उम्मीदवार प्रारम्भिक गणित लेंगे उन्हें चौथे प्रश्न पत्र में भौतिकी विषय लेना होगा तथा जो उम्मीदवार प्रारम्भिक भौतिकी लेंगे उन्हें चौथे प्रश्न-पत्र में गणित विषय लेना होगा।

(ग) अधिकारी प्रशिक्षण शाला में प्रवेश के लिये

विषय	नियत समय	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100

(घ) वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिये

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100
3. प्रारम्भिक गणित	2 घंटे	100
4. गणित या भौतिकी	2 घंटे	150

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिये जो अधिकतम अंक नियत किये गये हैं वे प्रत्येक विषय के लिये समान होंगे अर्थात् भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी, अफसर ट्रेनिंग स्कूल और वायु सेना अकादमी में भर्ती के लिये लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिये नियत अधिकतम अंक क्रमशः 300, 450 और 200 और 450 होंगे।

3. समस्त विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न पूछे जायेंगे। नमूने के प्रश्नों सहित विस्तृत विवरण कृपया परिशिष्ट V पर उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका में देखिए।

4. प्रश्न पत्रों में जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

5. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिये लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जाएगी।

6. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग की विवेक पर है।

7. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण-पुस्तिकाओं) के उत्तर देने के लिये कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। अतः वे उसे परीक्षा-भवन में न लायें।

ख. परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

स्तर :

प्रारम्भिक गणित के प्रश्न पत्रों का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा, प्रारम्भिक भौतिकी के प्रश्न पत्रों का स्तर उच्चतर माध्यमिक परीक्षा जैसा होगा।

अन्य विषयों में प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

इनमें से किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी।

पाठ्य विवरण

अंग्रेजी (कोड सं० 01)

प्रश्न पत्र इस प्रकार होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी और अंग्रेजी के शब्दों के बोध की परीक्षा ली जा सके।

सामान्य ज्ञान (कोड सं० 02)

सामान्य ज्ञान तथा साथ में समसामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन देखे और अनुभव किये जाने वाले इसी तरह के मामलों के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी, जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को, उन विषयों का विशेष अध्ययन किये बिना देना चाहिए।

प्रारम्भिक गणित (कोड सं० 03)

अंक गणित

संख्या पद्धतियां :--वास्तविक संख्यायें, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संख्यायें, मूल संक्रियायें--जोड़, घटाना, गुणन, और विभाजन, वर्ग मूलसहसबंध भिन्न।

एकिक विधि :--समय तथा दूरी, समय तथा कार्य प्रतिशतता, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अनुप्रयोग, लाभ तथा हानि, अनुपात और समानुपात विचरण।

प्रारम्भिक संख्या सिद्धांत :--विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्यायें, 2, 3, 4, 5, 9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण अपवर्त्य और गुणज अल्पक/गल्पक अल्पक प्रमेय/महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, यूक्लिड की कलन विधि।

आधार 10 तक लघुगुणक, लघु गुणक के नियम, लघु-गणकीय सारणियों का प्रयोग।

बीज गणित

आधारभूत संक्रियायें : साधारण गुणन अल्प 1 क्षेत्र फल प्रमेय, बहुपदों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य सिद्धांत। द्विघ समीकरणों का हल इसके मूलों और गुणांकों के बीच सम्बंध (केवल वास्तविक मूल पर विचार किया जाये)। दो अज्ञात राशियों में युगपत रैखिक समीकरण--विश्लेषण और ग्राफ सम्बन्धी हल। दो चरों में युगपात रैखिक असमिकायें और उनके हल प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो चरों में दो युगपत रैखिक समीकरण या असमिकायें बनती हैं या एक चर में द्विघात, समीकरण तथा उनके हल, समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन पद्धति, परिमेय व्यंजक तथा सप्रतिबन्ध तत्समक घातांक नियम।

त्रिकोणमिति :

ज्या X, कोटिज्या X, स्पर्श रेखा X जब $90° < X < 90$ ज्या X, कोटिज्या X, स्पर्श रेखा X का मान क्योंकि X —0°, 30°,

45°, 60° और 90° सरल त्रिकोणमितीय तत्समक।

त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग।

ऊंचाइयों और दूरियों के सरल कोण।

ज्यामिति :

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति : निम्नलिखित पर प्रमेय :--(i) किसी बिन्दु पर कोणों के गुण धर्म, (ii) समांतर रेखाएं, (iii) किसी त्रिभुज की भुजायें और कोण, (iv) त्रिभुजों की सर्वांगसमता, (v) समरूप त्रिभुज, (vi) माध्यिकाओं और शीर्ष, लम्बों का संगमन, (vii) समांतर चतुर्भुजों, आयात और वर्ग के कोणों, भुजाओं के विकर्णों के गुण धर्म, (viii) वृत्त और उसके गुण धर्म जिसमें, स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब भी शामिल है, (ix) स्वाभिक संचक।

विस्तार कलन :

वर्गों, आयतों, समांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल। इन आकृतियों के क्षेत्रफल को इन आकृतियों में विभाजित की जा सकती है। (क्षेत्र नहीं) घनाभों का पृष्टीय क्षेत्रफल तथा आयतन/लम्ब वृत्तीय शंकुओं और बेलनों का पार्श्व-पृष्ठाय तथा आयतन/गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन।

सांख्यिकी :

सांख्यिकीय तथ्यों का संग्रहण तथा सारणीयन। आलेखी निरूपण-आरम्भारता बहुभुज आयत चित्र लक्षाका घाटे पाई चार्ट आदि केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप रेखाओं के बीच कोण।

प्रारम्भिक भौतिकी (कोड सं० 05)

(क) विस्तार कलन :--मापन के मात्रक, सी० जी० एस० और एम० के० एस० मात्रक। आदेश और संविश। बल और वेग का संयोजन तथा नियोजन। एक समानत्वरण। एक समानत्वरण के अधीन ऋजुरेखीय गति। न्यूटन का गति नियम। बल की संकल्पना बल के मात्रक। मात्रा और भार।

(ख) पिंड का बल विज्ञान :--गुरुत्व के अधीन/समानान्तरण बल। गुरुत्व केंद्र साम्यावस्था/साधारण मशीन/लिंग अनुपात आनत समतल/पेंच और गियर सहित विभिन्न साधारण मशीन/चर्खा, अर्धचक्रकोण, अर्धक, गुणांक कार्य, शक्ति और ऊर्जा/स्थितिज और गतिज ऊर्जा।

(ग) तरल गुणधर्म :--दाब और प्रणोद/पास्कल का नियम। आर्कमिडीज का नियम। घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व पिंडों और द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्वों को निर्धारित करने के लिये आर्कमिडीज के नियम का प्रयोग। प्लवन का नियम के गैस द्वारा प्रयोग में लाये गये दाब का मापन। बोयी नियम/वायु पम्प।

(घ) ताप :--पिंडों का रैखिक विस्तार और द्रव्यों का घनाकार विस्तार। द्रव्यों का वास्तविक तथा आभासी विस्तार। चार्ल्स नियम परमशून्य बायल और चार्ल्स नियम, पिंडों और द्रव्यों का विशिष्ट ताप, कलो-रीमिति/ताप का संचरण, धातुओं की ताप संवाहकता। स्थिति परिवर्तन। संलयन और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एस० पी० बी० पी० नमी (आर्द्रता ओसांक और आपेक्षिक आर्द्रता)।

(ङ) प्रकाश :--ऋजुरेखीय संचरण। परावर्तन के नियम। गोलीय दर्पण, अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, लैन्स, प्रकाशित यंत्र कैमरा, प्रक्षेपित, पारापार चित्रदर्शी दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, वाक्षीवयूलर तथा परिदर्शी। प्रिज्म, प्रकीर्ण के माध्यम से अपवर्तन।

(च) ध्वनि :--ध्वनि संचरण, ध्वनि परावर्तन, अनुनाद/ध्वनि डामी-फोन का अभिलेखन।

(छ) चुम्बकत्व तथा विद्युत् :--चुम्बकत्व के नियम, चुम्बकीय क्षेत्र चुम्बकीय बल रेखायें, पार्थिक चुम्बकत्व। चालक और रोधी। क्रोमनियम, पी० वी०, प्रतिरोधक विद्युत् चुम्बकीय बल, श्रेणी पार्श्व म प्रतिरोधक। विद्युतमापी विद्युत् चुम्बकीय बल की तुलना। विद्युत् धारा का चुम्बकीय प्रभाव, चुम्बकीय क्षेत्र में संवाहकता। फलमिंग का वाम हस्त-नियम। मापक यंत्र--धारामापी एमीटर, वोल्ट/मीटर, वाटमीटर, विद्युत् धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत् लेपन, विद्युत् चुम्बकीय प्रेरण, फेराड नियम, वैकिक ए० सी० तथा डी० सी० जनित्र।

भौतिकी (कोड सं० 06)

1. पदार्थ के सामान्य गुण और यांत्रिकी

यूनिटें और विमाएं, स्केलर और वेक्टर, मात्रायें, जड़त्व, आघूर्ण, कार्य ऊर्जा और वेग। यांत्रिकी के मूल नियम, वृणी गति; गुरुत्वाकर्षण। सरल आवर्त गति, सरल और असरल लोलक, प्रत्यास्थता; प्रष्ठ तनाव, द्रव की श्यानता, रोटरी पम्प।

2. ध्वनि

अवमंदित, प्रगोदित और मुक्त कम्पन, तरंग-गति, डाप्लर प्रभाव, ध्वनि तरंग वेग, किसी गैस में ध्वनि के वेग पर दाब, तापमान और/आर्द्रता का प्रभाव, वोरियों, क्षितिजों और गैस स्तम्भों का कम्पन, अनुनाद विस्पंद, स्थिर तरंगें। ध्वनि का आवृति वेग तथा तीव्रता। पराश्रव्य के मूल तत्व। ग्रामोफोन, ठाकीज और लाउड स्पीकरों के प्रारम्भिक सिद्धांत।

3. ऊष्मा और ऊष्मा गतिविज्ञान

तापमान और उसका मापन; तापीय प्रसार, गैसों के समतापी तथा रुद्धोष्म परिवर्तन। विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा धारकता; द्रव्य के अनुगति सिद्धांत के तत्व; बोल्टमन के वितरण नियम का भौतिक बोध, कॉडरवाल का अवस्था समीकरण, अल थाम्पसन प्रभाव, गैसों का द्रवण; ऊष्मा इंजन; कार्नोटप्रमेय, ऊष्मागति-विज्ञान के नियम और उनका सरल अनुप्रयोग। कृष्णिका विकिरण।

4 प्रकाश

ज्यामितीय प्रकाशिकी। प्रकाश का वेग, समतल और गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाशीय प्रतिबिम्बों में गोलीय और वर्णिक दोष और उनका निवारण। नेत्र और अन्य प्रकाशिक यंत्र। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण।

5 विद्युत् और चुम्बकत्व

विद्युत् क्षेत्र के कारण ऊर्जा, द्रव्य के वैद्युत् और चुम्बकीय गुण धर्म, हिस्टेरिसस चुम्बकशीलता और चुम्बकीय प्रवृत्ति; विद्युत धारा से उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र; मूविंग मेग्नेट एण्ड मूविंग कॉयल गलवेनोमीटर; धारा और प्रतिरोध का मापन; रिएक्टिव सर्किट एलिमेंट्स के गुण और धर्म और उनका निर्धारण; ताप विद्युत् प्रभाव, विद्युत् चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धाराओं का उत्पादन। ट्रांसफार्मर और मोटर; इलेक्ट्रानिक वाल्व और उनका सरल अनुप्रयोग।

6 आधुनिक भौतिकी

बोर के परमाणु सिद्धांत के तत्व, इलेक्ट्रॉन, गैसों द्वारा विद्युत् का विसर्जन, कणोद्भव। रेडियोऐक्टिवता, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता, आइसोटोप विखंडन और संलयन की प्रारम्भिक धारणा।

गणित (कोड सं० 04)

1. बीजगणित :

समुच्चयों का बीजगणित, सम्बन्ध और फलन, फलन का प्रतिलोम, युक्त फलन, तुल्यता सम्बन्ध; परिमेयसूचकांक के लिये द-मौयवर का प्रमेय और उसका सरल अनुप्रयोग।

2. मैट्रिसेस :

मैट्रिसेस की बीजक्रिया, सारणिक सारणिकों के सरल गुण, सारणिकों के गुणनफल, सहखण्डजआव्यूह; मैट्रिसेसों का प्रतिलोभन, मैट्रिक्स की जाति। रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिये मैट्रिसेसों का अनुप्रयोग (ठीक ज्ञात संख्याओं में) :

3. विश्लेषिक ज्यामिति :

द्विविम की विश्लेषिक ज्यामिति : सरल रेखायें, सरल रेखाओं की जोड़ी, वृत्त, वृत्त निकाय, परवलय दीर्घवृत्त अतिपरिवलय (मुख्य अक्षों के सन्दर्भ में) द्वितीय क्रम समीकरण का मानक रूप में लघुकरण। स्पर्श-रेखायें और अभिलम्ब।

त्रिविम की विश्लेषिक ज्यामिति :

समतल, सीधी रेखा और गोलक (केवल कार्तीय निर्देशांक)

4. कलन (कैलकुलस) और विभिन्न समीकरण :

अवकल गणित : सीमांत की संकल्पना, वास्तविक चर फलन का सांतत्य और अवकलनियता, मानक फलन का अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन गोल का प्रमेय। मध्यमान प्रमेय; मक्लारिन और टेलर सिरीज (प्रमाण आवश्यक नहीं है) और उनका अनुप्रयोग परिमेय। सूचकांकों के लिये द्विपदप्रसरण चरघातांकी प्रसरण, लघुगणकीय त्रिकोण-विलोम और प्रति परिवलयिक फलन। अनिर्धारित रूप। एकल चर फलन का उच्चिष्ट और अल्पिष्ठ, स्पर्शरेखा, अभिलम्ब, मध्यःस्पर्शी अभ्यास (केवल कार्तीय निर्देशांक) जैसे ज्यामितीय अनुप्रयोग। एकलक्षेप श्रेणिक अवकलन। समांगी फलनों के संबंधित आयलर प्रमेय।

समाकलन-गणित :—समाकलन की मानक प्रणाली। सतत फलन के निश्चित समाकलन की सीमान्त-परिभाषा। समाकलन गणित के मूल सिद्धांत। परिशोधन, क्षेत्रकलन, आयतन और परिभ्रमण वलनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संख्यात्मक समाकलन के बारे में सिम्पसन का नियम।

अवकल समीकरण : प्रथम कोटि के मानक अवकल समीकरण का हल निकालना। नियम गुणांक के साथ द्वितीय और उच्चतर कोटि के रैखिक समीकरण का हल निकालना। वृद्धि और क्षय की समस्याओं का सरल अनुप्रयोग, सरल हारमोनिक रूपान्तरण। साधारण पेन्डुलम और सभीदिश।

5. यांत्रिक (वेक्टर पद्धति का उपयोग किया जा सकता है)

स्थिति विज्ञान : समतलीय तथा सगामी बलों की साम्यावस्था की स्थिति। साधारण तत्वों के गुरुत्व केन्द्र। स्थैतिक घर्षण, साम्यघर्षण और सीमांत घर्षणाघर्षण कोण। रूक्ष आनत समतल पर के कण की साम्यावस्था कलित कार्य (दो आयामों में)।

गति विज्ञान : मूल गति विज्ञान-कण का त्वरण, वेग, चाल और विस्थापन, आपेक्षित वेग। निरन्तर त्वरण की अवस्था में सीधी रेखा की गति। न्यूटन गति संबंधी सिद्धांत। केन्द्र कक्षा। सरल प्रसवधा गति; (निर्वात में) गुरुत्वावस्था में गति। आवेग कार्य और ऊर्जा रैखिक संवेग और ऊर्जा का संरक्षण। समान वर्तुल गति।

6. सांख्यिकी-प्राधिकता :—प्राधिकता की शास्त्रीय और सांख्यिकीय परिभाषा, संचयात्मक प्रणाली की प्राधिकता का परिकलन, योग एवं गणन प्रमेय, सप्रतिबंध प्राधिकता। यादृच्छिक चर (विविक्त और अविरत) वलनत्व, फलन, गणितीय प्रत्याशा।

मानक वितरण : द्विपद वितरण, परिभाषा, माध्य और प्रसरण वैशिष्ट्य सीमांत रूप सरल अनुप्रयोग। प्वासों वितरण परिभाषा माध्य और प्रसरण योज्यता, उपलब्ध आंकड़ों में प्वासों बंटन का समंजन। सामान्य वितरण, सरल समानुपात और सरल अनुप्रयोग, उपलब्ध आंकड़ों में सामान्य में प्रसामान्य वक्र का समंजन।

द्विचर वितरण : यह संबंध दो चरों का रैखिक समाश्रयण, सीधी रेखा का समंजन, परवलयिक और चलघातांकी, वक्र, सह संबंधित गुणांक के गुण।

सरल प्रतिदर्श वितरण और परिकल्पनाओं का सरल परीक्षण, यादृच्छिक प्रतिदर्श (सांख्यिकी, प्रतिदर्शी बंटन और मानक त्रुटि) मध्य पदों के अन्तर की अर्थवत्ता के परीक्षण में प्रसामान्य टी०, सी० एच० आई, (CHI2) और एफ० का सरल वितरण।

टिप्पणी : उम्मीदवारों को दो विषयों—सं० 5 यांत्रिकी और सं० 6 सांख्यिकी—में से किसी एक विषय पर प्रश्नों के उत्तर लिखने का विकल्प होगा।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

उम्मीदवारों की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिये साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित बुद्धि परीक्षा ली जाएगी। उनके ग्रुप परीक्षण भी किये जायेंगे जैसे ग्रुप परिचर्चा, ग्रुप योजना, बहिरंग ग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा। ये सभी परीक्षा उम्मीदवारों की मेधाशक्ति की जांच के लिये हैं। मोटे तौर पर यह परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों की जांच के लिये है अपितु इससे उनकी सामाजिक विशेषताओं तथा सामाजिक वस्तुओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा।

परिशिष्ट II

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिये उम्मीदवारों के शारीरिक मानक

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थता संबंधी मानक नीचे दिये जाते हैं।

बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। अत. उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अन्तिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिये आवेदन-पत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें।

1 सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेना के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी। अकादमी या प्रशिक्षणालय में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिये जाते हैं। चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही गोपनीय होती है जिसे किसी को नहीं दिखाया जाएगा। किन्तु अयोग्य/अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड से अपील का अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी। उम्मीदवारों के लिये नीचे संक्षिप्त रूप में दिये गए निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार स्वस्थ होना आवश्यक है :—

(क) उम्मीदवार का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी /अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

(ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन/दैहिक दोष या स्थूलता नहीं होनी चाहिए।

(ग) कद कम से कम 157.5 सें० मी० का हो (नौसेना के लिये 157 सें० मी० तथा वायु सेना के लिये 162.5 सें० मी०)। गोरखा और भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के पर्वतीय प्रदेशों, गढ़वाल तथा कुमायूं के व्यक्तियों का 5 सें० मी० कम कद स्वीकार्य होगा। लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सें० मी० की कमी भी स्वीकार की जा सकती है। कद और वजन के मानक नीचे दिये जाते हैं।

कद और वजन के मानक

सेंटीमीटरों में कद (बिना जूता)	किलोग्राम में वजन		
	18 वर्ष	20 वर्ष	22 वर्ष
152	44	46	47
155	46	48	49
157	47	49	50
160	48	50	51
162	50	52	53
165	52	53	55
168	53	55	57
170	55	57	58
173	57	59	60
175	59	61	62
178	61	62	63
180	63	64	65
183	65	67	67
185	67	69	70
188	70	71	72
190	72	73	74
193	74	76	77
195	77	78	78

उपर्युक्त सारणी में दिये गये औसत वजन से 10 कम-ज्यादा (नौसेना के लिये 6 कि० ग्रा० कम-ज्यादा) वजन सामान्य सीमा के अन्तर माना जाएगा, किन्तु भारी हड्डियों वाले लम्बे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है।

(घ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए तथा पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फैलाव 5 सें० मी० होना चाहिए। माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने सूचक से लगा रहे और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कन्ध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एन्गिल) को छूते रहना चाहिए। छाती का एक्सरे करना जरूरी है। इसे यह जानने के लिये किया जाएगा कि छाती का कोई रोग तो नहीं है।

(ङ) शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए।

(च) उम्मीदवार के सम्बन्ध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्ववृत्त नहीं होना चाहिए।

(छ) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके। उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 610 सें० मी० की दूरी से ओर की कानाफूसी सुन सके। कर्ण नासिका-कंठ की पिछली या अंदर की बिमारी का कोई प्रमाण न हो।

(ज) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए। रक्त दाब सामान्य हो।

(झ) उदरपेशियां सुविकसित हों तथा जिगर या तिल्ली बढ़ी हुई न हो। उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ञ) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया है और उसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो तो वह उम्मीदवार अनुपयुक्त होगा। यदि हर्निया की शल्य चिकित्सा हो गई हो तो वह वर्तमान परीक्षा से कम से कम एक वर्ष पहले हुई हो जिसका जख्म भी पूरी तरह ठीक हो चुका हो।

(ट) हाइड्रोसील वैरिकोसील या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए।

(ठ) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई असामान्यता मिलती है तो इससे उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा।

(ड) उम्मीदवार को दूर दृष्टि जांच में प्रत्येक आंख से एनक सहित या एनक बिना (नौसेना तथा वायु सेना के लिए केवल एनक बिना) 6/6 पढ़ने में समर्थ होना चाहिए। मायोपिया 2.5 डी तथा हाइपरमेट्रोपिया 3.5 डी (एस्टिगमेटिज्म सहित) से अधिक नहीं होना चाहिए। यह जानने के लिये कि आंख में कोई रोग तो नहीं है आंख की आंतरिक परीक्षा ओफथलमोस्कोप से की जाएगी। उम्मीदवार के दोनों नेत्रों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। वर्ण दृष्टि का मानक सी० पी०-3 होगा। उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। नौसेना के उम्मीदवारों को रात्रि दृष्टि तीव्रता सामान्य होनी चाहिए तथा उनको इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को जन्मजात रतौंधी आने का रोग नहीं हुआ है।

(ढ) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए। कम से कम 14 दांत किन्तु वाला उम्मीदवार स्वीकार्य है। जब 32 दांत होते हैं तब कुल 22 दांत किन्तु होते हैं। उम्मीदवार को तीव्र पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए।

(ग) छाती की एक्स-रे परीक्षा में ग्रेव पहलुओं की उपस्थिति हेतु ग्रेव मेरुदण्ड के निचले भाग की परीक्षा भी शामिल होगी। सेना चिकित्सा बोर्ड द्वारा जरूरी समझने पर मेरुदण्ड के अन्य भागों की एक्स-रे परीक्षा की जाएगी।

2. केवल वायु सेना के उम्मीदवारों के लिये उपर्युक्त के साथ-साथ निम्नलिखित चिकित्सा मानक भी लागू होंगे :--

(क) वायुसेना के लिये स्वीकार्य मानव देह सम्बन्धी माप निम्न प्रकार है :--

कद :	162.5 सें० मी०
टांग की लम्बाई	कम से कम 99 सें० मी० और अधिक से अधिक 120 सें० मी०
धड़ की लम्बाई	अधिक से अधिक 64 सें० मी०
बैठकर ऊंचाई	कम से कम 81.5 सें० मी० और अधिक से अधिक 96 सें० मी०

(ख) निम्नलिखित अपसामान्यताओं का पता लगाने के लिये सभी उम्मीदवारों के मेरुदण्ड का एक्स-रे करना जरूरी है :--

(i) काब की पद्धति द्वारा 7 से अधिक का स्कालियोसिस।

(ii) एस० बी० को छोड़ कर स्पाइना बाइफिडा।

(iii) एल० बी०-5 का एक पार्श्व का सेक्रेलाइजेशन ।

(iv) शैवरमेन रोग : स्केरमैन बोड्स, स्पोंडिलोसिस या स्पींडिलोसिसथियोसिस।

(v) मेरुदण्ड का कोई अन्य प्रमुख रोग।

(ग) छाती का एक्स-रे जरूरी है।

(घ) दृष्टि

दूर की दृष्टि : 6/6, 6/6 तक सुधार योग्य 6/9

पास की दृष्टि : प्रत्येक आंख की एन-5

वर्ण दृष्टि : सी० पी०-I (एम० आई० एल०)

मेनीफ्लेस्ट हाइपरमेट्रोपिया--2.00 डी० से अधिक न हो।

नेत्र पेशी सन्तुलन

मेडोक्स रोड टैस्क के साथ हैटरोफोरिया निम्नलिखित से अधिक न हो :-

(i) 6 मीटर पर	एक्सोफोरिया 6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस ऐसोफोरिया 6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
(ii) 33 सेंटीमीटर पर	एक्सोफोरिया 16 प्रिज्म डायोप्ट्रेस ऐसोफोरिया 6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस हाइपरफोरिया 1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस मायोपिया , कुछ नहीं एस्टिग्मेटिज्म + 0.75 डी० सिर्फ

द्विनेत्री दृष्टि—अच्छी द्विनेत्री दृष्टि का होना अनिवार्य है (फ्यूजन तथा स्टरवोप्सिस तथा साथ में अच्छा आयाम व गहनता)

(ङ) मानक

(i) वाक्परीक्षण :	प्रत्येक कान से 610 सें० मी० से कानाफूसी सुनाई दे।
(ii) अध्यतामितिक परीक्षण :	250 एच० एक्स तथा 4000 एच० जैड० के बीच की आवृत्तियों में अध्यतामितिक कमी 10 डी० बी० से अधिक न हो।

(च) रुटीन ई० सी० जी० तथा ई० ई० जी० सामान्य सीमा में हो।

3. नौसैनिक विमानन शाखा के उम्मीदवार हेतु स्वास्थ्य मानक वही होंगे जो वायुसेना के उड़ान ड्यूटी हेतु उम्मीदवारों के हैं।

16—296GI/81

परिशिष्ट III

सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण नीचे दिये गये हैं :--

भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिये :--

1. भारतीय सेना अकादमी में भर्ती करने से पूर्व :--

(क) उसे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि उसे कोई चोट लग जाये या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या संवेदना हरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अक्षमता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) उसके माता-पिता या संरक्षक को इस आशय के बन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियन्त्रण में समझे जाते हैं, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापस आना चाहता है या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर शिक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र पर किये गए व्यय तथा दिये गये वेतन और भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे उसे वापस करनी होगी।

2. अंतिम रूप से चुने गये उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हीं उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के अधीन "जैंटलमैन कैडेट" के रूप में दर्ज किये जायेंगे। "जैंटलमैन कैडेट" पर साधारण अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिये भारतीय सेना अकादमी के नियम और विनियम लागू होंगे।

3 यद्यपि, आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित, प्रशिक्षण के खर्च का भार सरकार वहन करेगी लेकिन यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार अपना खर्च खुद बर्दाश्त करेंगे। भारतीय सेना अकादमी में (उम्मीदवार का न्यूनतम मासिक व्यय 55.00 रु० से अधिक होने की संभावना नहीं है)। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को भी पूरा या आंशिक रूप में बर्दाश्त करने में असमर्थ हों तो सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जा सकती है। लेकिन जिन उम्मीदवारों के माता-पिता या संरक्षक की मासिक आय 500.00 रु० या इससे अधिक हो, वे इस वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिये अचल सम्पत्तियों और सभी साधनों से होने वाली आय का भी ध्यान रखा जाएगा।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता/संरक्षक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र/संरक्षित के भारतीय सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिये अंतिम रूप से चुने जाने के तुरन्त बाद अपने जिला के जिला मैजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन-पत्र देना चाहिए जिसे जिला मैजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित भारतीय सेना अकादमी देहरादून के कमाण्डेन्ट को अग्रेषित कर देगा।

4. भारतीय सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिये अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को आने पर, कमाण्डेंट के पास निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी :--

(क) प्रतिमास रु० 55.00 के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च	275.00
(ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिये	800.00
योग	1075.00

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि से नीचे लिखी राशि वापिस कर दी जाएगी :--

55.00 रु० प्रतिमास के हिसाब से पांच महीने का बोर्ड खर्च 275.00 रु०

8. भारतीय सेना अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं :—

(1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति :--यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है। इस छात्रवृत्ति की राशि अधिक से अधिक 500.00 रु० प्रति वर्ष है जो कि कैडेटों को भारतीय सेना अकादमी में रहने की अवधि के दौरान दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति संतोषजनक हो। जिन उम्मीदवारों को यह छात्रवृत्ति मिलती है वे किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे।

(2) कर्नल कैंडल फ्रैंक मेमोरियल छात्रवृत्ति :--इस छात्रवृत्ति की राशि 360/- रुपया प्रति वर्ष है और यह किसी ऐसे पात्र मराठा कैडेट को दी जाती है जो किसी अलपर्ड सैनिक का पुत्र हो। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

6. भारतीय सेना अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिये सामान्य शर्तों के अन्तर्गत समय-समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार परिवहन भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा। इस भत्ते की जो रकम खर्च होगी वह :

(क) कैडेट को कमीशन दे दिये जाने पर दे दी जाएगी।

(ख) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो भत्ते की यह रकम राज्य को वापस कर दी जाएगी।

कमीशन प्रदान किये जाने पर इस भत्ते से खरीदे गये वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत सम्पत्ति बन जाएगी। किन्तु यदि प्रशिक्षणाधीन कैडेट त्यागपत्र दे दे या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया जाए या वापस बुला लिया जाए तो उपर्युक्त वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित का दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

7. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने वाले जेंटिलमैन कैडेट को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दे दी जानी चाहिए। उनके प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण, भोजन तथा सम्बद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल किया जाएगा। भारतीय सेना अकादमी में उम्मीदवारों को भर्ती किये जाने से पूर्व उनके माता-पिता/अभिभावकों को इस आशय के एक बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिस जेंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे सेना मुख्यालय की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवार को अपनी रेजिमेंट या कोर में वापिस भेज दिया जाएगा।

8 यह कमीशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करने पर ही दिया जायेगा। कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से अगले दिन से शुरू होगी। यह कमीशन स्थायी होगा।

9. कमीशन देने के बाद उन्हें सेना के नियमित अफसरों के समान वेतन और भत्ते, पेंशन और छुट्टी दी जायेगी तथा सेवा की अन्य शर्तें भी वही होंगी जो सेना के नियमित अफसरों पर समय-समय पर लागू होंगी।

प्रशिक्षण :--

10. भारतीय सेना अकादमी में आर्मी कैडेट को "जेंटलमैन कैडेट" का नाम दिया जाता है तथा उन्हें 18 मास के लिये कड़ा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इन्फैन्ट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत जेंटलमैन कैडेटों को सेकिण्ड लेफ्टिनेन्ट के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है बशर्ते कि एस० एच० ए० सी० ई० एम० शारीरिक रूप से स्वस्थ हों।

सेवा की शर्तें --:

(i) वेतन

रैंक	वेतनमान
सेकिण्ड लेफ्टिनेन्ट	750-790
लेफ्टिनेन्ट	830-950
कैप्टन	1100-1550
मेजर	1450-1800
लेफ्टिनेन्ट-कर्नल (चयन द्वारा)	1750-1950
लेफ्टिनेन्ट कर्नल (समय वेतनमान)	1900 नियत
कर्नल	1950-2175
ब्रिगेडियर	2200-2400
मेजर जनरल	2500-125/2-2750
लेफ्टिनेन्ट जनरल	3000 प्रतिमास
लेफ्टिनेन्ट जनरल (आर्मी कमांडर)	3250 प्रतिमास

(ii) योग्यता, वेतन और अनुवान

लेफ्टिनेन्ट कर्नल और उससे नीचे के रैंक के कुछ निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारी अपनी योग्यताओं के आधार पर 1600 रु०, 2400 रु०, 4500 रु० अथवा 6000 रु० के एक मुश्त अनुवान के हकदार हैं। उड्डान प्रशिक्षक (वर्ग 'ख') रु० 70 की दर पर योग्यता वेतन के अधिकारी होंगे।

III. भत्ते :--

(iii) वेतन के अतिरिक्त अफसरों को इस समय निम्नलिखित भत्ते मिलते हैं :--

(क) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय-समय पर लागू दरों और शर्तों के अनुसार इन्हें भी नगर प्रतिकर तथा मंहगाई भत्ते दिये जाते हैं।

(ख) 50 रु० प्रति मास की दर से किट अनुरक्षण भत्ता।

(ग) भारत के बाहर सेवा करने पर ही प्रवास भत्ता मिलेगा। यह विदेश भत्ते की तदनुरूपी एकल दर का 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक होगा।

(घ) नियुक्ति भत्ता जब विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाता है जहां परिवार सहित नहीं रखा जा सकता है, तब ये अफसर 70/- रु० प्रतिमास की दर से नियुक्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

(ङ) सज्जा भत्ता :--प्रारंभिक सज्जा भत्ता रु० 1400 है। प्रथम कमीशन की तारीख से प्रत्येक सात वर्ष के बाद एक नये सज्जे भत्ते का दावा किया जा सकता है।

(iv) तैनाती

थल सेना अफसर भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किये जा सकते हैं।

(v) पदोन्नति :

(क) स्थाई पदोन्नति :

उच्चतर रैंकों पर स्थाई पदोन्नति के लिये निम्नलिखित सेवा सीमायें हैं :--

समय	
लेफ्टिनेन्ट	2 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
कैप्टन	6 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा

मेजर	13 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर से लेफ्टिनेन्ट कर्नल पदो-	
न्नयन द्वारा पदोन्नति न हुई हो	26 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
चयन द्वारा	
लेफ्टिनेन्ट कर्नल	16 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
कर्नल	20 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
ब्रिगेडियर	23 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर जनरल	25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेन्ट जनरल	28 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
जनरल	कोई प्रतिबन्ध नहीं।

(ख) कार्यकारी पदोन्नति :

निम्नलिखित न्यूनतम सेवा सीमाएं पूरी करने पर अफसर उच्चतर रैंकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिये पात्र होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों :--

कैप्टन	3 वर्ष
मेजर	5 वर्ष
लेफ्टिनेन्ट कर्नल	6-1/2 वर्ष
कर्नल	8-1/2 वर्ष
ब्रिगेडियर	12 वर्ष
मेजर जनरल	20 वर्ष
लेफ्टिनेन्ट जनरल	25 वर्ष

(ख) नौसेना अकादमी कोचीन में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिये :--

1. (क) जो उम्मीदवार अकादमी में प्रशिक्षण के लिये अंतिम रूप से चुन लिये जाएंगे, उन्हें नौसेना की कार्यकारी शाखा में कैडेटों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उन उम्मीदवारों को नौसेना अकादमी कोचीन के प्रभारी अफ़सर के पास निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी।

(1) जिन उम्मीदवारों ने सरकारी वित्तीय सहायता के लिये आवेदन-पत्र नहीं दिया हो :--

(i) 45.00 रुपये प्रतिमास की दर से पांच मास के लिये जेब खर्च	225.00 रु०
(ii) कपड़ों और सज्जा-सामग्री के लिए	460.00 रु०
जोड़	685.00 रु०

(2) जिन उम्मीदवारों ने सरकारी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन-पत्र दिया हो

(i) 45.00 रु० प्रति मास की दर से दो मास के लिए जेब खर्च	90.00
(ii) कपड़ों और सज्जा-सामग्री के लिए	460.00
जोड़	550.00

(ख) (i) चुने हुए उम्मीदवारों को कैडेटों के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा उन्हें नौसेना जहाजों और प्रतिष्ठानों में नीचे दिया गया प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा :--

(क) कैडेट प्रशिक्षण तथा 6 मास का नौकार्य प्रशिक्षण	--1 वर्ष
(ख) मिडशिपमैन नौकार्य प्रशिक्षण	6 मास
(ग) कार्यकारी सब-लेफ्टिनेन्ट तकनीकी पाठ्यक्रम	12 मास

(ख) सब-लेफ्टिनेन्ट :

उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, अधिकारियों को नौवहन सिग्नलरी संबंधी पूर्ण प्रमाण पत्र लेने के लिए भारतीय नौसैनिक जहाजों पर नियुक्त किया जाएगा, जिसके लिये कम से कम 6 मास की अवधि आवश्यक है।

(ii) नौ-सेना अकादमी में कैडेटों के लिये शिक्षण, आवास और संबद्ध सेवाओं, पुस्तकों, वर्दी, भोजन तथा डाक्टरी इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। किन्तु कैडेटों के माता-पिता अभिभावकों को उनका जेब खर्च और निजी खर्च वहन करना होगा। यदि कैडेट के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय 500 रु० से कम हो और वह कैडेट का जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकते हों तो सरकार कैडेट के लिये 55 रु० प्रति मास वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकती है। वित्तीय सहायता लेने का इच्छुक उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन-पत्र दे सकता है। जिला मजिस्ट्रेट उस आवेदन-पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ निदेशक, कार्मिक सेवा, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली के पास भेज देगा। यदि किसी माता-पिता /अभिभावक के दो अथवा उससे अधिक पुत्र या आश्रित नौसेना जहाजों/प्रतिष्ठानों में साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तो उन सभी को साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि के लिये उपर्युक्त वित्तीय सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि माता-पिता /अभिभावक की मासिक आय 600/- रु० से अधिक न हो।

(iii) बाद का प्रशिक्षण भारतीय नौसेना के जहाजों और स्थापनाओं में भी उन्हें सरकारी खर्च पर दिया जाता है। अकादमी छोड़ने के बाद उनके पहले छह मास के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उपर्युक्त पैरा (ii) के अनुसार अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को मिलने वाली वित्तीय सहायता के समान सहायता दी जाएगी। भारतीय नौसेना के जहाजों और उनके प्रतिष्ठानों में छह मास का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद जिन कैडेटों की मिडशिपमैन के रैंक में पदोन्नति कर दी जाएगी और वे वेतन प्राप्त करने लगेंगे, तब उनके माता-पिता को उनका कोई खर्च नहीं देना होगा।

(iv) कैडेटों को सरकार से निःशुल्क वर्दी मिलेगी किन्तु उन्हें इसके अलावा कुछ और कपड़े भी लेने होंगे। इन कपड़ों के सही नमूने उनकी एक रूपता को सुनिश्चित करने के लिये, ये कपड़े नौसेना अकादमी में तैयार किये जायेंगे तथा उनका खर्च कैडेटों के माता-पिता अभिभावकों को वहन करना होगा। वित्तीय सहायता के लिये आवेदन-पत्र देने वाले कैडेटों को कुछ कपड़े निःशुल्क या उधार दिये जा सकते हैं। उन्हें कुछ विशेष कपड़े ही खरीदने होंगे।

(v) प्रशिक्षण के दौरान सर्विस कैडेटों को अपने मूल रैंक के वही वेतन और वही भत्ते मिलेंगे जो कैडेटों के चुने जाने के समय नाविक या सेवक या अप्रेंटिस के पद पर काम करते हुए प्राप्त कर रहे होंगे। यदि उन्हें उस रैंक में वेतन वृद्धि दी जानी हो तो वे उस वेतन वृद्धि को पाने के भी हकदार होंगे यदि उनके मूल रैंक का वेतन और भत्ते सीधे भर्ती होने वाले कैडेटों को मिलने वाली वित्तीय सहायता से कम हों तथा वे उस सहायता को प्राप्त करने के पात्र हों तो उन्हें उपर्युक्त दोनों राशियों के अन्तर की राशि भी मिलेगी।

(vi) सामान्यतः किसी कैडेट को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस कैडेट को भारतीय नौसेना जहाजों और प्रतिष्ठानों में कोर्स पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे सरकार के अनुमोदन से प्रशिक्षण से वापस बुलाया जा सकता है तथा उसे प्रशिक्षण से हटाया भी जा सकता है। इन परिस्थितियों में किसी सर्विस कैडे

को उसकी मूल सर्विस पर वापस भेज दिया जाएगा। जिस कैडेट को इस प्रकार प्रशिक्षण से हटाया जाएगा या मूल सर्विस पर वापस भेजा जाएगा, वह परवर्ती कोर्स में दुबारा दाखिल होने का पात्र नहीं रहेगा। किन्तु जिन कैडेटों को कुछ करुणा-जन्य कारणों के आधार पर त्यागपत्र देने की अनुमति दी जाती है उनके मामलों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

1. किसी उम्मीदवार के भारतीय नौसेना में कैडेट चुने जाने से पूर्व माता-पिता/अभिभावक को :

(क) इस आशय के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली भांति समझता है कि यदि उसके पुत्र को या आश्रित को प्रशिक्षण के दौरान या उसके कारण कोई चोट लग जाये या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या उपर्युक्त कारणों या अन्य कारणों से चोट लगने पर किये गये आपरेशन से या आपरेशन के दौरान मूर्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप मृत्यु हो जाए तो उसे या उसके पुत्र या आश्रित को सरकार से मुआवजा मांगने के दावे का या सरकार से अन्य सहायता मांगने का कोई हक नहीं होगा।

(ख) इस आशय के बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी ऐसे कारण से जो उनके नियंत्रण के अधीन हो, यदि उम्मीदवार पूरा होने से पहले वापस जाना चाहे या यदि कमीशन दिये जाने पर स्वीकार न करे तो शिक्षा, शुल्क, भोजन, वस्त्र, वेतन तथा भत्ते, जो कैडेटों ने प्राप्त किये हैं, उनका मूल्य या उनका वह अंश जो सरकार निर्णय करे, चुकाने की जिम्मेवारी वह लेता है।

3. वेतन और भत्ते

(क) वेतन

रैंक	वेतनमान सामान्य सेवा
1	2
मिडशिपमैन	560.00 रुपए
एक्टिंग सब-लेफ्टिनेन्ट	750.00 रुपए
सब-लेफ्टिनेन्ट	830-870 रुपए
लेफ्टिनेन्ट	1100-1450 रुपए
लेफ्टिनेन्ट-कमोडोर	1450-1800 रुपए
कमाण्डर (चयन मान द्वारा)	1750-1950 रुपए
कमांडर (समय वेतनमान द्वारा)	1900.00 रुपए (नियत)
कैप्टन	1950-2400 रुपए (कमोडोर वह वेतन प्राप्त करता है जिसके लिये वह कैप्टन के रूप में वरिष्ठता के आधार पर हकदार होता है।)
रियर एडमिरल	2500-125/2 2750 रुपए
वाइस एडमिरल	3000 रुपए

(ख) भत्ते

वेतन के अतिरिक्त अफसरों को निम्नलिखित भत्ते मिलते हैं :—

(i) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय-समय पर लागू दरों और भत्तों के अनुसार उन्हें भी नगर प्रतिकर तथा मंहगाई भत्ता मिलता है।

(ii) 50/- रु० प्रतिमास की दर से किट अनुरक्षण भत्ता (कमोडोर रैंक के तथा उनसे नीचे के रैंक के अफसरों को)।

(iii) जब अफसर भारत के बाहर सेवा कर रहा हो, तब धारित रैंक के अनुसार 50/- रुपए से 250/- रुपए तक प्रतिमास प्रवास भत्ता।

(iv) 70/- रु० प्रति मास के हिसाब से इन अफसरों को नियमित भत्ता मिलेगा :—

(i) जिन विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाएगा जहां वे परिवार सहित नहीं रह सकते।

(ii) जिन विवाहित अफसरों को आई० एन० जहाजों पर तैनात किया जाएगा अथवा जितनी अवधि के लिए वे बेस पत्तनों से दूर जहाजों पर रहेंगे।

(iii) जितनी अवधि के लिये बेस पत्तनों से दूर जहाजों पर रहेंगे, उतनी अवधि के लिए उन्हें मुफ्त राशन मिलेगा।

टिप्पणी I :—उपर्युक्त के अलावा संकट के समय काम करने की राशि पनडुब्बी भत्ता, पनडुब्बी वेतन संरक्षण, भातृतोषिक/अर्हता वेतन/अनुदान तथा गोताखोरी वेतन जैसी कुछ विशेष रियायत भी अफसरों को दी जा सकती है।

टिप्पणी II :—अफसर पनडुब्बी तथा विमानन सेवाओं के लिए अपनी सेवायें अर्पित कर सकते हैं। इन सेवाओं में सेवा के लिये चुने गये अफसर बढ़े हुए वेतन तथा भत्तों को पाने के हकदार होते हैं।

4 पदोन्नति

(क) समय वेतनमान द्वारा	
मिडशिपमैन से एक्टिंग सब लेफ्टिनेन्ट तक	1/2 वर्ष
ऐक्टिंग सब-लेफ्टिनेन्ट से सब लेफ्टिनेन्ट तक	1 वर्ष
सब-लेफ्टिनेन्ट से लेफ्टिनेन्ट तक	ऐक्टिंग और स्थाई सब-लेफ्टिनेन्ट (वरिष्ठता के लाभ/समपहरण के अधीन) रूप में 3 वर्ष
लेफ्टिनेन्ट से लेफ्टिनेन्ट कमोडोर तक	लेफ्टिनेन्ट के रूप में 8 वर्ष की वरिष्ठता
लेफ्टिनेन्ट कमोडोर से कमोडोर तक	24 वर्ष की संगणीय
(यदि चयन द्वारा पदोन्नति न हुई हो)	कमीशन प्राप्त सेवा
(ख) चयन द्वारा	
लेफ्टिनेन्ट कमोडोर से कमोडोर तक	लेफ्टिनेन्ट कमोडोर के रूप में 2-8 वर्ष की वरिष्ठता।
कमोडोर से कैप्टन तक	कमोडोर के रूप में 4 वर्ष वरिष्ठता।
कैप्टन से रियर एडमिरल और उससे ऊपर तक	कोई सेवा प्रतिबन्ध नहीं।

5 तैनाती

अफसर भारत और विदेश में कहीं भी तैनात किये

निदेशक कार्मिक सेवा नौसेना मुख्यालय,
110011 से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) अफसर ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिये :—

1. इससे पूर्व कि उम्मीदवार अफसर ट्रेनिंग स्कूल मद्रास, मद्रास में भर्ती हों :—

(क) उसे इस आशय से प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली भांति समझता है कि उसे या उसके वैध वारिसों को सरकार से मुआवजे या अन्य किसी सहायता के दावे का कोई हक नहीं होगा, यदि उसे प्रशिक्षण के दौरान कोई चोट या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या मृत्यु हो जाए या उपर्युक्त कारणों से चोट लगने पर किए गए आपरेशन या आपरेशन के दौरान मूर्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप ऐसा हो जाए।

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को एक बाण्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी कारण से जो उसके नियंत्रण के अधीन मान लिया जाए यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा करने से पूर्व वापिस जाना चाहे या यदि दिये जाने पर कमीशन स्वीकार न करे या अफसर ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए शादी कर ले तो उसे शिक्षा, खाना, वस्त्र और वेतन तथा भत्ते जो उसने प्राप्त किये हैं, उनकी लागत या उनका वह अंश जो सरकार निर्णय करे, चुकाने के जिम्मेवार होंगे।

2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जाएंगे उन्हें अफसर ट्रेनिंग स्कूल में लगभग 9 महीने का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा। इन उम्मीदवारों को "सेना अधिनियम के अंतर्गत जैन्टलमैन कैडेट" के रूप में नामांकित किया जाएगा। सामान्य अनुशासन की दृष्टि से ये जैन्टलमैन कैडेट अफसर ट्रेनिंग स्कूल के नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत रहेंगे।

3. प्रशिक्षण की लागत जिसमें आवास पुस्तकें वर्दी व भोजन तथा चिकित्सा सुविधा शामिल है सरकार वहन करेगी और उम्मीदवारों को अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा। कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम 55 रु० प्रतिमास से अधिक खर्च की संभावना नहीं है। किन्तु यदि उम्मीदवार कोई फोटोग्राफी शिकार खेलना सैरसपाटा इत्यादि का शौक रखता हो तब उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। यदि कोई कैडेट यह न्यूनतम व्यय भी पूर्ण या आंशिक रूप में वहन नहीं कर सके तो उसे समय-समय पर परिवर्तनीय दरों पर इस हेतु वित्तीय सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि कैडेट और उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 500 रु० प्रति मास से कम हो। वर्तमान आदेशों के अनुसार वित्तीय सहायता की दर 55 रुपए प्रतिमास है। जो उम्मीदवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक है उसे प्रशिक्षण के लिये अंतिम रूप से चुने जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन अपने जिले के जिला मैजिस्ट्रेट को भेजना होगा जो अपनी सत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदन-पत्र को कमांडेंट अफसर ट्रेनिंग स्कूल मद्रास को भेज देगा।

4. अफसर ट्रेनिंग स्कूल में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिये चुने गए उम्मीदवारों को वहां पहुंचने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित धन राशि जमा करनी होगी :—

(क) 55.00 रु० प्रति मास की दर से नौ महीने के लिये जेब खर्च	550.00 रुपए
(ख) वस्त्र तथा उपकरण के लिये	500.00 रुपए
योग	1050·00

कैडेटों की वित्तीय सहायता स्वीकृत हो जाती है तो राशि में से (ख) के सामने दी गई राशि वापस कर दी जाएगी।

5. समय-समय जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत परिधान भत्ता मिलेगा।

कमीशन मिल जाने पर इस भत्ते से खरीदे गये वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत सम्पत्ति बन जायेंगे। यदि कैडेट प्रशिक्षणाधीन अवधि में त्याग-पत्र दे दे या उसे निकाल दिया जाए या कमीशन से पूर्व वापस बुला लिया जाए तो इन वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

6. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले जैन्टिलमैन कैडेटों को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्याग-पत्र स्वीकृत होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। प्रस्थान से पूर्व उनसे प्रशिक्षण भोजन तथा सम्बद्ध सेवाओं पर होने वाला खर्च वसूल किया जाएगा। अफसर प्रशिक्षण स्कूल में उम्मीदवारों को भर्ती किये जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके माता पिता/अभिभावकों को इस आशय का एक बांड भरना होगा।

7. जिस/जैंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का सम्पूर्ण कोर्स करने के योग्य नहीं समझा जाएगा जैसे सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवार को उसकी रेजिमेंट कोर में वापस भेज दिया जाएगा।

8. कमीशन प्रदान कर दिये जाने के बाद वेतन तथा भत्ते पेंशन छुट्टी तथा अन्य सेवा शर्तें निम्न प्रकार होंगी।

9. प्रशिक्षण

1. चुने गये उम्मीदवारों को सेवा अधिनियम के अन्तर्गत जैन्टलमैन कैडेटों के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा वे अफसर ट्रेनिंग स्कूल में लगभग 9 मास तक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे। प्रशिक्षण सफलता पूर्वक करने के उपरांत जैन्टलमैन कैडेट को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से सैकेंड लेफ्टिनैन्ट के पद पर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है।

10. सेवा की शर्तें

(क) परिवीक्षा की अवधि

कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अफसर 6 मास की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा। यदि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान कमीशन धारण करने के अनुपयुक्त बताया गया तब उनकी परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त किया जा सकता है।

(ख) तैनाती

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर उन्हें भारत या विदेश में कहीं भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता है।

(ग) नियुक्ति की अवधि तथा पदोन्नति

नियमित थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जाएगा जो अफसर सेना में पांच वर्ष के अल्पकालिक सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना म सेवा करने के इच्छुक होंगे यदि हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए गए तो संबंधित नियमों के अनुसार उनके अल्पकालि सेवा कमीशन के अंतिम वर्ष में उनको स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा। जो पांच वर्ष की अवधि के दौरान स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने की अर्हता प्राप्त नहीं कर पाएंगे उन्हें पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

(घ) वेतन और भत्ते

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसर वही वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे जो सेवा के नियमित अफसरों को प्राप्त होता है।

सैकेण्ड लेफ्टिनेन्ट और लेफ्टिनेन्ट के वेतन की दर इस प्रकार है :—

सैकेण्ड लेफ्टिनेन्ट—750-790 रु० प्रति मास।

लेफ्टिनेन्ट—830-950 रु० प्रति मास।

तथा अन्य भत्ते जो नियमित अफसरों को मिलते हैं।

(छ) छुट्टी

छुट्टी के संबंध में ये अफसर अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों के लिये, लागू नियमों से शासित होंगे जो सेना अवकाश नियमावली खण्ड-1 थल सेना, के अध्याय पांच में उल्लिखित है। ये अफसर ट्रेनिंग स्कूल के पासिंग आउट करने पर तथा ड्यूटी ग्रहण करने से पूर्व उक्त नियम 91 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार भी छुट्टी के हकदार होंगे।

(ज) कमीशन की समाप्ति

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसर को पांच वर्ष सेवा करनी होगी किन्तु भारत सरकार निम्नलिखित कारणों से किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त कर सकती है :—

(i) अपचार करने या असंतोषजनक रूप से या सेवा करने पर; या

(ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य होने पर;

(iii) उसकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता न होने पर या

(iv) उसके किसी निर्धारित परीक्षण या कोर्स में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहने पर।

तीन महीने का नोटिस देने पर किसी अफसर की करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है। किन्तु इसकी पूर्णत निर्णायक भारत सरकार ही होगी। करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्यागपत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर कोई अफसर सेवांत उपदान पाने का पात्र नहीं होगा।

(झ) पेंशन लाभ

(i) ये अभी विचाराधीन है।

(ii) अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसर 5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 5000.00 का सेवांत उपदान पाने के हकदार होंगे।

(ञ) रिजर्व में रहने का दायित्व

5 वर्ष की अल्पकालिक सेवा कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन सेवा पूर्ण करने के बाद से 5 वर्ष की अवधि के लिये या 40 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, रिजर्व में रहेंगे।

(ट) विविध :—

सेवा संबंधी अन्य सभी शर्तें जब तक उनका उपयुक्त उपबंधों के साथ मेल नहीं होता है वही होंगी जो नियमित अफसरों के लिये लागू हैं।

(ब) वायु सेना अकादमी में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिये

1. चयन :—

भारतीय वायु सेना की उड़ान शाखा (पाइलट) में दो प्रकार से भर्ती की जाती है। अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से डायरेक्ट एन्ट्री और वायु स्कंध वरिष्ठ प्रभाग के माध्यम से एन० सी० सी०।

(क) डायरेक्ट एन्ट्री—आयोग लिखित परीक्षा के आधार पर चयन करता है, ये परीक्षाएं एक वर्ष में सामान्यत: वर्ष में दो बार और मई और नवम्बर में ली जाती हैं। सफल उम्मीदवारों को वायु सेना चयन बोर्ड के सामने परीक्षण और साक्षात्कार के लिये भेजा जाता है।

(ख) एन० सी० सी० के माध्यम से प्रवेश :—राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशक द्वारा विभिन्न एन० सी० सी० यूनिटों के माध्यम से एन० सी० सी० उम्मीदवारों से आवेदन-पत्रों को आमंत्रित करके उन्हें वायु सेना मुख्यालय को अग्रसारित कर दिया जाता है। पात्र उम्मीदवारों को परीक्षण और साक्षात्कार के लिये वायु सेना चयन बोर्ड के सामने प्रस्तुत होने का निदेश दिया जाता है।

2. प्रशिक्षण पर भेजना वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुसंशित और उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य पाये जाने वाले उम्मीदवारों को वरीयता तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है। डायरेक्ट एन्ट्री उम्मीदवारों की वरीयता सूची संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की जाती है और एन० सी० सी० उम्मीदवारों की वरीयता सूची अलग से तैयार की जाती है। डायरेक्ट एन्ट्री उड़ान (पाइलट) उम्मीदवारों की वरीयता सूची सं० लो० से० आ० द्वारा लिखित परीक्षण में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों तथा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उम्मीदवारों की वरीयता सूची उनके द्वारा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है।

3. प्रशिक्षण : वायु सेना अकादमी में उड़ान शाखा (पाइलट) के लिये प्रशिक्षण की अवधि 74 लगभग 75 सप्ताह होगी।

4 भविष्य में पदोन्नति की संभावनायें :—प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को पाइलट अफसर का रैंक दिया जाता है और वे उसी रैंक के वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। वर्तमान दरों के आधार पर, उड़ान शाखा के अधिकारियों को लगभग रु० 1575/- प्रति माह मिलते हैं जिसमें उड़ान वेतन रु० 375/- प्रति माह भी सम्मिलित है। वायु सेना का भविष्य बहुत उज्जवल होता है यद्यपि विभिन्न शाखाओं में इस प्रकार की संभावनायें अलग-अलग होती हैं।

भारतीय वायु सेना में दो प्रकार से पदोन्नति होती है अर्थात् कार्यकारी रैंक प्रदान करके और स्थाई रैंक प्रदान करके प्रत्येक उच्च रैंक के लिये अतिरिक्त परिलब्धियां निर्धारित हैं। रिक्तियों की संख्या पर आधारित हर एक को उच्च कार्यकारी रैंक में पदोन्नति प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिलते हैं। स्क्वेड्रन लीडर और विंग कमांडर के रैंक में समय वेतनमान पदोन्नति उड़ान (पाइलट) शाखा में क्रमश: 11 वर्ष की तथा 14 वर्ष की सफल सेवा पूरी करने के बाद की जाती है। विंग कमांडर और उससे ऊपर के उच्चतर पदों में पदोन्नति विधिवत् गठित पदोन्नति बोर्डों द्वारा चयन के आधार पर की जाती है। उपीयमान अधिकारियों के लिये पदोन्नति के अच्छे अवसर होते हैं।

5. वेतन तथा भत्ते :—

मूल रैंक	उड़ान शाखा
	रु०
पाइलट अफसर	825-865
फ्लाइट अफसर	910-1030
फ्लाइंग लेफ्टिनेन्ट	1150-1550
स्क्वेड्रन लीडर	1450-1800
विंग कमांडर	1550-1950
ग्रुप कैप्टन	1950-2175
एअर कमोडोर	2200-2400
एअर वाइस मार्शल	2500-2750
एअर मार्शल	300-

मंहगाई तथा प्रतिकर भत्ते :—अधिकारियों को ये भत्ते भारत सरकार के सिविलियन कर्मचारियों को लागू होने वाली शर्तों के अंतर्गत की गई दरों पर मिलते हैं।

किट अनुरक्षण भत्ता :—रु० 50/- ;प्रति माह; उड़ान वेतन; उड़ान शाखा के अधिकारी निम्नलिखित दरों पर उड़ान वेतन प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

विंग कमांडर और उससे नीचे	रु० 375.00	प्रति माह
ग्रुप कैप्टन और एयर कमोडोर	रु० 333.33	प्रति माह
एयर वाइस मार्शल और उससे ऊपर	रु० 300.00	प्रति माह

योग्यता वेतन :—कमीशन सेवा के दो या दो से अधिक वर्ष पूरा करने वाले विंग कमांडर और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों को विशिष्ट योग्यताओं के लिए निर्धारित दरों पर योग्यता वेतन/अनुदान प्रदान किया जाता है। योग्यता वेतन की दर रु० 70/- और रु० 100/- है और अनुदान रु० 6000/- रु०, 4500/- रु०, 2400/- और रु० 1600/- है।

प्रवास भत्ता :—जहां वायु सेना अधिकारियों को टुकड़ियों के रूप में रखा जाना अपेक्षित होता है। उस देशों में नियुक्त एक तृतीय सचिव, द्वितीय सचिव, प्रथम सचिव कन्सूलर को दिए जाने वाले विदेश भत्ते का 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक (धारित रैंक के अनुसार) प्रवास भत्ता देय होता है।

नियुक्ति भत्ता :—ऐसे विवाहित अधिकारी जिनकी नियुक्ति यूनिट में होती है। पर परिवार स्टेशन स्थित/सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे स्थान जहां अधिकारियों को परिवार को साथ रखने की अनुमति नहीं होती है उन्हें रु० 70/- प्रतिमास की दर से नियुक्ति भत्ता दिया जाएगा।

परिधान भत्ता :—वर्दी/उपस्कर जो कि प्रत्येक अधिकारी को अवश्य रखनी पड़ती है उसके मूल्य के बदले में दिया जाने वाला प्रारम्भिक परिधान भत्ता रु० 1400/- है (समय-समय पर इसमें संशोधन किया जाता है) नवीकरण के लिए हर सात साल के बाद रु० 1200/- दिए जाएंगे। कैम्पकिट कमीशन प्रदान करते समय मुफ्त दी जाती है।

6. छुट्टी और अवकाश यात्रा रियायत भत्ता

वार्षिक अवकाश	: वर्ष में 60 दिन
आकस्मिक अवकाश	: वर्ष में 20 दिन : एक बार में 10 दिन से अधिक नहीं।

कमीशन प्राप्त करने के एक वर्ष के बाद जब भी अधिकारी वार्षिक आकस्मिक अवकाश लेंगे वे तथा उनके परिवार के सदस्य मुफ्त सवारी के हकदार होंगे चाहे अवकाश की अवधि कुछ भी क्यों न हो। जनवरी 1971 से प्रारम्भ होने वाले दो वर्षों के ब्लाक में एक बार अधिकारी अपने ड्यूटी स्थान (यूनिट) से घर तक आने के लिए निःशुल्क सवारी वाहन के हकदार होंगे। जिस वर्ष इस रियायत का उपयोग नहीं किया जायगा तो उस वर्ष उसे पत्नी सहित 965 कि० मी० के रास्ते के लिए आने और जाने दोनों तरफ की सुविधा पाने के हकदार होंगे।

इसके अतिरिक्त उड़ान शाखा के अधिकारियों को, जो प्राधिकृत स्थापना में रिक्तियों को भरने के लिए नियमित उड़ान ड्यूटी पर तनात होते हैं, अवकाश लेने पर वर्ष में एक बार वारंट पर 1600 कि० मी० की दूरी को तय करने के लिए रेल द्वारा उपयुक्त क्लास में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी इसमें आने और जाने की यात्रा सम्मिलित होगी।

जो अधिकारी छुट्टी लेकर अपने खर्च से यात्रा करने के इच्छुक हैं वे कलेण्डर वर्ष में तीन बार पत्नी तथा बच्चों के रेल द्वारा प्रथम श्रेणी के किराए का 60 प्रतिशत भुगतान करके यात्रा करने के हकदार होंगे। इसमें एक बार पूरे परिवार के साथ यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवार में पत्नी तथा बच्चों के अलावा अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित माता-पिता, बहनें और नाबालिक भाई शामिल होंगे।

7. पेंशन लाभ :—

सेवा निवृत्ति के समय रैंक (स्थायी)	अर्हक सेवा की न्यूनतम अवधि	निवृत्ति पेंशन की मानक दर
		रु० प्रतिमाह
पाइलट अफसर फ्लाइंग अफसर	20 वर्ष	525 "
फ्लाइट लेफ्टिनेंट	20 वर्ष	750 "
स्क्वैड्रन लीडर	22 वर्ष	875 "
विंग कमांडर (समय वेतनमान)	26 वर्ष	925 "
विंग कमांडर सलेक्टिव	24 वर्ष	950 "
ग्रुप कैप्टन	26 वर्ष	1100 "
एयर कमोडोर	28 वर्ष	1175 "
एयर वाइस मार्शल	30 वर्ष	1275 "
एयर मार्शल	30 वर्ष	1375 "
एयर चीफ मार्शल	30 वर्ष	1700 "

8. सेवा निवृत्ति उपदान

राष्ट्रपति की विविक्षा पर सेवा निवृत्ति उपदान निम्नलिखित है :—

(क) 10 वर्ष की सेवा के लिए —रु० 12,000/- जिसमें से पिछले रैंक के छह महीने का वेतन घटाकर।

(ख) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए—रु० 1200/- जिसमें से पिछले रैंक के 1/4 महीने का वेतन घटाकर।

पेंशन या उपदान के अतिरिक्त प्रत्येक छः महीने की अवधि की अर्हक सेवा के लिए कुल परिलब्धियों के चौथाई के बराबर मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान देय है जो कि परिलब्धियों का 16 1/2 गुणा होगा और रु० 30,000 से अधिक नहीं होगा।

सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान निम्नलिखित रूप से होंगे :—

(क) सेवा के पहले वर्ष यदि मृत्यु हो जाए तो दो महीने का वेतन;

(ख) यदि एक वर्ष की सेवा के बाद तथा पांच वर्ष की सेवा से पहले यदि मृत्यु हो जाय तो छः महीने का वेतन; और

(ग) पांच वर्ष की सेवा के बाद मृत्यु हो जाय तो कम से कम 12 महीने का वेतन।

विकलांगता पेंशन और बच्चों और आश्रितों (माता-पिता, बहिन तथा भाई) को विशेष परिवार पेंशन पुरस्कार भी निर्धारित नियमों के अनुसार देय हैं।

9. अन्य सुविधाएं

अधिकारी तथा उनके परिवार निःशुल्क चिकित्सा सहायता, रियायती दर पर आवास, ग्रुप बीमा योजना ग्रुप आवास योजना, परिवार सहायता योजना, कैंटीन सुविधाओं आदि के हकदार हैं।

परिशिष्ट-IV

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....
सुपुत्र श्री .....जो गांव/कस्बा* .....
.....जिला/मंडल* .....
.....
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .....के निवासी हैं.....जाति/जनजाति* के हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है :—

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950*

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950*

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951*

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

(अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूचियां (संशोधन) आदेश 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन-अधिनियम 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित)

संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश 1956।

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1959* अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश 1962।*

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1962*।

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश 1964।*

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967।*

संविधान (गोआ दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश 1968।*

संविधान (गोआ दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1968।*

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जातियां आदेश 1970।*

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978।*

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश 1978।*

2 श्री .....

और/या उसका परिवार आम तौर से गांव/कस्बा* .....

.....जिला/मण्डल* .....

राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र .....में रहता है।

हस्ताक्षर .....

**पदनाम .....

(कार्यालय की मोहर के साथ

राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र)

स्थान .....

तारीख .....

*जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें।

नोट.—यहां "आम तौर से रहता है" का अर्थ वही होगा जो "रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल एक्ट 1950" की धारा 20 में है।

**जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडिशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट* सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर।

*(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से कम ओहदे का नहीं)।

(ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) रेवेन्यू अफसर जिनका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।

(iv) उस इलाके का सब-डिवीजनल अफसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।

(v) ऐडमिनिस्ट्रेटर/ऐडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डेवलपमेंट अफसर (लक्षद्वीप)।

परिशिष्ट-V

संघ लोक सेवा आयोग

उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका

(क) वस्तुपरक परीक्षण---

आप जिस परीक्षा में बैठने वाले हैं वह "वस्तुपरक परीक्षण" होगा। इस प्रकार की परीक्षा (परीक्षण) में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिसको आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिये कई सुझाए गए उत्तर (जिसको आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिये जाते हैं। उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिये आपको एक उत्तर चुन लेना है।

इस विवरणिका का उद्देश्य आपको इस परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित न होने के कारण आपको कोई हानि न हो।

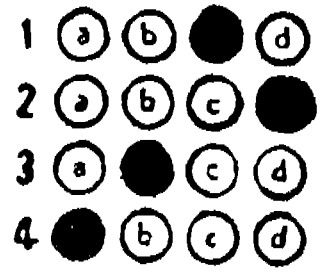
(ख) परीक्षण का स्वरूप

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होंगे। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1 2 3--आदि के क्रम से प्रश्नांश होंगे। हर प्रश्नांश के नीचे ए, बी, सी, डी, चिह्न के साथ सुझाए गए प्रत्युत्तर लिखे होंगे। आपका काम एक सही या यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से सर्वोत्तम उत्तर का चुनाव करना होगा। (अन्त में दिये गये नमूने के प्रश्नांश देख लें)। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिये आपको यही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा।

(ग) उत्तर देने की विधि

परीक्षा भवन में आपको अलग एक उत्तर पत्रक दिया जाएगा। आपको अपने प्रत्युत्तर इस उत्तर पत्रक में लिखने होंगे। परीक्षण पुस्तिका में या उत्तर पत्रक को छोड़कर अन्य किसी कागज पर लिखे गये उत्तर नहीं जांचे जाएंगे।

उत्तर पत्रक (जिसकी एक नमूना प्रति आपको प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ भेजी जाएगी) में प्रश्नांशों की संख्याएं 1 से 160 तक चार खंडों में छापी गई है। प्रत्येक प्रश्नांश के सामने ए०, बी०, सी, डी० चिह्न वाले वृत्ताकार स्थान छपे होते हैं। परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लेने और यह निर्णय करने के बाद कि कौन सा प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है आपको उस प्रत्युत्तर के अक्षर वाले वृत्त को पेंसिल से पूरी तरह भर कर उसे अंकित कर देना है जैसा कि (आपका उत्तर दर्शाने के लिये) नीचे दिखाया गया है। उत्तर पत्रक के वृत्त को काला बनाने के लिये स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए।



यह जरूरी है कि--

1. प्रश्नांशों के उत्तरों के लिये केवल अच्छी किस्म की एच० बी० पेंसिल (पेंसिलें) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें।

2. गलत निशान को बदलने के लिये उसे मिटाकर फिर से सही उत्तर पर निशान लगा दें। इसके लिये आप अपने साथ एक रबड़ भी लाएं।

3. उत्तर पत्रक का उपयोग करते समय कोई ऐसी असावधानी नहीं हो जिससे वह फट जाए या उसमें मुड़न व सिलवट आदि पड़ जाए या खराब हो जाए।

(घ) कुछ महत्वपूर्ण विनियम

1. आपको परीक्षा आरंभ करने के लिये निर्धारित समय से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना स्थान ग्रहण करना होगा।

2. परीक्षण शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्र निरीक्षक/पर्यवेक्षक को सौंप दें। आपको परीक्षण पुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने पर कड़ा दंड दिया जाएगा।

5. आपको उत्तर पत्रक पर कुछ विवरण परीक्षा भवन में भरना होगा आपको कुछ विवरण उत्तर-पत्रक पर कूटबद्ध भी करना होगा। इसके बारे में आपके पास अनुदेश प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ भेजे जाएंगे।

6. परीक्षण-पुस्तिका में दिए गए सभी अनुदेश आपको सावधानी से पढ़ने हैं। इन अनुदेशों का सावधानी से पालन न करने से आपके नंबर कम हो सकते हैं। अगर उत्तर पत्रक पर कोप प्रविष्टि संविग्ध है तो उस प्रश्नांश के प्रत्युत्तर के लिये आपको कोई नम्बर नहीं मिलेगा। पर्यवेक्षक के अनुदेशों का पालन करें। जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को आरम्भ या समाप्त करने को कहें तो उनके अनुदेशों का तत्काल पालन करें।

7. आप अपना प्रवेश प्रमाण-पत्र साथ लाएं आपको अपने साथ एक एच० बी० पेंसिल, एक रबड़, एक पेंसिल शार्पनर और नीली या काली स्याही वाली कलम भी लानी होगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने साथ एक-एक क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड या कार्ड बोर्ड भी लाएं जिस पर कुछ लिखा न हो। आपको परीक्षा भवन में कोई खाली कागज या कागज का टुकड़ा या पैमाना या आरेखण उपकरण नहीं लाने हैं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी। मांगने पर कच्चे काम के लिये आपको एक अलग कागज दिया जाएगा। आप कच्चा काम या शुरू करने के पहले उस पर परीक्षा का नाम अपना रोल नम्बर और परीक्षण की तारीख लिखें और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के साथ पर्यवेक्षक को वापस कर दें।

ङ. विशेष अनुदेश

परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाने के बाद निरीक्षक आपको उत्तर पत्रक देंगे। उत्तर पत्रक पर अपेक्षित सूचना भर दें। यह काम पूरा होने के बाद निरीक्षक आपको परीक्षण पुस्तिका देंगे। परीक्षण पुस्तिका मिलने पर आप यह अवश्य देख लें कि उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है अन्यथा, उसे बदलवा लें। आपको परीक्षण पुस्तिका तब तक खोलने की अनुमति नहीं है जब तक पर्यवेक्षक ऐसा करने के लिये न कहें।

(च) कुछ उपयोगी सुझाव

यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य आपकी गति की अपेक्षा शुद्धता को जांचना है फिर भी यह जरूरी है कि आप अपने समय का यथासंभव दक्षता से उपयोग करें। संतुलन के साथ आप जितनी जल्दी काम कर सकते हैं, करें पर लापरवाही न हो। आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हों तो चिंता न करें। आपको जो प्रश्न अत्यंत कठिन मालूम पड़े उन पर समय व्यर्थ न करें। दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ें और उन कठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करें।

सभी प्रश्नांशों के अंक समान होंगे। उन सभी के उत्तर दें। आपके द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर ही आपको अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तरों के लिये अंक नहीं काटे जाएंगे।

(छ) परीक्षण का समापन :

जैसे ही पर्यवेक्षक आपको लिखना बंद करने को कहें, आप लिखना बंद कर दें। आप अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक आपके पास आकर आपसे सभी आवश्यक वस्तुएं ले जाएं और आपको हाल छोड़ने की अनुमति दें। आपको परीक्षण-पुस्तिका और उत्तर पत्रक तथा कच्चे कार्य का कागज परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है।

नमूने के प्रश्नांश (प्रश्न)

(नोट--*सही/सर्वोत्तम उत्तर-विकल्प को निर्दिष्ट करता है)

1. सामान्य अध्ययन

बहुत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तथा कान से निम्नलिखित में से किस कारण से रक्त स्राव होता है?

(a) रक्त का दाब वायुमंडल के दाब से कम होता है।
*(b) रक्त का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है।
(c) रक्त वाहिकाओं की अन्तरूनी तथा बाहरी शिराओं पर दाब समान होता है।
(d) रक्त का दाब वायुमंडल के दाब के अनुरूप घटता बढ़ता है।

2. (कृषि)

अरहर में फूलों का झड़ना निम्नलिखित में से किस एक उपाय से कम किया जा सकता है?

*(a) वृद्धि नियंत्रक द्वारा छिड़काव
(b) दूर दूर पौधे लगाना
(c) सभी ऋतु में पौधे लगाना
(d) थोड़े थोड़े फासले पर पौधे लगाना

3. (रसायन विज्ञान)

H_3VO_4 का एनहाइड्राइड निम्नलिखित में से क्या होता है?

(a) VO_3
(b) VO_4
(c) V_2O_3
*(d) V_2O_5

4. (अर्थशास्त्र)

श्रम का एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता है?

*(a) सीमांत राजस्व उत्पाद से मजदूरी कम हो?।
(b) मजदूरी तथा सीमांत राजस्व उत्पाद ये दोनों बराबर हों।
(c) मजदूरी सीमांत राजस्व उत्पाद से अधिक हो।
(d) मजदूरी सीमांत भौतिक उत्पाद के बराबर हो।

5. (वैद्युत इंजीनियरी)

एक समाक्ष रेखा को अपेक्षित परावैद्युतांक 9 के पैराफैद्युत से सम्पूरित किया गया है। यदि C मुक्त अन्तराल में संचरण वेग दर्शाता है तो लाइन में संचरण का वेग क्या होगा?

(a) 3C
(b) C
*(c) C/3
(d) C/9

6. (भू-विज्ञान)

बेसाल्ट में प्लेजिओक्लेस क्या होता है?

(a) आलिगोक्लेज
*(b) लैब्रेडोराइट
(c) एल्बाइट
(d) एनार्थाइट

7. (गणित)

मूल बिन्दु से गुजरने वाला और $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = 0$ समीकरण को संगत रखने वाला वक्र-परिवार निम्नलिखित में से किस से निर्दिष्ट है?

(a) $y=ax+b$
(b) $y=ax$
(c) $y=ae^x+be^{-x}$
*(d) $y=ae^x-a$

8. (भौतिकी)

एक आदर्श ऊष्मा इंजन 400° K और 300° K तापक्रम के मध्य कार्य करता है। इसकी क्षमता निम्नलिखित में से क्या होगी?

(a) 3/4
*(b) (4−3)/4
(c) 4/(3+4)
(d) 3/(3+4)

9. (सांख्यिकी)

यदि त्रिपद विचार का माध्य 5 है तो इसका प्रसरण निम्नलिखित में से क्या होगा?

(a) 4^2
*(b) 3
(c) ∞
(d) −5

10. (भूगोल)

बर्मा के दक्षिणी भाग की अत्याधिक समृद्धि का कारण निम्नलिखित में से क्या है?

(a) यहां पर खनिज साधनों का विपुल भण्डार है।
*(b) बर्मा की अधिकांश नदियों का डेल्टाई भाग है।
(c) यहां श्रेष्ठ वन संपदा है।
(d) देश के अधिकांश तेल क्षेत्र इसी भाग में हैं।

11. भारतीय इतिहास

ब्राह्मणवाद के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है?

(a) बौद्धधर्म के उत्कर्ष काल में भी ब्राह्मणवाद के अनुयायियों की संख्या बहुत थी।
(b) ब्राह्मणवाद बहुत अधिक कर्मकांड और आडंबर से पूर्ण धर्म था।
(c) ब्राह्मणवाद के अभ्युदय के साथ, बलि सम्बन्धी यज्ञ धर्म का महत्व कम हो गया।
(d) व्यक्ति के जीवन-विकास की विभिन्न दशाओं को प्रकट करने के लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित थे।

12. (दर्शन)

निम्नलिखित में से निरीश्वरवादी दर्शन समूह कौन-सा है?

(a) बौद्ध, न्याय, चार्वाक, मीमांसा
(b) न्याय, वैशेषिक, जैन और बौद्ध, चार्वाक
(c) अर्हत, वेदांत, सांख्य, चार्वाक योग
(d) बौद्ध, सांख्य, मीमांसा, चार्वाक

13. (राजनीति विज्ञान)

'वृत्तिगत प्रतिनिधान' का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है?

(a) व्यवसाय के आधार पर विधानमंडल में प्रतिनिधियों का निर्वाचन
(b) किसी समूह या किसी व्यावसायिक समुदाय के पक्ष का समर्थन।
(c) किसी रोजगार संबंधी संगठन में प्रतिनिधियों का चुनाव।
(d) श्रमिक संघों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व।

14. (मनोविज्ञान)

लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में से किसी की निर्देशित करती है?

(a) लक्ष्य संबंधी आवश्यकता में वृद्धि
(b) आवश्यक अवस्था में न्यूनता
(c) व्यावहारिक अभिक्रम
(d) लक्षपास पूर्व अभिक्रम

15. (समाजशास्त्र)

भारत में पंचायती राज संस्थाओं की निम्न में से कौन-सी है?

(a) ग्राम सरकार में महिलाओं तथा कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।
(b) भ्रष्टाचार कम हुआ है।
(c) पिछड़े वर्गों के लोगों को भूस्वामित्व का लाभ मिला है।
(d) ग्राम साक्षरता में शिक्षा का प्रसार हुआ है।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपर्युक्त समूने के प्रश्नपत्र (प्रश्न) केवल उदाहरण के लिए दिए गए हैं और यह जरूरी नहीं है कि ये इस परीक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार हों।

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 1st October 1981

No. F. 6/81-SCA(I).—Shri A Appa Rao, Officiating Assistant Registrar has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of September 30, 1981.

No. F. 6/81-SCA(1).—The Hon'ble the Chief Justice of India has promoted and appointed Shri G. G. Awasthi, Section Officer to the post of offg Assistant Registrar in the Registry of the Supreme Court of India with effect from October 1, 1981, until further orders.

H. S. MUNJRAL
Deputy Registrar (Admn. I.)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 23rd September 1981

No. F/1782-Admn.II.—In continuation of this office notification of even number dated 18th December 1980, the Chairman, Union Public Service Commission hereby appoints Shri L. R. Sarin, Accounts Officer of the office of the Accountant General Haryana, Chandigarh, as Finance & Budget Officer in the oflice of Union Public Service Commission for the further period from 1st June 1981 to 30th November 1981, or until further orders, whichever is earlier. Shri Sarin will not be entitled to draw any deputation (duty) allowance during the period covered by this notification.

2. This issues with the approval of the Department of Personnel and A. R. vide their letter No. 39017/2/81-Estt. (B) dated 10th June 1981 and also with the concurrence of the Accountant General Haryana vide their letter No. Admn. I/G.O./P.F./I.R.S./2839 dated 4th September 1981.

3. This office notification of even number dated 23rd June 1981 stands superseded.

P. S. RANA
Section Officer
for Chairman,
Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF ADMINISTRATION

Mussoorie, the 1st October 1981

No. 2/6/81-EST.—Shri R. S. Bahti, Superintendent, is appointed as Asstt. Administrative Officer in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—960 with effect from 1st October 1981 (FN) on purely temporary and ad-hoc basis for a period of six months or till a regular appointment to the post is made, whichever is earlier.

S. S. RIZVI
Deputy Director (Senior)

(CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION)

New Delhi, the 29th September 1981

No. A-19021/7/81-AD.V.—The President is pleased to appoint Shri Gurbachan Jagat, I.P.S. (PB-1966) as Superintendent of Police on deputation in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment with effect from the forenoon of 21st September 1981.

The 30th September 1981

No. A-19021/6/81-AD.V.—The President is pleased to appoint Shri P. K. B. Chakravorthy IPS (MH-1971) as Superintendent of Police on deputation in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment with effect from the forenoon of 19th September, 1981.

Q. L. GROVER
Administrative Officer (E)
C.B.I.

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi, the 28th September 1981

No. O-II-1445/79-Estt.—The Director General CRPF is pleased to appoint Dr. (Mrs) Jyotsna Trivedi as Junior Medical Officer in the CRPF on ad-hoc basis with effect from 4th September 1981 (FN) for a period of three months only or till recruitment to the post is made on regular basis, whichever is earlier.

The 30th September 1981

No. O-II-1578/81-Estt.—The Director General CRPF is pleased to appoint Dr. Surendra Singh as Junior Medical Officer in the CRPF on ad-hoc basis with effect from forenoon of 17th August 1981 to 1st September 1981.

A. K. SURI
Assistant Director (Estt.)

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 28th September 1981

No. 11/36/79-Ad.I.—In continuation of this office Notification of even number dated 6th October 1980, the President is pleased to appoint Shri M. L. Gulati, Office Superintendent in the Central Bureau of Investigation, Delhi Branch, New Delhi as Deputy Director in the office of the Registrar General, India, at New Delhi, on *ad-hoc* bsais, by transfer on deputation, for a further period from the 1*st* March, 1981 to the 31*st* December, 1981 *or* till the post is filled in, on a regular basis, whichever period is shorter.

2. The headquarters of Shri Gulati will be at New Delhi.

P. PADMANABHA
Registrar General, India

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT POSTS & TELEGRAPHS

New Delhi-110054, the 26th September 1981

No. Admn.III-330/23(A)(2)Notifications.—The Director of Audit, Posts & Telegraphs has been pleased to promote and appoint Shri Vissapragada Veerabhadra Narsimha Rao Section Officer of P&T Branch Audit Office, Hyderabad as officiatnig Audit Officer and to post him in the P&T Branch Audit Office Ahmedabad with effect frmo 14th July 1981 fore noon until further orders. His promotion is on ad hoc basis and is subject to revision.

The 28th September 1981

No. Admn.III-312/23(A)(2)Notification.—Shri S. R. Chakrobarty an officiating Audit Officer in the Posts & Telegraphs Audit Office, Calcutta has retired from service with effect from 31st July 1981 (AN). on superannuation.

K. K. THAPAR
Asstt. Director of Audit (H. QRS.)

MINISTRY OF DEFENCE

ORDNANCE FACTORY BOARD NOTIFICATION

Calcutta, the 26th September, 1981

No. 8/81/A/M.—The President is pleased to accept the resignation to terminate services of the undermentioned Assistant Medical Officers/Junior Medical Officers (Ad-hoc). Ac-

cordingly, their names are struck off strength from the Ordnance Factories Organisation from the date mentioned against each :—

Sl. No.	Name and Designation	Name of the Factory where posted	Date	Remarks
1.	Dr. K Rama-murthy, A.M.O.	Gun Carriage Fy. Jabalpur	7-2-81 (A.N.)	Resigned
2.	Dr. Saroj Kant Sahoo, A.M.O.	Metal & Steel Fy. Ishapore	1-5-81 (A.N.)	Do
3.	Dr. Veerendra Singh, A.M.O.	Clothing Fy. Shahjahanpur	22-6-81 (A.N.)	Termina-ted.
4.	Dr. (Mrs.) Meera Sen, J.M.O. (Ad-hoc)	Gun Carriage Fy. Jabalpur	20-8-80 (A.N.)	Do.
5.	Dr. T.S. Chadha, J.M.O. (Ad-hoc)	Gun Carriage Fy. Jabalput	26-8-80 (A.N.)	Do.

No. 9/81/A/M.—The President is pleased to appoint the following Assistant Medical Officers in Ordnance Factories with effect from the dates indicated against each until further orders :—

Sl. No.	Name & Post	Posted at	Date
1.	Dr. Hari Shankar Jatav (S.C.) A.M.O.	Heavy Vehicles Fy. Avadi.	27-5-81 (F.N.)
2.	Dr. (Ku.) Shakuntala Devi, A.M.O.	Ordnance Fy. Muradnagar	28-5-81 (F.N.)
3.	Dr. Bijaya K. Sahoo, A.M.O.	Ordnance Fy. Khamaria.	1-6-81 (F.N.)
4.	Dr. M.L. Lukose, A.M.O.	Ordnance Fy. Khamaria.	02-6-81 (F.N).
5.	Dr. K. Pardha Saradhi, A.M.O.	Clothing Fy. Shahjahanpur	02-6-81 (F.N).
6.	Dr. Amalendu Mandal (S.C.), A.M.O.	Clothing Fy. Shahjahanpur	03-6-8 (F.N.)
7.	Dr. K. Hemanta K. Dora, A.M.O.	Ordnance Fy. Bhusawal.	06-6-81 (F.N.)
8.	Dr. Sibendra Narayan, Roy, A.M.O.	Rifle Factory, Ishapore	09-6-81 (F.N.)
9.	Dr. Pramod Kumar Gupta, A.M.O.	Clothing Fy. Shahjahanpur	11-6-81 (F.N.)
10.	Dr. Virendra Kumar, A.M.O.	Ordnance Equip-ment Fy. Kanpur	1-7-81 (A.N.)
11.	Dr. M.S. Prasad, A.M.O.	Vehicle Fy. Jabalpur.	19-7-81 (F.N.)
12.	Dr. Ramesh Chandra Sahoo, A.M.O.	Small Arms Fy. Kanpur.	23-7-81 (F.N.)
13.	Dr. Nalin Bihari Kanungo, A.M.O.	Gun & Shell Fy. Cossipore	30-7-81 F.N.
14.	Dr. Manoj K. Bhaumik, A.M.O.	Gun & Shell Fy. Cossipore	27-7-81 (F.N.)

R. G. DEOLALIKAR, Addl. DGOF/Member (Personnel)

Calcutta, the 22nd September, 1981

No. 34/G/81. The President is pleased to appoint the under-mentioned Officers as Offg. GM (SG)/DDGOF (Level-II) with effect from the date shown against them :

(1) Shri K. Dwarakanath, Offg. Dy. P.O. — 1st August, 1981

(2) Shri Y.S. Trivedi, Offg. Sr. Dy. Director — 1st August, 198

(3) Shri S. Thiagarajan, Offg. GM/Gr. I — 1st August, 1981

(4) Shri M. P. Ramamurthy, Offg. GM/Gr. I. — 1st August, 1981

(5) Shri B. K. Ghai, Offg. GM/Gr. I. — 1st August, 1981

(6) Shri R. K. Mojumdar, Offg. GM/Gr. I. — 1st August, 1981

No. 35/G/81.—The President is pleased to appoint the under-mentioned Officers as Offg. DM/DADGOF with effect from the date shown against them :—

(1) Shri Prabal Singh, Offg. A.M. — 31st July, 1981

(2) Shri C.P. Sethi, Offg. A.M. — 31st July, 1981

(3) Shri A. Balagopal, Offg. A.M. — 31st July, 1981

(4) Shri V. L. Isreal, Offg. A.M. — 1st July, 1981

(5) Shri S. Nagabhusanam, Offg. A.M. — 31st July, 1981

(6) Shri N. V. Nambissan, Offg. A.M. — 31st July, 1981.

(7) Shri C.E. Jaganathan, Offg. A.M. — 31st July, 1981.

(8) Shri P. S. Narayanaswamy, Offg. A.M. — 31st July, 1981.

(9) Shri N.K. De, Ty. A.M. — 31st July, 1981.

(10) Shri K. K. Taneja, Offg. A.M. — 31st July, 1981.

(11) Shri K. J. J. Ratnam, A.M. (Prob.) — 31st July, 1981.

(12) Shri V. N. Awati, (A.M. (Prob.) — 31st July, 1981.

No. 36/G/81.—The President is pleased to appoint the under mentioned Officers as Offg. S.O. with effect from the date shown against them :—

(1) Shri Bibhuti Bhusan Choudhury, Offg. A.S.O. — 1st August, 1981.

(2) Shri Kalika Prasad Sukul, Offg. A.S.O. — 1st August, 1981.

(3) Shri Nirmalaya Bhusan Offg. A.S.O. — 1st August, 1981.

(4) Shri Sabitangsu Prakash Goswami, Offg. A.S.O. — 1st August, 1981.

(5) Shri Benoy Bhusan Choudhury, Offg. A.S.O. — 1st August, 1981.

(6) Shri Dhirendra Nath Saha, Offg. A.S.O. — 1st August, 1981.

(7) Shri Dilip Kumar Mitra (II), Offg. A.S.O. — 1st August, 1981.

(8) Shri Barindra Nath Ghosh, Offg. A.S.O. — 1st August, 1981.

No. 37/G/81.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers as Offg. A.M./T.S.O. with effect from the date shown against them :—

(1)	Shri S. N. Sarkar, Offg. Foreman	1st June, 1981.
(2)	Shri H. K. Kapur, Offg. Foreman.	10th July, 1981.
(3)	Shri B. L. Malhotra, Offg. Foreman.	10th July, 1981.
(4)	Shri P. Padmanabhan, Permt. Foreman.	30th June, 1981.
(5)	Shri Pyara Singh Padan, Offg. Foreman	1st June, 1981. (on ad-hoc basis).
(6)	Shri V. P. Seth, Offg. Foreman	1st June, 1981. (on ad-hoc basis)
(7)	Shri Debo Prasad Mukherjee, Offg. Foreman	1st June, 1981. (on ad-hoc basis).
(8)	Shri Sati Prasanna Das, Offg. S.A.	1st June, 1981. (ad ad-hoc basis).
(9)	Shri K. K. Bhatia, Offg. Foreman	1st June, 1981. (on ad-hoc basis).
(10)	Shri A. K. Majumdar, Offg. Foreman.	1st June, 1981. (on ad-hoc basis
(11)	Shri Baleswar Singh, permt. foreman	1st June, 1981.
(12)	Shri Joginder Singh Permt. Foreman.	17th July, 1981

V. K. MEHTA
Asstt. Director General Ordnance Fys.

MINISTRY OF LABOUR

(DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE & LABOUR INSTITUTES)

Bombay, the 26th September 1981

No. 3/1/81-Estt.—The Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Bombay is pleased to appoint Shri T. V. RAMACHANDRAN as Additional Inspecotr (Dock Safety) with effect from 25th May, 1981 (forenoon) in the Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes, Bombay in an officiating capacity on regular basis until further orders.

A. K. CHAKRABARTY
Director General

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 23rd September 1981

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/1026/74-Admn(G)/5624.—On attaining the age of superannuation, Shri S. P. Kapoor, a permanent Grade IV officer of the CSS and officiating in the Section Officer's grade of that service relinquished charge of the post of Controller of Imports and Exports in this office on the afternoon of the 31st August, 1981.

A. N. KAUL
Dy. Chief Controller of Imports and Exports
For Chief Controller of Imports and Exports

(DEPARTMENT OF TEXTILES)

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-20, the 25th September 1981

No. 10(2)/77-81/CLB.II.—In exercise of the powers conferred on me by clause 5(1) of the Cotton Control Order, 1955, I hereby make the following furher amendment to the Textile Commissioner's Notification No. 10(1)/73-74/CLB.II dated the 19th December, 1974, namely :—

In the said Notification for Explanation (IV), the following shall be substituted, namely :—

"(IV) for the purpose of this Notification, Indian Cotton shall include all varieties of Indian Cotton. However, for the cotton season September, 1981 to August, 1982. Suvin Cotton shall be outside the purview of this Notification."

SURESH KUMAR
Additional Textile Commissioner

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(Administration Section A-1)

New Delhi-1, the 30th September 1981

No. A-1/1(884).—Shri D. D. Bhardwaj, permanent Junior Progress Officer and officiating Assistant Director (Grade II) in this Directorate General has retired on 30th September 1981 (AN) on attaining the age of superannuation.

S. L. KAPOOR
Deputy Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals

(ADMN. SECTION A-6)

New Delhi-110001, the 22nd September 1981

No. A-6/247(369).—Shri A. R. Halder, substantive Deputy Director of Inspection (Textiles) (Grade II of Indian Inspection Service Group 'A' Textiles Branch) in the office of Director of Inspection, Calcutta expired on 6th August 1981. His name has accordingly been struck off the rolls with effect from 6th August 1981 (F.N.).

P. D. SETH
Deputy Director (Administration)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY

New Delhi, the 24th September 1981

No. A.12025/2/80-Est.—The Director of Advertising and Visual Publicity hereby appoints Shri Dilip Bhattacharya as Senior Artist in a temporary capacity with effect from the forenoon of 17th September, 1981, until further orders.

J. R. LIKHI
Deputy Director (Admn.)
for Director of Advertising and Visual Publicity

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICE

New Delhi, the 24th September 1981

No. A. 12025/22/80-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri M. Hari to the post of Veterinarian at B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras with effect from the forenoon of 24th August, 1981 in a temporary capacity and until further orders.

S. L. KUTHIALA
Deputy Director Administration (O&M)

New Delhi, the 30th September 1981

No. A.19012/7/81-SI.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri P. A. Sawant to the post of Assistant Depot Manager, Government Medical Store Depot, Bombay, with effect from the forenoon of 4th September, 1981, on an *ad hoc* basis, and until further orders.

SHIV DAYAL
Deputy Director Administration (Stores)

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 30th September 1981

No. A-19023/12/81-A.III.—On the recommendations of the U.P.S.C., Shri A. S. Srivastava is appointed to officiate as Marketing Officer (Group I) in this Directorate at Guntur w.e.f. 7-9-1981 (F.N.), until further orders.

B. L. MANIHAR
Director to Administration
for Agricultural Marketing Adviser
to the Government of India

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NARORA ATOMIC POWER PROJECT

Plant Site, PO. NAPP Township, the 30th September 1981

No. NAPP/Adm/26(1)/81/S/11-119.—Chief Project Engineer, Narora Atomic Power Project, Narora appoints Shri Govind Singh, a Quasi Permanent Upper Division Clerk and Officiating Assistant Accounts Officer in the Rajasthan Atomic Power Project to officiate as Assistant Accounts Officer in the Narora Atomic Power Project with effect from the forenoon of September 10, 1981 until further orders.

A. D. BHATIA
Administrative Officer
for Chief Project Engineer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 29th September 1981

No. A.32014/4/81-ES.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint S/Shri K. G. Bhalla and Kedar Nath, Stores Assistants, as Stores Officers (Group 'B' post) on regular basis, in the office of the Controller, Central Radio Stores Depot, New Delhi and Regional Director, Madras Region, Madras Airport, respectively with effect from the forenoon of the 19th September, 1981, until further orders.

J. C. GARG
Assistant Director of Administration

New Delhi, the 1st October 1981

No. A. 32013/4/80-E.C.—The President is pleased to appoint the following two Senior Technical Officers to the grade of Assistant Director of Communication on ad-hoc basis for a period of six months w.e.f. the date indicated against each or till the vacancies in the grade are available and to post them in the office of the Director General of Civil Aviation.

Sl. No.	Name	Present Station of posting	Date of taking oevr charge
1.	Shri S. K. Saraswati	Radio Const. & Dev. Units, New Delhi.	31-8-81 (A.N.)
2.	Shri Sushil Kumar	D.G.C.A. (HQ)	16-9-81 (F.N.)

PREM CHAND
Assistant Director of Admn.

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-110022, the 16th September 1981

No. 22/1/81-Adm I(B).—The Chairman, Central Electricity Authority, hereby appoints Shri Vikramjit Singh, Supervisor, to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) Service in the CEA in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 3rd September, 1981, until further orders.

S. BISWAS
Under Secretary

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Kamani Industrial Corporation Limited, Jaipur

Jaipur, the 28th September 1981

No. STAT/1128.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Kamani Industrial Corporation Limited, Jaipur has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Biko Match Company Private Limited

Jaipur, the 28th September 1981

No. STAT/1372.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Biko Match Company Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Nam Metals and Chemicals Private Limited,

Jaipur, the 28th September 1981

No. STAT/1376.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Nam Metals and Chemicals Private Limited, Jaipur has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Mahendra Savings and General Finance Private Limited

Jaipur, the 28th September 1981

No. STAT/1599.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Mahendra Savings and General Finance Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Abu Road Railway Co-operative Association Limited (In Liqn.)

Jaipur, the 28th September 1981

No. STAT/Liqn/22/6762.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Abu Road Railway Co-operative Association Limited (In Liqn.) has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

S. P. DIXIT
Registrar of Companies,
Rajasthan, Jaipur

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Sri Vinayaka Mills Ltd.

Bangalore, the 29th September 1981

No. 630 560/81-82.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sri Vinayaka Mills Ltd., unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Shri Shivarudreshwar Chemical Industries Private Limited

Bangalore, the 29th September 1981

No. 1972/560/81-82.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Shivarudreshwar Chemical Industries Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

P. T. GAJWANI
Registrar of Companies
Karnataka, Bangalore

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Allahabad, the 2nd September 1981

Jurisdiction—Income Tax Act, 1961—Section 125—Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax Assessment Range, Varanasi

No. 77.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 125 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) and in modification of existing order No. 3 vide notification dated 13-12-1979 on the subject, I, the Commissioner of Income Tax, Allahabad hereby direct that the Income Tax Officer, A-Ward, Special Investigation Circle Varanasi shall have jurisdiction over the case M/s. Raj Kumar Shah and Sons, Pishachmochan, Varanasi (P.A. No. 19-012-FV-5834) (mentioned at serial No. 32 of the scheduled annexed to the notification No. 3 dated 13-12-1979 referred to above) instead of Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax Assessment Varanasi (the then Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, Range-II, Varanasi).

This order shall take effect from 7-9-1981.

HIRA SINGH
Commissioner of Income-Tax,
Allahabad

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II MADRAS

Madras, the 17th September, 1981

Ref. No. 16352—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot 2, RS 4274/21, situated at Greenways Road,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at Mylapore (Doc. 681/81) on April 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S. V. Mani,
4, Sommerset Place,
61D, Bhula Bhai Desai Road,
Breach Candy, Bombay-26
(Transferor)

(2) Mrs. N.B.S. Geetha,
116, 4th St., Ahhiramapuram,
Madras-600018
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Rs. 4274/21, Plot 2, Greenways Road, Madras-28
(Doc. 681/81)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600006.

Date : 17th September, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 17th September, 1981

Ref. No. 11299—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 465, 473, Seerapalayam, situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 44/81) on January 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) A. Somasundaram,
14, N. S. Ramaswamy Iyengar St.,
Saibaba Colony,
Coimbatore, 25
(Transferor)

(2) Bharath Black Smith Co.
14, N. S. Ramaswamy Iyengar St.,
Saibaba Colony,
Coimbatore-25.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at S. No. 465, 473, Seerapalayam
(Doc. 44/81)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Madras 600006

ate : 17th September 1981
Seal .

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II MADRAS

Madras the 17th September, 1981

Ref No 11300 Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. TS 12/71/2, 12/74/1, situated at Alagesan Road, Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc 73/81) on January 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr R. Bellie,
23, Cowly Brown Road, RS puram,
Coimbatore
(Transferor)

(2) Lalit Krishan Khanna,
Veenakhanna Ramanagam,
Raghupathi Layout,
Sai Baba Colony, Coimbatore
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the of the publication of this notice in the Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land at TS 1/2/71/2 and 12/74/1 Alagesan Road, Coimbatore
(Doc. 73/81)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date 17th September 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 17th September 1981

Ref. No. 11321—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Chikkadasmpalayam, situated at Coimbatore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 277/81) on January 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) R. Vasuki,
45, Anna Nagar V. Block,
Madras.
(Transferor)

(2) M. K. Sathar,
S/o. M. Khader Basha Sudandhirapuram,
Karamadai Road,
Mettupalayam, Coimbatore
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Chikkadasampalayam
(Doc. 277/81)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 17th September 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961(43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 17th September 1981

Ref. No. 11332—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding, Rs. 25,000/- and bearing
No. Samakulam, situated at Perianaickenpalayam
(and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Perianaickenpalayam (Doc. 138/81) on January 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Ranganayaki Ammal W/o. Krishnaswamy Naidu, Ramnarayanan, Vinayaraghavan, Vasudevan, M. Raman Jayalakshmi, Chikkapudur, Pappanaickenpalayam, Coimbatore
(Transferor)

(2) Gunasekaran, S/o Ramanuja Naidu, Manjur Village, Ooty TK
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Samakulam, Coimbatore Tk
(Doc. 138/81)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 17th September 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 17th September 1981

Ref. No. 16171—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25 000/- and bearing

No. 156 and 157, Nungambakkam, situated at High Road, Madras-34

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Madras North (Doc. 26/81) on January 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Miss Mahalakshmi Miss Priya by Father and Guardian V. M. Thampy,
Perunthanni, Trivandrum
(Transferor)

(2) M/s P. Obul Reddy, P. Vijayakumar Reddy P. Dwaraknath Reddy, Mrs. P. Suneetha Reddy, Mrs. P. Preetha Reddy, Mrs. K. Meenakshi Reddy
5, Subba Rao Avenue II St.,
Madras-600006
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at No. 156 and 157, Nungambakkam High Road, Madras-34
(Doc. 26/81)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 17th September 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 16th September 1981

Ref. No. 9309 -Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,/000- and bearing
No. S. No. 402/2A, 583, situated at Tambaram
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Tambaram (Doc. 244/81 on January 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Krishnammal, Samrasakumari Chandraleka, Padappai

(Transferor)

(2) Indra, W/o Mukkundan, 12, Barbari St., Madras-10

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land S. No. 402/2A, 583, Tambaram
(Doc. 244/81)

RADHA BALAKRISHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rnge-II, Madras-600006

Date : 16th September 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 17th September 1981

Ref. No. 9289—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
52, situated at Koradacheri,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 1908) in the office of the Registering Officer at
Koothanallur (Doc. 2/81) on January 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of each apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) G. Vidyanatha Iyer,
G. Srinivasa Iyer, N. Subramania Iyer,
14, Gandhinagar, Kumbakonam
(Transferor)

(2) Sherbuddin,
Usman Beer Mohammed
Sithisulaika Bibi
Railway feeder Road,
Ramanathapuram
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 52, Koradacheri
(Doc. 2/81)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras

Date : 17th September 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 17th September, 1981

Ref. No. 9289– Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/ and bearing No 50A, situated at Koradacheri,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering
at Koothanallur (Doc. 1/81) on January 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the biect of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) N. Gopala Iyer
G. Vaidynatha Iyer
G. Srinivasa Iyer
N. Subramania Iyer,
14, Gandhinagar, Kumbakonam
(Transferor)

(2) Sherbuddin
Usman Beer Mohammed
Sithisulaika Bibi
Railway feeder Road,
Ramanathapuram.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given is that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 50A, Koradacheri
(Doc. 1/81)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 17th September 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 17th September, 1981

Ref. No. 9302—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
76, 76A, M. G. Road situated at Pondy
(and more fully described in the Scheduled annxed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Pondy (Doc. 155/81) on January 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

19—296GI/81

(1) John M. Kumaresan
34, Laforte St., Pondy
(Transferor)

(2) Sandammalle,
31, Nidarajappaier St.,
Pondy
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building 76, 76A, M. G. Road, Pondy
(Doc. 155/81)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 17th September 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras the 15th September 1981

Ref. No. 11335—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. S. No. 17, 18, 19, Thali Road, situated at Udumalpet
(and more fully, described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering officer
at Udumalpet (Doc. 259/81) on February 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sethu Rathinam,
Court Commissioner for Ganapathi Gr.
Nehru St., Udumalpet
(Transferor)

(2) U. T. Appavu
S/o Thirumurthi Chettiar
10, Devangar Lane,
Udumalpet
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said Immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at S. No. 17, 18, 19, Thali Road, Udumalpet
(Doc. 259/81)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-II, Madras

Date : 15th September 1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 17th September 1981

Ref. No. 9302—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 76, 76A, situated at M. G. Road, Pondy, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Pondy (Doc. 154/81) on January 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Savarimuthurajan
34, Laforte St.,
Pondy.

(Transferor)

(2) Sandammalle,
31, Nidarajappaier St.,
Pondicherry.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building 76, 76A, M. G. Road, Pondicherry.
(Doc. 154/81)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 17th September 1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 17th September 1981

Ref. No. 9306 —Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. TS 36/3 (part) Dindigul, situated at Road, Trichy (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Trichy (Doc. 238/81) on January 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Padmanabha Iyer,
6, Pandhadimal Lane,
Andal St., Trichy.

(Transferor)

(2) Winpharma, 4E,
Dindigal Road,
Trichy.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at TS 35/3 (part) Dindigul Road, Trichy. (Doc. 238/81)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-II, Madras

Date : 17th September 1981
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS

Madras, the 7th September 1981

Ref. No. 11/Jan./81 –Whereas, I, R. RAVICHANDRAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. Nos. 1032 and 1033, situated at Ilanji village, Tenkasi Tk. Tirunelveli Dt.

(and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at J.S.R. I, Tenkasi (Document No. 16/81) on 15-1-1981 for an apparent consideration which is less than fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Annamma Markose,
W/o Sri Kuruvilla Markose,
Paruvaparambil House,
Velayanadu village,
Velyanadu Kara,
Kuttanad Taluk, Alleppey District,
(KERALA).

(Transferor)

(2) Lizzy Joseph,
D/o Sri N. J. Joseph,
Neroth House,
Power House Ward,
Ambalapuzha Taluk,
Alleppey Dt. (KERALA).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Punjathope in S. Nos. 1032 and 1033, Ilanji village—4 acres 20 cents and 30 Mangoes and 15 cocoanut trees—Document No. 16/81).

R. RAVICHANDRAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I, Madras

Date : 7th September 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS

Madras, the 17th September 1981

*Ref. No. 64/Jan./81—Whereas, I R. RAVICHANDRAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. S. No. 42/2 and 42/3 Parts, situated at Periakudal village
Anna Nagar, Madras-40
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Periamet, Madras (Document No. 48/1981) on 21-1-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. P. S. Menon,
Plot No. 4671,
Anna Nagar,
Madras-40.

(Transferor)

(2) Shri A. Marutha Pillai and
Shri M. Kandaswamy
Plot No. 3859,
'B' Block, Anna Nagar,
Madras-40.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Land and Building in S. No. 42/2 and 42/3 Parts Periakudal village, Anna Nagar, Madras-40—2 grounds and 800 Sq. ft. (Plot No. 4671)—Document No. 48/1981).

R. RAVICHANDRAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras

Date : 17th September 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS

Madras, the 17th September 1981

Ref. No. 65/Jan./81—Whereas, I R. RAVICHANDRAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. A.6, Plot No. 90, Anna Nagar, situated at Madras-40 (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Periamet, Madras. (Document No. 87/1981 on 31-1-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri P. Maruthai Pillai, No. 144, Sterling Road, Madras-34 (Transferor)

(2) Shri V.T.V. Sharma, Smt. Hemalatha Sharma, A-6, Anna Nagar, Madras-40. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Land and Building at No. A.6, Plot No. 90, Anna Nagar, Madras-40. Document No. 87/1981)

R. RAVICHANDRAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras

Date : 17th September 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 14th September 1981

Ref. No. 16219—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 77, RS. No. 626, situated at Nungambakkam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at T. Nagar (Doc. 111/81) on January 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Krishna Iyer & Co.
14, Errabalu Chetty St.,
Madras-1

(Transferor)

(2) M. Mahalakshmi Amma
101, Kodambakkam High Road,
Madras-34.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Plot No. 77, No. 626, Nungambakkam Madras (Doc. 111/81)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras

Date : 14th September 1981

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS

Madras, the 14th September 1981

Ref. No. 73/Jan./81—Whereas, I R. RAVICHANDRAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 3410, Arinagnar Anna, situated at Nagar, Madras-40·

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Sembiam, Madras (Document No. 174/81 on 31-1-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. V. Saraswathi Bai,
W/o Sri P. G· Venugopal,
Block-F-24, I Main Road,
A. A. Nagar,
Madras-40

(Transferor)

(2) (1) Mr. Marie Antoine Joseph,
S/o Late A. Lourdusamy and
(2) Mrs. Dawn Philomena Joseph,
W/o Mr. Marie Antoine Joseph,
No. 2 , David Pillai Street,
Karaikal

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Vacant site in Batch IV Scheme, Plot No. 3410, Arinagnar Anna Nagar, Madras-40— 2 grounds and 200 sq. ft. Document No. 174/1981).

R. RAVICHANDRAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I Madras

Date : 14th September 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I MADRAS

Madsas, the 14th September 1981

Ref. No. 62/Jan./81—Whereas, I R. RAVICHANDRAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. 55, Armenian Street, situated at Madras-1

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at J.S.R. II, Madras North (Document No. 269/81) on 31-1-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mr. M. Hasan Khaleelian
(2) Mr. Robae Kompany and
(3) Hussain Khaleelian,
No. 52-A, The Avenue Buckimham,
Kent, U. K. by Power Agent Kaseem Kaleeli.
(Transferor)

(2) M/s. Johar Estate & Partners,
No. 152,
Linghi Chetty Street,
Madras-1.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Land and building at 55, Armenian Street, Madras-1. Document No. 269/81)

R. RAVICHANDRAN
Competent Authority.
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras

Date : 14th September 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 8th September 1981

Ref. No. A.P. No. 2714—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Jaitu (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jaitu on Jan., 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideaation therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Ranjit Kaur widow and Pritmohinder Singh Ritmohinder Singh
S/o Sh. Karnail Singh
R/O V. Jaitu Distt. Faridkot.
(Transferor)

(2) Shri Tota Singh,
Sukhdev Singh
Ss/o Sh. Santa Singh,
R/O V. Jaitu Distt. Faridkot.
(Transferee)

(3) as s. no. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be intrested in the proprty)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale Deed No. 1341 of dated January, 1981 of the Registering Authority, Jaitu.

R. GIRIDHAR
Competent Authroity
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Jullundur

Date : 8-9-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th September, 1981

Ref. No. A. P. No. 2771—Whereas, I R. GIRDHAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing

No. as per schedule situated at V. Khurla

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jullundur on Jan, 1981

from apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kartar Sandhu
W/o Sh. Kundan Singh,
R/O 265 R, Model Town,
Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Karnail Singh
S/o Sh. Sadhu Singh,
R/o V. Kot Kalan,
Teh. & Distt. Jullundur.
(Transferee)

(3) as S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the under signed knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATIONS—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale deed No. 6358 of dated January, 81 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Dated : 14-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2772—Whereas, I R. GIRDHAR, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per schedule situated at V. Khurla

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Jullundur on Jan. 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Kartar Sandhu
W/o Sh. Kundan Singh,
R/o 265-R, Model Town,
Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Jaswinder Singh,
S/o Shri Karnail Singh,
R/o V. Kot Kalan,
Teh & Distt. Jullundur.
(Transferee)

(3) As S. No. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registration sale deed No. 6410 of dated January, 81 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-9-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th September 1981

Ref. No. 2773—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at V. Maqsoodpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Jan., 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Baldev Kaur,
W/o Sh. Harbhajan Singh Mukhtiar-Ai-Am Harbhajan Singh alias Bhajan Singh Son of Sh. Sohel Singh,
R/o V. Haler ,
Teh. & Distt Jullundur. (Transferor)

(2) Shri Gurpal Singh,
Sh. Saggar Singh,
R/o V. Mohem Tehsil Nakodar,
Distt. Jullundur. (Transferee)

(3) As S. No. 2 above Co-operative Marketing Society C/o Saggar Oil Mills,
G. T. Road, Maksoodpur (Jullundur).
M/s Chaman Lal Janak Raj C/o -do-.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other Person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registration sale deed No. 6237 of dated January, 1981 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-9-1981

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th September 1981

Ref. No. A.P. No. 2774—Whereas, I, R GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per schedule situated at V. Maqsood Pur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur on Jan., 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Baldev Kaur,
W/o Sh. Harbhajan Singh Mukhtiar-Ai-Am
Sh. Bikkar Singh s/o Sh. Sohel Singh,
R/o V. Haler Teh & Distt. Jullundur.
(Tsnsferor)

(2) Shri Khushpal Singh alias Khushal Singh,
S/o Sh. Saggar Singh,
R/o Vill. Mohem Teh. Nakodar,
Distt. Jullundur.
(Transferee)

(3) As s. no. above Co-operative Marketing Society
C/o Saggar Oil Mills,
GT Road, Maqsoodpur (Jullundur).
M/s Chaman Lal Janak Raj
C/o As above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registration sale deed No. 6239 of dated January, 81 of the Registering Authority Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2775—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at V. Maqsood Pur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on Jan. 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Baldev Kaur,
W/o Sh. Harbhajan Singh Mukhtiar-Ai-Am
Sh. Ajit Singh alias Jit Singh,
S/o Sh. Sohel Singh,
R/o V. Haler,
Teh & Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Gurpal Singh,
S/o Sh. Saggar Singh ,
R/o V. Mohem Teh. Nakodar
Distt. Jullundur.
(Transferee)

(3) As s. no. 2 above
Co-operative Marketing Society,
C/o Saggar Oil Mills,
GT Road, Maqsood Pur, (Jullundur)
M/s Chaman Lal Janak Raj,
C/o As above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the roperty.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registration sale deed No. 6240 of dated January, 81 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2776—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule situated at V. Maqsood Pur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur on Jan. 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therfor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

21—296GI/81

(1) Shrimati Baldev Kaur,
W/o Sh. Harbhajan Singh Mukhtiar-Ai-Am
Sh. Charan Singh,
S/o Sh. Sohel Singh,
R/o V. Haler Teh. & Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Gurpal Singh,
S/o Sh. Saggar Singh,
R/o V. Mohem Teh. Nakodar,
Distt. Jullundur.
(Transferee)

(3) As S. No. 2 above
Co-operative Marketing Society Care of
Saggar Oil Mills,
GT Road, Maqsood Pur, Jullundur.
M/s Chaman Lal Janak Raj,
C/o As above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registration sale deed No. 6241 of dated January, 81 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th September 1981

Ref. No. A.P. No. 2777—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule situated at V. Maqsood Pur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on Jan. 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Baldev Kaur,
W/o Sh. Harbhajan Singh Mukhtiar-Ai-Am,
Sh. Karam Singh,
S/o Sh. Sohel Singh
R/o V. Haler Teh & Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Khushpal Singh alias
Khushal Singh,
S/o Sh. Saggar Singh,
r/o V. Mohema Teh. Nakodar,
Distt. Jullundur.
(Transferee)

(3) As s. no. above
and Co-operative Marketing Society,
C/o Saggar Oil Mills,
G. T. Road, near Maqsood Pur, Jullundur.
M/s Chaman Lal Jank Raj,
c/o as above.
(Person in occupation of the property

(4) An other person interestey in the property.
(Person whom the undersigned know to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said proper may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period 45 days from the date of publication of this noti in the Official Gazette or a period of 30 da from the service of notice on the respective perso whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immo able property within 45 days from the date of t publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the a Act, shall have the same meaning as gi in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registration sa deed No. 6242 of dated January, 81 of the Registering Authori Jullundur.

R. GIRDA
Competent Authori
Inspecting Assistant Commissioner of Income-t
Acquisition Range, Jullund

Date : 14-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

OTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

FFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Julundur, the 14th September 1981

Ref. No. A.P. No. 2778—Whereas I R. GIRDHAR
cing the Competent Authority under section 269B of the ncome-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred as the 'said Act'). have reason to believe that the im-ovable property, having a fair market value exceeding . 25,000/- and bearing
o. as per Schedule ituated at Maqsoodpur
nd more fully described in the Schedule annexed hereto), as been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 08) in the office of the Registering Office
Jullundur on June 81
r an apparent consideration which is less than the fair arket value of the aforesaid property and I have reason to lieve that the fair market value of the property as afore-d exceeds the apparent consideration therefor by more an fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between parties has not been truly stated in the said instrument transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said , I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the resaid property by the issue of this notice under sub-tion (1) of Section 269D of the said Act, to the following sons, namely :—

(1) Shrimati Baldev Kaur,
W/o Sh. Harbhajan Singh Mukhtiar-Ai-Am
Shri Surinder Singh,
S/o Sh. Sohel Singh,
R/o V. Haler Teh & Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Khushal Singh alias Khush Pal Singh
S/o Sh. Saggar Singh,
R/o V. Mohem Teh. Nakodar
Distt. Jullundur.
(Transferee)

(3) as s. no.2 above
Co-operative Marketing Society,
C/o Saggar Oil Mills ,
G.T. Road, Maksood Pur (Jullundur)
and M/s Chaman Lal Janak Raj,
C/o as above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale deed No. 6243 of dated January, 81 of the Registering Authority Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Jullundur.

Date : 14-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur the 16th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2779—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing as per schedule situated at Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Jan. 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Subash son and Smt. Daya Wanti W/o Sh. Brahma Nand, NN-443, Gopal Nagar, Jullundur. (Transferor)

(2) Shrimati Desh Goel, W/o Sh. Amarjeet Goel, NK-221, Charanjit Pura, Jullundur. (Transferee)

(3) as S. No. 2 above. and Dr. Amar Jeet Singh, Baldev Raj, Moti Lal and Malik Singh, r/o N. K. 246, Charanjit Pura, Jullundur. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale deed No. 6429 of dated January, 1981 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Jullundur

Date : 16-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 16th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2780—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur on Jan., 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitlng the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Daya Nand,
S/o Shri Jassa Ram Urf Jaswant Rai,
R/o H. No. 368,
Mohalla Gopal Nagar,
Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Baldev Raj,
S/o Sh. Paras Ram,
R/o 114, Gopal Nagar,
Jullundur.
(Transferee)

(3) As S. No. 2 above and
Dr. Amar Jeet Goel, Sant Lal,
Baldev Raj & Malik Singh,
R/o NK-246, Charanjit Pura,
Jullundur.
(Person in occupation of the property)

(4) An other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale deed No. 6430 of dated January, 1981 of the Registering Authority Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 16-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 16th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2781—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at V. Burj Kahan Singh Wala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nathana on Jan,. 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Chenan Singh,
S/o Sh. Bhola Singh,
r/o V. Burj Kahan Singh Wala ,
Teh. Nathana,
Distt. Bhatinda.
(Transferor)

(2) Shri Amar Nath '
S/o Ronaq Ram,
C/o M/s Ronaq Ram Om Parkash,
Commisson Agents,
Bucho Mandi Distt. Bhadinda &
Hardev Singh S/o Lal Singh,
Nazar Singh S/o Sunder Singh &
Parm Jit Singh S/o Jallaur Singh,
R/o V. Burj Kahan Singh Wala,
Teh. Nathan Distt. Bhatinda.
(Transferee)

(3) As S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the resisteration sale deed No. 1225 of dated January, 81 of the Registering Authority, Nathana.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Jullundur

Date : 16-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 16th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2782—Whereas, I R. GIRDHAR being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule situated at Phagwara

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara on Jan. 81

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hari Pal Singh,
S/o Dr. Bhim Sen,
R/o Khulwara Gate,
Phagwara.
(Transferor)

(2) Shrimati Veena Rani,
W/o Sh. Manohar Lal,
R/o Khulwara Gate,
Phagwara.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 2552 of Jan. 1981 of the Registering Authority, Phagwara.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 16-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 16th September 1981

Ref. No. A.P. No.2783—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at Phagwara
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering
at Phagwara on Jan· 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Hari Pal Singh,
S/o Dr. Bhim Sen,
R/o Khulwara Gate, Phagwara.
(Transferor)

(2) Shrimati Sneh Lata,
W/o Sh. Narinder Pal.
2. Vinod Kumari,
W/o Harbans Lal,
R/o Khulwara Gate, Phagwara.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration Sale deed No. 2553 of the Registering Autority, Phagwara.

R. GIRDHAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 16-9-1981
Seal :

FORM ITNS-- ----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, 16th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2784—Whereas, I. R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at Jullundur
(and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur in Jan, 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269D of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

22—296GI/81

(1) Shrimati Sudershan Dhir,
W/o Shri M. K. Dhir,
71-Lajpat Jullundur (Transferor)

(2) Shri Pawan Kumar,
S/o Sh. Gandhi Ram,
R/o Ajit Nagar, Patiala. (Transferee)

(3) As S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale deed No. 6527 of dated January, 81 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 16-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 17th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2785—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per schedule situated at Chek Hussaina, Lama Pin (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering at Jullundur on 1981 Jan.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Sham Singh,
S/o Sh. Miya Singh,
R/o V. Chak Hussaina.
Lama Pind Teh & Distt.
Jullundur.

(Transferor).

(2) Shrimati Sarla Devi wife and
Satish Kumar, Anil Kumar,
Ss/o Brahma Nand,
R/o Hoshiarpur Road,
Jullundur City.

(Transferee)

(3) As S. No. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be in rested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale deed No. 5967 of January, 81 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Dated : 17-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 17th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2786—Whereas, I R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding 25,000/- and bearing
). As per Schedule, situated at Chak Hussaina Lama Pind
and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Jan. 1981,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sham Singh,
S/o Sh. Miya Singh,
R/o V. Chak Hussaina, Lama Pind,
Teh & Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shrimati Sarla Devi wife and
Satish Kumar, Anil Kumar,
Ss/o Sh. Brahma Nand,
R/o Hoshiarpur Road,
Jullundur City.
(Transferee)

(3) As S. No. 2 above.
(Person in occupation of property)

(4) Any other person interested in the
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale deed No. 5990 of dated January, 81 of the Registering Authority Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 17-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 21st September 1981

Ref. No. A.P. No. 2787—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Kotkapura (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faridkot on Jan., 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Roor Chand
S/o Sh. Sibbu Ram
R/o Kot Kupura, Distt. Faridkot.
(Transferor)

(2) Shri Kewal Krishan & Hira Lal,
Ss/o Shri Ganga Ram,
R/o Kotkapura Distt. Faridkot.
(Transferee)

(3) As S. No. 2 Above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale deed No. 3586 of dated January, 1981 of the Registering Authority, Faridkot.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 21-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE JULLUNDUR

Jullundur the 8th September 1981

Ref No A P No 2745—Whereas, J R GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/ and bearing

No As per Schedule situated at Model Town, Jullundur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Jullundur on Jan , 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) Shri Gurnam Singh,
S/o Sh Paisa Singh Self and attorney of Shri Sarbjit Singh,
Balraj Singh Jagjit Singh
S /o Sh Parsa Singh resident of V Kalra
Tehsil & Distt Jullundur.
(Transferor)

(2) Shrimati Sushila Sudaan,
Wd/o Shri Prem Parkash,
239-Model Town, Jullundur
(Transferee)

(3) As S. No 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale deed No 6456 of dated January 81 of the Registering Authority, Jullundur

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 8-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 8th September 1981

Ref. No. A.P. No. 2746—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per Schedule situated at V. Teona
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908) (16 of 1908) in the office of
the Registering Officer at Bhatinda
on Jan. 1981,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to bewteen the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhagwant Dass Chela
Shri Puran Dass,
R/o Village Teona Tehsil & Distt.
Bhatinda.
(Transferor)

(2) Shri Balwinder Singh, Mohinder Singh
Ss/o Sh. Gurdev Singh and Labh Singh,
Bohar Singh, Gurtej Singh,
Ss/o Sh. Sukhdev Singh,
V. & P.O. Chugga Kalan Teh. & Distt.
Bhatinda.
(Transferees)

(3) As S.No. 2 above
(Person in occupation of the propetry)

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale deed No. 4986 of January, 81 of the Regstering Authority, Bhatinda.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range Jullundur

Date : 8-9-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 8th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2747—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule situated V. Teona

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatinda on Jan. 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhagwant Dass Chela
Shri Puran Dass,
r/o Vill. Teona Teh. & Distt. Bhatinda.
(Transferor)

(2) Shri Balwinder Singh, Mohinder Singh
Ss/o Sh. Gurdev Singh and Labh Singh,
Bohar Singh, Gurtej Singh,
Ss/o Sh. Sukhdev Singh V & P.O. Chugga Kalan,
Teh. & Distt. Bhatinda.
(Transferee)

(3) As S. No. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be intrested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registration sale deed No. 5002 of January, 1981 of the Registering Authority, Bhatinda.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 8-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 8th September 1981

Ref. No. A.P. No. 2748—Whereas, I R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at V. Teona
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatinda in Feb. 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhagwant Dass Chela
Shri Puran Dass,
r/o Village Teona Teh. & Distt. Bhatinda.
(Transferor)

(2) Shri Blawinder Singh, Mohinder Singh,
Ss/o Gurdev Singh and Labh Singh,
Bohar Singh, Gurtej Singh,
Ss/o Sh. Sukhdev Singh,
R/o V. & P. O. Chugga Kalan,
Teh. & Distt. Bhatinda.
Transferee)

(3) As S. No. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of this publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registration sale deed No. 5077 of dated February, 81 of the Registering Authority Bhatinda.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 8-9-81
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 8th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2749—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Avt, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule situated at Village Teona
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatinda Feb. 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

23—296GI/81

(1) Shri Bhagwant Dass Chela,
Shri Puran Dass resident of Village Teona
Teh. & Distt. Bhatinda.
(Transferor)

(2) Shri Balwinder Singh, Mohinder Singh
Ss/o Sh. Gurdev Singh and Labh Singh,
Bohar Singh, Gurtej Singh
Ss/o Sh. Sukhdev Singh V & P. O. Chugga Kalan
Teh. & Distt. Bhatinda.
(Transferee)

(3) As S. No. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale deed No. 5146 of dated February, 81 of the Registering Authority, Bhatinda.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquistion Range Jullundur

Date : 8-9-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 8th September 1981

Ref. No. A.P. No. 2750—Whereas, I, R. GIRDHAR

of the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per schedule situated at Basti Sheikh, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Jan. 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Mail Kaur,
W/o Sh. Bakhshish Singh and Kehar Singh,
Kabal Singh
Ss/o Makhan Singh,
R/o Basti Sheikh, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shrimati Gurbachan Kaur
W/o Sh. Roshan Singh,
R/o W. S. 352,
Basti Sheikh, Jullundur
(Transferee)

(3) As S. No. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration, sale deed No. 6052 of January, 1981 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHRAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 8-9-1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 8th September 1981

Ref. No. A.P. No. 2751—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at V. Lidhran (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Jan., 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be [illegible] transferee for the purposes of the Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Harjinder Kaur, Resham Kaur,
Ds/o Sh. Kesar Singh through Mukhtiar
Smt. Ratten Kaur,
Wd/o Sh. Kesar Singh,
R/o V. Lidhran,
Teh & Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) Dr. T. R. JosPeh,
S/o Sh. Tulsi Ram and Mrs. Rosey Jospeh,
W/o Sh. T. R. Jospeh,
r/o Sura Nussi,
Teh & Distt. Jullundur.
(Transferee)

(3) As S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale deed No 6553 of 1st January, 81 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 8-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE JULLUNDUR

Jullundur, the 8th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2752—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the "said Act"), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at V. Maqsood Pur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Jany., 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely : —

(1) Shri Garib Dass,
S/o Sh. Haku Ram,
R/o Ravidass Nagar,
Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Shiv Darshan Lal Anand,
S/o Sh. Girdhari Lal,
C/o M/s Everwear Mfg. Co.,
Anand Nagar,
G.T. Road,
Jullundur.
(Transferee)

(3) As S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
(to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registration sale deed No. 5958 of dated January, 81 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 8-9-1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 8th September 1981

Ref. No. A.P. No. 2753—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule situated at V.Maqsood Pur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Jullundur on Jany., 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) off section 269D of the said Act to the following

(1) Shri Garib Dass,
S/o Sh. Haku Ram,
R/o Ravidass Nagar,
Jullundur
(Transferor)

(2) Shri Prem Lal Anan
S/o Sh. Girdhari Lal,
C/o M/s Everwear Mfg. Co,
Anand Nagar, G.T. Road,
Jullundur.
(Transferee)

(3) As S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registration sale deed No. 5959 of dated January, 1981 of the Registering Authorety Jullundur.

R. GIRDHRAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 8-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 8th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2754—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule' situated at V. Jamsher
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur on Jany., 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the for aid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kuldip Singh General Attorney of
Smt. Surjeet Kaur,
Wd/o Sh. Nazar Singh and Smt. Kirpal Kaur,
D/o Sh. Nazar Singh and S/Shri Santokh Singh
Swarn Singh,
Ss/o Sh. Nazar Singh,
R/o Village Jamsher,
Teh. & Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Mohinder Singh, Santokh Singh,
Piara Singh, Daljit Singh and Devinder Singh,
Ss/o Sh. Parkash Singh,
R/o V. Jamsher Khera
Teh. & Distt. Jullundur.

(3) as s. no. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale deed No. 6119 of dated January, 81 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 8-9-1981
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE JULLUNDUR

Jullundur, the 14th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2767—Whereas I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No. as per schedule, situated at Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering
at Jullundur on Jan., 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagdish Mitter,
S/o Shri Saran Das,
Smt. Pushpa Devi W/o Sh. Kulbhushan and
Smt. Devki Devi Wd/o Sh. Nand Lal
through Mukhtiar-Al-Am Shri Kulbhushan, S/o Sh. Nand Lal and Sh. Dharm Vir
S/o Sh. Saran Dass
r/o Mohalla Luxmi Pura, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Surinder Singh,
S/o Sh. Sat Pal Singh and Sh. Sat Pal Singh
S/o Sh. Jiwan Singh,
r/o Nila Mehal, Jullundur.
C/o Premior Rubber, Industrial Area, Jullundur.
(Transferee)

(3) As S. No. 2 above
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the regist ration sale deed No. 6384 of January, 1981 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Jullundur

Date ; 14-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE JULLUNDUR

Jullundur, the 14th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2768—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per schedule situated at Nawanshehr

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nawan Shehr on Jan, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Harijnder Kaur,
W/o Sh. Jagjit Singh,
r/o V. Mussa Pur Tehsil Nawanshehr,
Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Tarlok Chand and Nirmal Kumar,
Ss/o Sh. Hans Raj and Smt. Amriat Rani,
W/o Sh. Tarlok Chand & Smt. Vijay Kumari
W/o Sh. Nirmal Kumar,
R/o V. Rahon, Tehsil Nawanshehr,
Distt. Jullundur.
(Transferee)

(3) as s. no. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registration sale deed No. 3537 of dated January, 1981 of the Registering Nawanshehr.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Jullundur.

Date 14-9-1981

Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th September 1981

Ref. No. A.P. No. 2769—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per schedule situated at Nawan Shehr

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nawan Shehr on Jan, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the foresaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

4—296GI/81

(1) Shrimati Harjinder Kaur w/o Sh. Jagjit Singh
r/o V. Mussapur, Tehsil Nawanshehr
Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Tarlok Chand & Nirmal Kumar,
Ss/o Sh. Hans Raj and Smt. Amirat Rani
W/o Sh. Tarlok Chand & Smt. Vijay Kumari
W/o Sh Nirmal Kumar
R/o V. Rahon, Teh. Nawanshehr,
Distt. Jullundur.
(Transferee)

(3) as s. no. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registration sale deed No 3559 of dated January, 1981 of the Registering Authority, Nawanshehr.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th September 1981

Ref. No. A.P. No· 2770—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Nawanshehr (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Nawanshehr on February 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Harjinder Kaur
W/o Sh. Jagjit Singh,
R/o V. Mussa Pur Tehsil Nawanshehr,
Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Tarlok Chand & Nirmal Kumar
Ss/o Sh. Hans Raj and Smt. Amriat Rani
W/o Sh. Tarlok Chand & Smt. Vijay Kumari
W/o Sh. Nirmal Kumar,
R/o V. Rahon Tehsil Nawanshehr,
Distt. Jullundur.
(Transferee)

(3) as s. no. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale deed No. 3702 of dated February, 1981 of the Registering Authority, Nawanshehr.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE JULLUNDUR

Jullundur, the 10th September 1981

Ref. No. A.P. No. 2755—Whereas, I R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Vill. Ramidi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at Dhilwan on Feb. 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nirmal Singh Bal
S/o Sh. Ram Singh
R/o Vill. Ramidi Teh. Dhilwan
Mukhtiar-a-am Sh. Harnak Singh
alias Gurmail Singh,
S/o Sh. Dara Singh
R/o Vill Ramidi. Teh. Dhilwan.
(Transferor)

(2) Shri Jasbir Singh, Surjit Singh
Ss/o Sh. Santokh Singh
Vill. Ramidi Sub. Teh. Dhilwan
Distt. Kapurthala.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazettee.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 1170 of Feb. 1981 of the Registering Authority, Dhilwan.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Jullundur

Date : 10-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE JULLUNDUR

Jullundur, the 10th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2756—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule situated at Vill. Ramidi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dhilwan on March 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurmail Singh Urf Harnak Singh
R/o Vill. Ramidi Teh. Dhilwan
Distt. Kapurthala.
(Transferor)

(2) Shri Jasbir Singh, Surjit Singh
Ss/o Santokh Singh,
R/o Vill. Ramidi Teh. Dhilwan
Distt. Kapurthala
(Transferee),

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property .
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 1201 of March, 1981 of the Registering Authority, Dhilwan.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Jullundur.

Date : 10-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 10th September 1981

Ref. No. A. P. 2757—Whereas, I R. GIRDHAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Ferozepur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer

at Ferozepur on Jan 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Raj Kumari,
Wd/o Kishan Lal,
R/o Bagdadi Gate, Ferozepur.
(Transferor)

(2) Shri Gurdev Singh,
Sukhdev Singh and Smt. Rajinder Kaur
W/o Sh. Jaswant Singh
R/o Inside Delhi Gate,
Ferozepur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the under singed knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 5699 of Jan 1981 of the Registering Authority, Ferozepur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 10-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961(43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE JULLUNDUR

Jullundur, the 10th September 1981

Ref. No. A.P. No. 2758—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at Vir Colony (Sunder Nagar) Abohar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Abohar on Jan. 1981
for an apparent consideration which is lessthan the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Krishan Lal Sagar
S/o Sh. Tulsi Dass
R/o H. No. 5838/2,
Vir Colony, (Sunder Nagar),
Abohar.
(Transferor)

(2) Shri Prem Kumar Sachdeva
S/o Sh. Sohan Lal
R/o Village Dharangwala Teh. Fazilka,
Distt. Ferozepur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 3304 of Jan. 1981 of the Registering Authority, Abohar.

R. GIRDHAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Jullundur.

Date : 10-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 10th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2759—Whereas, I R· GIRDHA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Vir Colony (Sunder Nagar) Abohar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Abohar on Feb. 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Krishan Lal Saggar
S/o Sh. Tulsi Dass
R/o H. No. 5838/2,
Vir Colony (Sundr Nagar),
Abohar.
(Transferor)

(2) Shri Prem Kumar Sachdeva
S/o Sh. Sohan Lal
R/o Vill. Dharangwala Teh. Fazilka
Distt. Ferozepur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person intersted in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 3635 of Feb. 1981 of the Registering Authority Abohar.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, 4th Floor, Gangotri Building,
Acquisition Range Jullundur

Date : 10-9-1981
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 10th September 1981

Ref. No. A. P. No· 2760—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under the Section 269 of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule situated at Abohar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Abohar on Jan. 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Manjit Kaur,
D/o Sh. Rattan Singh,
W/o Sh. Hardial Singh,
R/o Village Gurheh, Teh. Jagraon,
Distt. Ludhiana.
(Transferor)

(2) Shri Mohinder Singh, Kuljit Singh
Ss/o Sh. Gurbachan Singh
R/o Vill. Hoze Khas,
Teh. Fazilka Distt. Ferozepur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 2920 of Jan. 1981 of the Registering Authority, Abohar.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 23-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 10th September 1981

Ref. No A P. No. 2761.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

As per schedule situated at Abohar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Abohar on January 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property at aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the the consideration for such transfer as agreed to between the transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) :

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the isue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

25—296GI/81

1) Smt. Kaushalia Devi
Wd/o Shri Lajpat Rai
R/o Gali No. 8, Mandi Abohar.
(Transferor)

(2) Shri Ved Prakash S/o Tilak Chand
R/o Gali No. 10, Mandi Abohar.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 3254 of January 1981 of the Registering Authority, Abohar.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 10-9-1981.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 10th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2762—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Mandi Abohar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Abohar on Jan. 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sat Pal,
S/o Shri Brij Lal,
R/o Vill. Dutaran Wali
Teh. Fazilka.
(Transferor)

(2) Shri Jai Kishan,
S/o Chanan Lal,
R/o Gali No. 14-15,
Mandi Abohar.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 3131 of Jan. 1981 of the Registering Authority, Abohar.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Jullundur

Date : 10-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 10th September, 1981

Ref. No. A. P. No. 2763—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. As per Schedule situated at Kapurthala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurthala on Jan. 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than, fifty per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Brijindra Singh,
S/o Raja Harmindra Singh,
R/o Kapurthala Mukhtiar-a-am of Smt. Dan Singh alias Devika
W/o Brijindra Singh,
R/o Kapurthala.

(Transferor)

(2) Shrimati Paramjit Kaur,
W/o Manjit Singh
R/o Kapurthala.,
Pritam Dai Wd/o Sh. Gian Chand,
Rani Bazar, Moh. Sharifpura,
Amritsar,
Smt. Leela Wanti
W/o Amar Nath and Varsha Rani
W/o Sh. Joginder Pal,
R/o Moh. Janki Dass, Kapurthala.

(Transferee)

(3) As per Sr No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in t e property)
)Person whom the undersigned knows to e interested in the property)

THE SCHEDULE

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 3135 of Jan. 1981 of the Registering Authority, Kapurthala.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range Jullundur

Date : 10-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE JULLUNDUR

Jullundur the 10th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2764—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule situated at Kapurthala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Kapurthala on Jan. 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aofresaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Brijindra Singh,
S/o Raja Harmindra Singh
R/o Kapurthala
Mukhtiar-a-am of Smt. Dan Singh alias Devika
W/o Sh. Brijindra Singh
(Transferor)

(2) Shri Kailash Kumar S/o Sharat Chand,
R/o J. J. Club, Kapurthala,
Smt. Shakuntla Guleria
W/o G. S. Guleria
R/o Moh. Satnam Pura, Phagwara,
Harbans Lal S/o Shiv Ram,
R/o Moh. Kasaban, KPT.
Jagiri Lal, S/o Maluk Singh
R/o Near J. J. Club, Kapurthala,
Kewal Ram Madan,
S/o Manohar Lal,
Mandir Soodan Distt. KPT.
Smt, Tripta Manchanda
W/o Sat Pal
R/o Lohari Gate, Krishana Gali, Kapurthala,
Prem Dutt S/o Mohinder Dutt,
R/o Kapurthala.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person who the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 3192 of Jan. 1981 of the Registering Authority, Kapurthala.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range Jullundur

Date : 10-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 10th September 1981

Ref No A P No 2765—Whereas, I, R GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing

No As per Schedule situated at Kapurthala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurthala on Jan 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore said exceeds the apparent consideration therefor by more then fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Usha Devi
W/o Raja Harmindra Singh
R/o Kapurthala through Brijindra Singh
S/o Raja Harmindra Singh,
Mukhtiar-a-am
R/o Kapurthala
(Transferor)

(2) Shri Bakhshish Singh
S/o Sh Sital Singh
Vill & P.O urkhpur Distt Kapurthala
(Transferee)

(3) As per Sr No 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned kno to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respectiye persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No 3198 of Jan. 1981 of the Registering Authority, Kapurthala

R GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date 10-9-1981
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 10th September 1981

Ref. No. A. P. No. 2766.—Whereas, I, R. GIRDHAR

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule situated at Kapurthala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurthala on Jan. 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid, exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Dan Singh alias Devika
W/o Shri Brijindra Singh through
Sh. Brijindra Singh
S/o Raja Harmindra Singh,
r/o Kapurthala Mukhtiar-Ai-am
(Transferor)

(2) Shri Judge Kumar Anand,
Prem Pal Anand, Yash Pal Anand
Ss/o Sh. Naval Kishore Anand,
R/o Sheihupura Distt. Kapurthala.
(Transferee)

(3) As S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property & Persons as mentioned in the registeration sale deed No. 3210 of dated January, 81 of the Registering Authority, Kapurthala.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 10-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 27th August 1981

Notice No. 354/81-82.—Whereas, I, Dr. V. N LALITHKUMAR RAO,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act,'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Chalta No. 15, situated at Vasco-da-Gama, Goa

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Marmugao under document number 8/81 on 7-1-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) :

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) if Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jose Maria Geraldo Sanches,
Near Gitanjali Building,
Vasco-da-Gama, Goa.
(Transferor)

(2) Saple & Associates,
No. 7, Lotus Apartments,
F.L. Gomes Road,
Vasco-da-Gama, Goa.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 8/81 dated 7-1-81)

Vacant land known as "Terreno Meimuncundalem" bearing Chalta No. 15 situated at Vasco-da-Gama, Goa.

Dr.V. N.LALITHKUMAR RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 27-8-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune-1, the 8th September 1981

Ref. No. I. A. C./C. A.-5/S.R./Kalyan/Jan./530/81-82.—Whereas, I SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 264, Hissa No. 6 situated at Village Thakurli, Vishnunagar, Gokhale Path, Dombivli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at Kalyan on 30-1-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :—

(1) Ravji Lalji & Co.,
3, Umiya Nivas,
Maneklal Estate, Agra Road,
Ghatkopar, Bombay-400086.
(Transferor)

(2) Shri R. Y. Bhalodkar,
Secretary of Shiv Sadan Co-operative Housing Society,
Gokhale Path,
Vishnu Nagar,
Dombivli-421202.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing S. No. 264, Hissa No. 6 situated at Village Thakurli, Tal. Kalyan within Dombivli municipal limits, Vishnunagar, Gokhale Path, Dombivli (W).

(Property as described in the sale deed registered under document No. 228 in the office of the sub registrar, Kalyan on 30-1-1981).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Pune

Date : 8-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, BIHAR PATNA
Patna, the 17th September 1981

Ref. No. III 516/Acq./81-82.—Whereas, I, H. NARAIN being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market valhe exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 186, 185, Khata No. 176, 181, Survey Thana No. 7, Phulwari Touzi No. 391, situated at Dhakanpura now called Boaring Road, Patna.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Patna on 13-1-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market alue of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Prabhat Kumar Sinha
2. Shri Pankaj Kumar Sinha
3. Shri Binod Kumar Sinha
4. Shri Prem Kumar Sinha.
All sons of Shri Ganesh Lall of Boaring Road, P. S. Kotwali, District Patna.
(Transferer)

(2) Shri Jai Narain Tiwary
S/o Shri Kishori Tiwary and
Shri Jamuna Pathak
S/o Late Sukhram Pathak
both resident of Boaring Road, Patna-1.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Homestead land situated at Dhakanpura now called Boaring Road, Patna morefully described in deed No. 164 dated 13-1-81 registered with D.S.R., Patna.

H. NARAIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna.

Date : 17-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore, the 5th May, 1981

C. R. No. 62/29450/80-81/Acq./B.—Whereas, I Dr. V. N. LALITHKUMAR RAO,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25 000/- and bearing
No. 40/7, situated at Miller's Road, Civil Station, Bangalore
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Shivajinagar, Bangalore, Document No. 3621/80-81 on 8-1-81
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the appartnt consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Vasantha Venkateshulu
2. Mrs. Varalakshmi Vijayakumar
3. Mrs. Vanaja Ravichandra
4. Mrs. V. Balaji Rao
No. 47/4, Miller's Road,
Bangalore.

(Transferor)

(2) M/s. S. & V. Properties Private Limited,
Atlanta Building,
Nariman Point,
Bombay.

(Transferee

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 3621/80-81 dated 8-1-1981)
Property bearing No. 40/7, situated at Miller's Road, Civil Station, Bangalore.
Boundaries :
On North by Private property
On South by do.
On Last by do.
On West by Approach Road.

Dr. V. N. LALITHKUMAR RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 5-5-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 19th September, 1981

Ref. No. Chandigarh/313/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. Plot No. 3073, Sector 35-D, situated at Chandigarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Chandigarh in January, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Captain Joginder Singh
s/o Late Shri Dr. Sawan Singh,
r/o Miltary Farm Kanpur U.P.
through Shri Dina Nath Khanna,
s/o Shri Nand Lal Khanna
r/o S.C.F. No. 89, Sector 24,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Mrs. Aruna Datti
w/o Shri Hari Singh
r/o H. No. 3211, Sector 35-D,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 3073, situated in Sector 35-D, Chandigarh.
(The property as mentioned in the Registered deed No. 1792 of January, 1981 of the Registering Authority, Chandigarh.).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Ludhiana

Date : 19-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 19th September, 1981

Ref. No. Chandigarh/308/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 1373, Sector 34-C, situated at Chandigarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in January, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid

property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Maj. Jarnail Singh Antal,
s/o Shri S. S. Antal
r/o H. No. 3828, Sector 19-D,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Mrs. Jagdish Bhambari
w/o Shri Sat Pal Bhambari and
Shri Satpal Bhambari
s/o Shri Kirpa Ram
r/o 3087, Sector 23-D,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1373, situated in Sector 34-C, Chandigarh.
(The property mentioned in the Registered deed No. 1765 of January, 1981 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 19-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 19th September 1981

Ref. No. Kharar/40/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 76-C, situated at Phase-III-B-I, Mohali, Distt. Ropar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registering Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kharar in January, 1981.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Tikam Chander Bali & Amrita Bali
R/o 2866, Sector 22,
Chandigarh.
(Transferor)

(2) Shri Hardeep Singh Dhillon
S/o Shri Teja Singh
R/o V. Balogi,
Tehsil Kharar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 76-C, Phase-III-B-I, Mohali, District Ropar. (The property as mentioned in the sale deed No. 4983 of January, 1981 of the Registering Authority, Kharar.).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 19-9-1981
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

New Delhi, the 19th September 1981

Ref. No. Chandigarh/314/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 3015, situated at Sector 35-D, Chandigarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Chandigarh in January, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said aforesaid property by the issue of this notice under sub-aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Mangha Singh
C/o Rai Singh,
R/o House No. 1191,
Sector 8-C, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Joginder Singh
S/o Shri Dasondha Singh,
R/o House No. 242,
Sector 22-A, Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 3015, Sector 35-D, Chandigarh.

(The property as mentioned in the sale deed No. 1793 of January, 1981 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 19-9-1981

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 19th September 1981

Ref. No. Chandigarh/310/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 3330-P situated at Sector 32-D, Chandigarh.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in January, 1981.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jai Ram Dasuar,
House No. 898/10, Block No. 23, Shivaji Nagar.
Samrala Road, Ludhiana.

(Transferor)

(2) Smt. Amarjit Kaur
W/o Shri Puran Singh,
No. 182/23, Indl. Area,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this police in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 3330-P, Sector 35-D, Chandigarh.

(The property as mentioned in the sale deed No. 1778 of January, 1981 of the Registering Authority, Chandigarh.).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 19-9-1981

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 19th September 1981

Ref. No. Ludhiana/412/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 38-L, situated at Bhai Randhir Singh Nagar, Ferozpur Road, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in January, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Naib Singh
s/o Shri Bhan Singh
r/o Bhurj Hamera,
Teh. Moga, District Faridkot.
(Transferor)

(2) Shri Surinder Singh Cheema
s/o Shri Raghu Nath Cheema
r/o Talwara, District Hoshiarpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 38-L, situated in Bhai Randhir Singh Nagar, Ferozpur Road, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered deed No. 5622, of the January, 1981 of the Registering Authority, Ludhiana.

SUKHDEV CHAND
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 19-9-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 19th September, 1981

Ref. No. Chandigarh/320/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herelnafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 655, Sector 33-B, situated at Chandigarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi in at Chandigarh in January, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the faoresaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Karam Paul Singh
s/o Shri Kartar Singh Sidhu
r/o Chaksheranwala,
Teh. Muktsar, District Ferozepur
now r/o 62 Cawalry c/o 56APO, through Shri Gajinder Singh s/o Shri Kishan Singh
r/o H. No. 216, Sector 9-C,
Chandigarh.

(Transferror)

(2) Shri Daljit Singh Oberoi
s/o Shri Arjun Singh and
Mrs. Sushma Oberoi
w/o Shri Daljit Singh Oberoi
r/o 53, Napier Road,
Ambala Cantt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 655, situated in Sector 33-B, Chandigarh.
(The property as mentioned in the Registered deed No. 1842 of January, 1981 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhiana.

Dated : 19-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 19th September, 1981

Ref. No. Patiala/113/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House No. 2132 situated at Mohalla Kothi Julam Garh Old Thana Sadar, Patiala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patiala in January, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor, by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to bestween the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sheelinder Kumar Singh,
26, Bhupindra Nagar,
Patiala.

(Transferor)

(2) S/Shri Sudhir Kumar,
Pushpinder Kumar and
Sushil Kumar
ss/o Shfi Harbans Lal and
Shri Harbans Lal
S/o Shri Kashmiri Lal,
R/o House No. 2313/1,
Sath Ghara Street,
Patiala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 2132, Mohalla Kothi Julam Garh, Old Thana Sadar, Patiala.

(The property as mentioned in the sale deed No. 7069 of January, 1981 of the Registering Authority, Patiala).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 19-9-1981

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 19th September, 1981

Ref. No. Chandigarh/317/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 1155, Sector 34-C, Chandigarh.

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Rgistration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in January, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Charanjit Kaur
w/o Shri Mukhban Singh
through Shri Manjit Singh
s/o Shri Madan Singh
r/o 55, Sector 15-A, Chandigarh.
(Transferor)

(2) Mrs. Sunena Rani Anand
w/o Shri B. D. Anand,
r/o 1030, Sector 27-B,
Chandigarh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1155, situated in Sector 34-C, Chandigarh.
(The property as mentioned in the Registered deed No. 1822 of January, 1981 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 19-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 19th September, 1981

Ref. No. Chandigarh/319/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 1120, situated at Sector 33-C, Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in January, 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sqd. Ldr. Gurcharan Singh
S/o Shri Hazur Singh,
48, Sector 15-A,
Chandigarh.
(Transferor)

(2) Dr. Sushil Chandra Gupta,
B-38, Soami Nagar,
New Delhi-110007.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1120, Sec. 33-C, Chandigarh.
(The property as mentioned in the sale deed No. 1839 of January, 1981 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 19-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 19th September, 1981

Ref. No. Chandigarh/305/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 1348, situated at Sector 33-C, Chandigarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the offict of the Registering Officer at Chandigarh in January, 1981

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Amar Singh
S/o Shri Kishan Singh,
Shri Devinder Singh,
S/o Shri Amar Singh &
Smt. Harinder Pal Kaur
W/o Shri Amar Singh,
all residents of E-37, Sarabha Nagar,
Ludhiana.
(Transferor)

(2) Shri Gulzar Singh
S/o Shri Rullia Singh Gill,
R/o 4, Transport Area, Chandigarh.
(Trqnsferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respetive persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1348, Sec. 33-C, Chandigarh.
(The property as mentioned in the sale deed No. 1750 of January, 1981 of the Registering Authority, Chandigarh.

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 19-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 19th September, 1981

Ref. No. Chandigarh/315/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

No. Plot No. 411 situated at Sector 34-A, Chandigarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Chandigarh in January, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jaspal Singh Matharoo
S/o Shri Sarwan Singh Matharoo
R/o 189-B, Industrial Area,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Mrs. Harminder Matharoo
W/o Shri Satpal Singh
R/o 13, M. W. Industrial Area,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 411, Sector 30-A, Chandigarh.
(The property as mentioned in the sale deed No. 1809 of Jan. 1981 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date: 19-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 19th September 1981

Ref. No. Chandigarh/304/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House No. 2243, situated at Sector 21-C, Chandigarh.

Khan, Ward No. XI, Darya Ganj, Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Chandigarh in January, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the asid Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Swaran Kaur
W/o Shri Balwant Singh,
R/o 6827, Topaz QSW Taxoma (Wash)-98498, U.S.A.

(Transferor)

(2) Smt. Balbir Kaur Lidder
Wd/o Late Lt. Col. Baldev Singh Lidder,
May Villa, Summer, Hill
Simla.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 2243, Sector 21-C, Chandigarh.
(The property as mentioned in the sale deed No.1477 of January, 1981 of the Registering Authority, Chandigarh.

SUKHDEV CHAND
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 19-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 19th September, 1981

Ref. No. Kharar/44/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding No. Plot No. 1764, situated at Phase-III-B-2, Mohali, District Ropar.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Kharar in January, 1981.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partles has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any inome arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Ranjit Singh and Gurmeet Singh ss/o Shri Baldev Singh, R/o 329, Sector 35-A, Chandigarh. (Transferor)

(2) Lt. Col. Dalip Singh S/o Shri Kishan Singh, R/o 1607-III-B2, Mohali, District Ropar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1764, Phase-III-B-2, Mohali, District Ropar.
(The property as mentioned in the sale deed No. 5085 of January, 1981 of the Registering Authority, Kharar.).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 19-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE LUDHIANA

Ludhiana, the 19th September 1981

Ref. No. Kharar/43/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 10-C, situated at Phase-III-A, S. A. S. Nagar (Mohali) District Ropar.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kharar in January, 1981.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. L. Nayyar
through Shri Ramesh Chander,
R/o 627, Phase-I,
Mohali.
(Transferor)

(2) Smt. Sneh Prabha
W/o Shri M. K. Verma,
R/o 627, Phase-I, Mohali, District Ropar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 10-C, Phase III-A, S. A. S. Nagar, (Mohali) Distt. Ropar.

(The property as mentioned in the sale deed No. 5055 of of January, 1981 of the Registering Authority, Kharar).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax;
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 19-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 19th September, 1981

Ref. No. Chandigarh/318/80-81.—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. Plot No. 1676, situated at Sector 35-D, Chandigarh.

puram (and more fully described in the Schedule annexed hereto)has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in January, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1927);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri N. K. Pramtma Singh
S/o Shri Roop Singh,
M. T. Company (U.R.O.)
Infantory School, Mhow (M.P.).
(Transferor)

(2) Shri Sucha Singh
S/o Shri Babu Singh &
Smt. Charanjit Kaur
W/o Shri Sucha Singh,
R/o 3397/Sec. 35-D,
Chandigarh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCEDULE

Plot No. f676, Sector 35-D, Chandigarh.

(The property as mentioned in the sale deed No. 1829 of January, 1981 of the Registering Authority, Chandigarh).,

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 19-9-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 10th September 1981

Ref. No. P. R. No. 1406 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 1, Plan No. 2, Plot No. 17, Sheet No. 4 "G" situated at Palace Road, Jamnagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been trasferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jamnagar on 15-1-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the asforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chhota Lkl Natha Lal Shah & another through; P.A. Holder Shri Mafat Lal Magan Lal New Super Market, Jamnagar.

(Transferor)

(2) Shri Shantilal Kachrabhai Mehta ; & others, "Krishna Kunj" Near Town Hall, Jamnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing S. No. 1, Plan No. 2, Plot No. 17, Sheet No. 4, "G"—admeasuring 14750 sq. ft. situated at Palace Road, Jamnagar, duly registered by Registering Officer, Jamnagar, vide sale deed No. 126/15-1-1981 i.e. property as fully described therein.

G.C. GARG
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 10-9-1981

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 10th September 1981

Ref. No. P.R. No. 1407 Acq. 23-1/81-85—Whereas, I G.C. GARG
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 1021-Land situated at Vejalpur, Dist. Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 27-1-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent. of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Priyakant Thakorlal Mansha;
New Sharda Mandir Road, Ellisbridge,
Ahmedabad-7.

(Transferor)

(2) Shri Ramanlal Mansukhlal Parikh;
"Arhirwad", Bungalow No. 16,
Inklab Society, Gulbai's Tekra,
Ellisbridge, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 1 A. 34 G. bearing S. No. 1021, situated at Vejalpur, Dist. Ahmedabad, duly registered by Registering Officer, Ahmedabad vide sale-deed No. 1019/27-1-81 i.e. property as fully described therein.

G.C. GARG
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 10th September, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 11th Sptember, 1981

Ref. No. P.R. No 1409 Acq. 23-I/81-82—Whereas, I G. C. GARG

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herinafter referred to as the 'said Act'); have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. TPS. 3, S. P. 605 No. 1/A/2 and 1/A/3 and 1/A/1 situated at Kocharab, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 27-1-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Welath-tax Act. 1957 (27 of 1957):

Now, threfore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanaiyalal Jeshinghbhai Chinai & others;
Chinai Baug, Ellisbridge, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Shri Jatin Jayantilal Shah;
Main Promoter f thitralaya Coop. Housing Society Ltd., Ahmedabad.
H. K. House, Ashram Road, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 1070, sq. mts. 1507·63· sq. mts. & 618·37 sq. mts. bearing T. P. No. 605, T.P.S. 3 (Varied) Sub-Plot Nos. 1/A/1, 2 & 3 situated at Kochrab, Ahmedabad, duly registered by Registering Officer, Ahmedabad vide sale-deed No. 1136/27-1-1981 i.e. property as fully described therein.

G.C. GARG
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 11th September, 1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380009, the 11th September, 1981

Ref. No. P.R. No 1408 Acq. 23-I/81-82—Whereas, I G.C. GARG being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 14-1 paiki situated at Junagadh, Distt. Rajkot. (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Junagadh on 6-1-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Jadeja Sugansinhji Govindsinnhji himself and Karta of HUF. Village : Ganol Tal. Upleta, Dist. Rajkot.
2. Jadeja Balbhadresinhji Govindsinhji himself and karta of HUF. Village: Ganod, Tal. Upleta, Dist. Rajkot.

(Transferor)

(2) 1. Ba Shri Devkunverba Hematsinhji Gohil of Vejalka.
2. Shri Sureshchandra Manilal Sanghvi, Village Vadal, both S/o. C.N. Daftary, Chhaya Bazar, Junagadh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 7 Acre+7 Acre, bearing S. No. 14-1 paiki situated at Junagadh sim, Junagadh, duly registered vide sale-deed No. 57 & 58/6-1-81 by Registering Officer., Junagadh i.e. property as fully described therein.

G.C. GARG
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I, Ahmedabad.

Date :- 11th September, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 16th September, 1981

Ref. No. AMB/131/80-81—Whereas, I G.S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. C-7, New No. 625-B-9, Situated at Model Town, Ambala City (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ambala in Jan, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Smt. Tripta Sharma W/o Shri Anil Kumar, H. No. 6-7, Kailash Nagar, Model Town, Ambala City. (Transferor)

(2) (i) Shri Ranbir Singh Kohli S/o Shri Karam Singh
(ii) Smt. Joginder Kaur W/o Sh. Randhir Singh of R/o 430-A, Model Town, Ambala City (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property heweing House No. C-7 New No. 625-B-9, situated in Kailash Nagar, Model Town, Ambala, City and as more mentioned in the sale deed registered at No. 4611 dated 13-1-918.

G.S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 16-9-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 16th September 1981

Ref. No. RTI/1/80-81—Whereas, I, G.S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 12 kanal 8 marla situated at Ratia (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratia in January, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Secion 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Sh. Radha Ram Padam Kumar, Pushap Kumar, Sohan Lalm Mool Chand Ss/o Sh. Parkash Chand, R/o Tatia Distt. Hissar. (Transferor)

(2) M/s Modern Paper Board Mills, Ratia Distt. Hissar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 12 kanal 8 marla at Ratia and as more mentioned in the sale deed registered at No. 2063 dated 7-1-1981 with the Sub Registrar, Ratia.

G.S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 16-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 16th September, 1981

Ref. No. GRG/137/80-81—Whereas I, G.S. GOPALA being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. property consists of three storyed residential building with land measuring 5680 sq. yards situated at Civil Lines, Gurgaon.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Gurgaon in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

29—296GI/81

1. Smt. Sushila Rani W/o Raja Rati Ram, C/o Sh. Devinder Kumar Bajaj, 2E-45, Gopinath Building, Connaught Place, New Delhi. (Transferor)

2. (1) Smt. Anandi Devi W/o Sh. Chelu Ram R/o Nand Garm, Distt Bundi,
(2) Sh. Chelu Ram S/o Tota Ram, Bakhen Distt. Bundi (Rajasthan),
(3) Sh. Mahabir Singh S/o Chetu Ram R/o Nikras Distt. Bundi.
(4- Lt. Col. Krishan Lal S/o Ram Singh R/o Ishapur Distt. Bulland.
(5) Sh. Balwan Singh S/o Sh. Teela Ram R/o Hakji Distt. Bulland.
(6) Smt. Bimla Yadav W/o Balbir Singh, R/o 117/IN, Blank, Kanpur (UP)
(7) Sh. Bhajan Pal S/o Sh. Ram Singh R/o Isha Pur Distt. Bulland.
(8) Sh. Daya Ram S/o Girdhari Yadav R/o Harath Distt. Saharanpur (U. P.)
(9- Sh. Madan Lal S/o Col. Ram Singh R/o Isha Pur Distt. Bulland.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being three storeyed residential building alongwith land measuring 5680 sq. yards situated at Civil Lines, Gurgaon and as more mentioned inthe sale deed registered at No. 5172 dated 26-2-1981 with the Sub Registrar, Gurgaon.

G.S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 16-9-1981

Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE ROHTAK

Rohtak, the 16th September, 1981

Ref. No. SPT/91/80-81—Whereas I, G.S. GOPALA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
land measuring 4300 sq. yds (7 K. 2 M.)
situated at Kundli

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sonepat in - January, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Zila Singh S/o Aman Singh,
Village Kundali

(Transferor)

(2) Shri Anil Pahwa & Sanjay Pahwa,
Ss/O Sh. Mohan Lal Pahwa,
R/o 61/3m Ramjas Road,
Karol Bagh, New Delhi

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 4300 sq yds (7 K-2M) situated at Kundli and as more mentioned in the sale deed registered at No. 3647 dated Jan., 1981 with the Sub Registrar Sonepat.

G. S. GOPAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 16-9-1981
Seal

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 16th September 1981

Ref. No. SPY/90-80-81—Whereas, I, G.S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
and bearing No. Land measuring 4390 sq. yards (7 K 5 M)
situated at Kundli
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Sonepat in January, 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(b) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Aman Singh /o Kishan Chand, Village Kundli.
(Transferor)

(2) Shri Prithvi Raj S/o Sh. Mela Ram, R/o 3/C, New Rohtak Road, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 4390 sq. yards (7 K 5 Marla) situated at Kundli and as more mentioned in the sale deed registered at No. 3646 dated January 1981 with the Sub Registrar, Sonepat.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 16-9 1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 16th September 1981

Ref. No. SPT/91/80-81- Whereas I, G.S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 4300 sq. yards (7 K 2 M)
situated at Kundli
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Sonepat in Jan. 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideraion therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dharamvir S/o Shri Aman Singh, R/o Vill. Kundli.

(Transferor)

(2) Smt. Rubi Pahwa r/o Shri Mukesh Pahwa, R/o 61/8, Ramjash Road, Karol Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Property being land measuring 4300 sq. yds (7K. 2 M) situated at Kundli and as more mentioned in the sale deed registered at No. 3648 dated Jan., 1981 with the Sub Registrar, Sonepat.

G. S. GOPALA,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 16-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 16th September 1981

Ref. No. PNP/91/80-81—Whereas, I G.S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House No.317/R, M.T. Situated at Panipat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Panipat in January, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Om Parkash S/o Shri Hushankiram, R/o House No. 317/R, Model Town, Panipat.

(Transferor)

(2) Shri Sushil Kumar & Ravinder Kumar, sons of Shri Laxmi Narain, R/o House No. 317/R, Model Town, Panipat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being house No. 317/R-Model Town, Panipat and as more mentioned in the sale deed registered at No. 4669 dated 20-1-81 with the Sub Registrar, Panipat.

G. S. GOPALA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 16-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 16th September, 1981

Ref. No. BGR/223 80-81—Whereas, I G.S.GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. H. No. 63/15, Situated at Faridabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ballabgarh in January, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Banarsi Devi W/o Sh. S.K. Sachdeva, R/o 63/15, Faridabad.

(Transferor)

(2) Shri Mohan Lal Gupta S/o Shri Har Ram Gupta R/o House No. 63, Sector 15, Faridabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being house No. 63/15 measuring 350 sq. yards situated at Faridabad and as more mentined in the sale deed registered at No. 1001 dated 8-1-1981 with the sub Registrar Ballabgarh.

G.S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 16-9-1981

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANE, ROHTAK

Rohtak, the 16th September, 1981

Ref No. RTK/57/80-81—Whereas I G.S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shops Nos. 34 & 35 Delhi Road, situated at Rohtak

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Offic er at Rohtak in March, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideraton therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Kishan Sharma S/o Shri Rati Ram, R/o Kothi No. 227-A, Model Town Rohtak.

(Transferor)

(2) Sh. Des Raj S/o Sh. Bodh Raj, S/o Sh. Sohna Ram, R/o 759/20, Shakti Nagar, Green Road, Rohtak.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being shops No 34 & 35 situated in Ward No. 28 Delhi Road, Model Town, Rohtak and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5179 dated 3-3-1981 with the Sub Registrar, Rohtak.

G.S. GOPALA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 16-9-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 16th September, 1981

Ref. No. AMB/132/80-81—Whereas, I G.S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 4 Kailash Nagar, Situated at Ambala Cantt.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ambala in January, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Rajinder Kaur Wd/o Sh. Jaimal Singh, Ambala City.

(Transferor)

(2) Sh. Amas Kultas Singh S/o Sh. Kuldip Singh C/o Punjab & Sind Bank, Sector 17, Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being house No. 4 Kailash Nagar, Ambala Cantt Ambala and as more mentioned in the sale deed registered at No. 4562 dated 9-1-1981 with the Sub Registrar, Ambala.

G.S. GOPALA
Competent Authortiy
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 16-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 16th September 1981

Ref. No. PNP/116/80-81—Whereas, I, G.S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shop No. 320-322 Ward No. 5, Main Bazar, Panipat.

Situated at Panipat.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Panipat in January, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to following persons namely :—

30—296GI/81

(1) Sh. Mangat Ram S/o Gobind Ram, H. No. 2 Ward No. 3, Panipat. (Transferor)

(2) Smt Lala Wati W/o Sh. Om Parkash R/o H. No. 264 Ward No. 1, Panipat. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being shop No. 320 to 322 Ward No. 5, Main Bazar, Panipat and as mentioned in the sale deed registered at No. 4638 dated 20-1-1981 with the Sub-Registrar, Panipat.

G.S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date : 16-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 16th September, 1981

Ref. No. BGR/238/80-81—Whereas I, G.S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No. Plot No.10 Block-A sector-11, situated at Faridabad
(and more fully described in the Schedule anuexed hereto) has been transfered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 in the office of the Registering Officer at
Ballabgarh in Jan. 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mathura Lal S/o Sh. Roop Ram
Shri Rang Lal S/o Savlia,
Model Town, Faridabad.

(Transferor)

(2) Shri Gulshan Lal Vohra S/o
Shri Bal Mukand &
Smt. Meena Vohra W/o
Shri Gulshan Lal Vohra,
R/o 1848 Sector 22-B,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being plot No. 10 Block-A, Sector 11, Faridabad measuring 1000 sq. yards and as more mentioned in the sale deed registered at No. 10288 dated 15-1-1981 with the Sub Registrar, Ballabgarh.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 16-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 16th September, 1981

Ref. No. BGR/233/80-81—Whereas, I G.S. GOPALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. Industrial Plot No. 92 area 1741 sq. yards, DLF Industrial Estate No. 1, Faridabad situated at Faridabad. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ballabgarh in Jan. 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shiv Lal Adhlakha S/o Sh. Ganga Ram, Prop. M/s Textile House Ajamalkha Road, Karol Bagh, New-Delhi.

(Transferor)

(2) M/s, Mahajan & Co. through Sh. N. K. Mahajan, R/o 181, Sector 15, Faridabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being Industrial plot No. 92 area 1741 sq. yards situated in Industrial Estate No. 1, Faridabad and as more mentioned in the sale deed registered at No. 10176 dated 14-1-918 with the Sub Registrar, Ballabgarh.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Rohtak,

Date : 16-9-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 16th September 1981

Ref. No. BGR/20/81-82 Whereas, I G.S. GOPALA being the competent authority under section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shop at Main Bazar, situated at Faridabad.

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ballabgarh April, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the tansferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfeee for the 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Raj Kumar Gupta S/o Shri Rama Nand, R/o Old Faridabad.

(Transferor)

(2) Shri Datta Ram S/o Sh. Bdhu Ram Hans, R/o H. No. 104, Sector 18-A, Old Faridabad (Naryana)

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the *Official Gazette*.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being shop at Main Bazar Old, Faridabad and as more mentioned in the sale deed registered at No. 1292 dated 28-4-1981 with the Sub Registrar, Ballabgarh.

G.S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 16-9-1981

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQISITION RANGE-II MADRAS

Madras, the 17th September, 1981

Ref. No. 11324—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. TS 12/186/1, Sanganur, situated at Sanganur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 90/81) on January 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) R. Sundararaman,
15, Raja Annamalai Chettiar Road,
Bharathi Park, Road, Coimbatore
(Transferor)

(2) C. R. Krishnaswamy,
K. Balachandran, K. Samboth, K. Muralidharan
16/34, Krishnaswamy Mudaliar Road, Coimbatore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the sae meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at TS 12/186/1, Sanganur Coimbatore, (15, Bharathi Park Road) (Doc. 90/81)

RADHA BALKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range -II, Madras-600009

Date : 17th September 1981
Seal :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

COMBINED DEFENCE SERVICES EXAMINATION MAY, 1982

New Delhi, the 24th October 1981

No. F8/4/81-EI(B).—A combined Defence Services Examination will be held by the Union Public Service Commission commencing from 9th May, 1982 for admission to the undermentioned courses :—

Name of the Course and Approximate No. of Vacancies

(1) Indian Military Academy, Dehra Dun (74th Course commencing in January, 1983) . . 120
[Includes 32 vacancies reserved for NCC 'C' Certificate (Army Wing) holders].

(2) Naval Academy, Cochin (Course commencing in January, 1983) . . . 55
[20 for Naval Aviation and 35 for General Services including 6 reserved for NCC 'C' Certificate (Naval Wing holders] .

(3) Air Force Academy AFAC, Coimbatore [Pre-Flying Training Course for 133rd F(P) Course commencing January, 1983] 50
[Includes 15 reserved for NCC 'C' Certificate (Air Wing) holders].

(4) Officers' Training School Madras (37th course commencing in May, 1983) 268

N.B. (i)—A candidate is required to specify clearly in Col. 8(b) of the Application Form the Services for which he wishes to be considered in the order of his preference. He is also advised to indicate as many preferences as he wishes to, so that having regard to his rank in the order of merit, due consideration can be given to his preferences when making appointments.

N.B. (ii).—The left-over candidates of the IMA Course for grant of Permanent Commission of this examination will be considered for grant of SSC(NT) on the basis of this examination even if they have not indicated their choice for this course in their applications, if they are subsequently willing to be considered for this Course, subject to the following conditions :—

(i) There is a shortfall after detailing all the candidates who completed for the SSC(NT) Course; and

(ii) The candidates who are detailed for training even though they have not expressed their preference for SSC (NT) may be placed in the order of Merit List after the last candidate who had opted for this Course, as these candidates will be getting admission to the Course to which they are not entitled according to the preferences expressed by them.

Note I : NCC 'C' Certificate (Army Wing)/(Senior Division Air Wing) holders may also complete for the vacancies in the Naval Academy and Short Service Commission (Non-Technical) Courses, but since there is no reservation of vacancies for them in these courses, they will be treated as general candidates for the purpose of filling up vacancies in these Courses. Candidates who have yet to pass NCC 'C' Certificate (Army Wing/Senior Division Air Wing) examination, but are otherwise eligible to compete for the reserved vacancies, may also apply but they will be required to submit the proof of passing the NCC 'C' Certificate (Army Wing/(Senior Division Air Wing) examination to reach the Army HQ/ Rtg 6 (SP)(c), New Delhi-110022 in case of IMA/ SSC(NT) first choice candidates and Naval HQ/ R&R, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in case of Navy first choice candidates and Air HQ/PO-3, Vayu Bhawan, New Delhi-110011 in case of Air Force first choice candidates by 31st December, 1982.

To be eligible to compete for reserved vacancies the candidate should have served for not less than 2 academic years in the Senior Division Army Wing/ 3 academic years in the Senior Division Air Wing of National Cadet Corps and should not have been discharged from the NCC for more than 12 months on the last date for receipt of application in the Commission's Office.

Note II : In the event of sufficient number of qualified NCC 'C' Certificate (Army Wing/Senior Division Air Wing) holders not becoming available on the results of the examination to fill all the vacancies reserved for them in the Indian Military Academy Course/ Air Force Academy Course the unfilled reserved vacancies shall be treated as unreserved and filled by general candidates.

Admission to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by a Services Selection Board, of candidates who qualify in the written examination. The details regarding the (a) scheme, standard and syllabus of the examination, (b) physical standards for admission to the Academy/School, and (c) brief particulars of service etc. for candidate joining the Indian Military Academy, Naval Academy, Air Force Academy and Officers' Training School are given in Appendices I, II and III respectively.

NOTE :—THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS OF THE EXAMINATION WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. FOR DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS, PLEASE SEE CANDIDATES' INFORMATION MANUAL AT APPENDIX V.

2. *CENTRES OF EXAMINATION.*—Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Cuttack, Delhi, Dispur (Gauhati), Hyderabad, Imphal, Itanagar, Jaipur, Jammu, Jorhat, Kohima, Lucknow, Madras, Nagpur, Panaji (Goa), Patna, Port Blair, Shillong, Simla, Srinagar and Trivandrum.

THE CENTRES AND THE DATES OF HOLDING THE EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE COMMISSION. WHILE EVERY EFFORT WILL BE MADE TO ALLOT THE CANDIDATES TO THE CENTRE OF THEIR CHOICE FOR EXAMINATION, THE COMMISSION MAY, AT THEIR DISCRETION, ALLOT A DIFFERENT CENTRE TO A CANDIDATE, WHEN CIRCUMSTANCES SO WARRANT. CANDIDATES ADMITTED TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED OF THE TIME TABLE AND PLACE OR PLACES OF EXAMINATION (See para 11 below).

Candidates should note that no request for change of centre will normally be granted. When a candidate, however, desires a change in centre, from the one he had indicated in his application form for the Examination, he must send a letter addressed to the Secretary, Union Public Service Commission by registered post, giving full justification as to why he desires a change in centre. Such requests will be considered on merits but requests received after 1st April, 1982 will not be entertained under any circumstances.

3. *CONDITIONS OF ELIGIBILITY*

(a) *Nationality*

A candidate must either be—

(i) a citize of India, or

(ii) a subject of Bhutan,

(iii) a subject of Nepal, or

(iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India or

(v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lank and East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will, not however, be necessary, in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also be provisionally admitted to the Academy or School, as the case may be, subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

(b) *Age limits, sex and marital status* :—

(i) For I.M.A., Naval and Air Force Academy—Unmarried male candidates born not earlier than 2nd January, 1961 and not later than 1st January, 1964 are only eligible.

(ii) For Officers's Training School—Male candidates (married or unmarried) born not earlier than 2nd January, 1960 and not later than 1st January, 1964 are only eligible.

NOTE :—Date of birth as recorded in Matriculation/Higher Secondary or equivalent examination certificate will only be accepted.

Candidates with first choice of IMA/Navy and Air Force are to submit proof of age (original) while reporting for SSB interview for the purposes of verification by the Selection Staff.

(c) *Educational qualifications* :—

(i) For I.M.A. Naval Academy and Officers' Training School :—Degree of a recognised University or equivalent.

(ii) For Air Force Academy :—Degree of a recognised University or equivalent with Physics and/or Mathematics, as subject(s).

Graduates with first choice as Navy/Air Force are to submit proof of graduation provisional certificates within two weeks of completion of SSB interview, to Army HQ [Rtg. 6 SP (e)]NHQ(R&R Section)/Air HQ-PO3A respectively.

Candidates who have yet to pass the degree examination can also apply but they will be required to submit proof of passing the degree examination to reach the Army HQ/Rtg 6(SP) (e), New Delhi-110022 in case of IMA/SSC(NT) first choice candidates and Naval HQ/R&R, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in case of Navy fist choice candidates and Air HQ/PO-3, Vayu Bhawan, New Delhi-110011 in case of Air Force first choice candidates by the following date failing which their candidature will stand cancelled :—

(i) For admission to IMA, Naval and Air Force Academy on or before 31st December, 1982. Those candidates whose Degree results are not declared by this date will be permitted, as a special case, to submit their certificates to reach respective HQrs. by 10th January, 1983.

(ii) For admission to Officers Training School Madras on or before 30th April, 1983. Those candidates whose Degree results are not declared by this date will be permitted, as a special case, to submit their certificates to reach Army HQrs. latest by 15th May, 1983.

Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by Government as equivatent to professional and technical degrees would also be eligible for admission to the examination.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which, in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE I : Those candidates who have yet to qualify in he Degree Examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the Degree examination by the prescribed date and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of basic qualifying University Examination, delay in declaration of results or any other ground whatsoever.

NOTE II : Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of Commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

NOTE III : Naval Sailors (including boys and artificer apprentices) except Special Service Sailors having less than 6 months to complete their engagements are not eligible to take this examination. Applications from Special Service Sailors having less than six months to complete their engagements will be entertained only if these have been duly recommended by their Commanding Officers.

4. *FEE TO BE PAID WITH THE APPLICATION.*— Rs. 28/- (Rupees Twenty-eight) [Rs. 7/- (Rupees Seven) for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates]. Applications not accompanied by the prescribed fee will be summarily rejected.

5. *REMISSION OF FEE.*—The Commission may, at their discretion, remit the prescribed fee where they are satisfied that the applicant is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and has migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971 or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma who migrated to India on or after 1st June, 1963 or is a *bona fide* repariate of Indian origin from Sri Lanka who migrated to India on or after 1st November, 1964 or is a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964 and is not in a position to pay the prescribed fee.

6. *HOW TO APPLY.*—Only printed application on the form prescribed for the Combined Defence Services Examination May, 1982 appended to the Notice will be entertained. Completed applications should be sent to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011. Application forms and full particulars of the examination can be had from the following sources :—

(i) By post from Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011 by remitting Rs. 2/- (Rupees Two) by Money Order or by crossed Indian Postal Order payable to Secretary, U.P.S.C. at New Delhi G.P.O.

(ii) On cash payment of Rs. 2/- (Rupees Two) at the counter in the Commission's office.

(iii) Free of charge from nearest Recruiting Office, Military Area/Sub-Area Headquarters, N.C.C. Directorates, Naval and Air Force Establishments.

The application form, and the acknowledgement card must be completed in the candidate's own handwriting in ink or with ball point pen. All entries/answers should be in words and not by dashes or dots. An application which is incomplete or is wrongly filled in will be rejected.

Candidates should note that only International form of Indian numerals are to be used while filling up the application form. They should take special care that the entries made in the application form should be clear and legible. In case there are any illegible or misleading entries, the candidates will be responsible for the confusion and the ambiguity caused in interpreting such entries.

Candidates should further note that no correspondence will be entertained by the Commission from them to change any of the entries made in the application form. They should, therefore, take special care to fill up the application form correctly.

All candidates whether already in Government service or in Government owned industrial undertakings or other similar organisations or in private employment should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application even if submitted to the employer before the closing date, will not be considered.

Persons already in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under the Public Enterprises are, however, required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

A candidate serving in the Armed Forces must submit his application through his Commanding Officer who will complete the endorsement (vide Section 'B' of the application form) and forward it to the Commission.

7. The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011 by post or by personal delivery at the counter on or before the 21st December, 1981 (4th January, 1982 in the case of candidates residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Andman and Nicobar Islands or Lakshadweep and for candidates residing abroad from a date prior to 21st December, 1981, and whose applications are received by post from one of the areas mentioned above) accompanied by necessary documents. *No application received after the prescribed date will be considered.*

A candidate residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep and a candidate residing abroad may at the discretion of the Commission be required to furnish documentary evidence to show that he was residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad from a date prior to 21st December, 1981.

NOTE (i) Candidates who are from areas entitled to additional time for submission of applications should also clearly indicate in their addresses in the relevant Column of the application the name of the

particular area or region entitled to additional time (e.g. Assam, Meghalaya, Ladakh Division of J&K State, etc.) otherwise they may not get the benefit of additional time.

(i) Fee of Rs 28/- (Rupees Twenty-eight) [Rs 7/- tions by hand at the UPSC counter or send it by Registered Post. The Commission will not be responsible for the applications delivered to any other functionary of the Commission.

8. *DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION.*

(A) *By all candidates* : —

(i) Fee of Rs. 28/- (Rupees Twenty-eight) [Rs. 7/- (Rupees Seven) for Scheduled Castes/ Tribes candidates] through crossed Indian Postal Orders payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the New Delhi General Post Office or crossed Bank Draft from any branch of the State Bank of India payable to the Secretary Union Public Service Commission at the State Bank of India, Main Branch, New Delhi.

NOTE :—Candidates should write their name and address on the reverse of the Bank Draft at the top at the time of submission of their applications. In the case of Postal Orders the name and address should be written by the candidates on the reverse of the Postal Orders at the space provided for the purpose.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative abroad as the case may be for credit to the account Head "051 Public Service Commission—examination fee' and the receipt attached with the application.

(ii) Certificate of age—

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent examination may submit an attested/certified copy of the Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate.

No other document relating to age like horoscopes affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth, or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases, a candidate must send in addition to the attested/certified copy of the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate, an attested/certified copy of a certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he passed the Matriculation/Higher Secondary Examination, showing the date of his birth or his exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with an application, the application will be rejected.

NOTE 1 :—A CANDIDATE WHO HOLDS A COMPLETED SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE NEED SUBMIT ONLY AN ATTESTED/CERTIFIED COPY OF THE PAGE CONTAINING ENTRIES RELATING TO AGE.

NOTE 2:—CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONLY THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN THE MATRICULATION/HIGHER SECONDARY EXAMINATION CERTIFICATE OR AN EQUIVALENT CERTIFICATE ON THE DATE OF SUBMISSION OF APPLICATION WILL BE ACCEPTED BY THE COMMISSION, AND NO SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS CHANGE WILL BE CONSIDERED OR GRANTED.

NOTE 3 :—CANDIDATES SHOULD ALSO NOTE THAT ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED BY THEM AND ENTERED IN THE RECORDS OF THE COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO AN EXAMINATION, NO CHANGE WILL BE ALLOWED SUBSEQUENTLY OR AT A SUBSEQUENT EXAMINATION.

(iii) Attested/certified copy of certificate of educational qualification.

A candidate must submit an attested/certified copy of a certificate showing that he has one of the qualifications prescribed in para 3(c) or is likely to acquire it so as to be able to submit proof of passing it by the date prescribed in para 3(c). The certificate submitted must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification. If an attested/certified copy of such a certificate is not submitted, the candidate must explain its absence and submit such other evidence as he can to support his claim to the requisite qualification. The Commission will consider this evidence on its merits but do not bind themselves to accept it as sufficient.

If the attested/certified copy of the University Certificate of passing the degree or equivalent examination submitted by a candidate competing for the Air Force Academy in support of his educational qualifications does not indicate the subjects of the examination, an attested/certified copy of a certificate from the Principal/Head of Department showing that he has passed the qualifying examination with one or more of the subjects specified in para 3(c)(ii) must be submitted in addition to the attested/certified copy of University Certificate.

(iv) Attendance sheet (attached with the application form) duly filled.

(v) Two identical copies of recent passport size (5 cm. × 7 cm. approx) photograph of the candidate duly signed on the front side.

One Copy of the photograph should be pasted on the first page of the application form and the other copy on the Attendance Sheet in the space provided therein.

(vi) Two self-addressed unstamped envelopes of size approximately 11.5 cms. × 27.5 cms.

(B) *By Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates* :—

Attested/certified copy of certificate in the form given in Appendix IV from any of the competent authorities (mentioned under the certificate) of the District in which he or his parents (or surviving parent) ordinarily reside, in support of claim to belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe.

(C) *By candidates claiming remission of fee* :—

(i) An attested/certified copy of a certificate from a District Officer or a Gazetted Officer or a Member of Parliament or State Legislature certifying that he is not in a position to pay the prescribed fee.

(ii) An attested/certified copy of a certificate from the following authorities in support of the claim to be a *bona fide* displayed person/repatriate :—

(A) *Displaced person from erstwhile East Pakistan* :

(i) Camp Commandant of the Transit Centres of the Dandakaranya Project or of Relief Camps in various States.

OR

(ii) District Magistrate of the area in which he may for the time being, be resident.

OR

(iii) Additional District Magistrate in charge of Refugee Rehabilitation in his district.

OR

(iv) Sub-Divisional Officer within the sub-division in his charge.

OR

(v) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West Bengal/Director (Rehabilitation) in Calcutta.

(b) *Repatriates from Sri Lanka*:

High Commission for India in Sri Lanka.

(c) *Repatriate from Burma* :

Embassy of India, Rangoon or District Magistrate of the area in which he may be resident.

(D) *By NCC 'C' Certificate (Army Wing)/(Senior Division Air Wing) holders competing for the vacancies reserved for them in the I.M.A. and Air Force Academy Course.*

An attested/certified copy of a certificate to show that he is a NCC 'C' Certificate (Army Wing)/(Senior Division Air Wing) holder or a certificate to the effect that he is appearing or has appeared in the N.C.C. 'C' Certificate (Army Wing/ Senior Division Air Wing) examination.

NOTE :—CANDIDATES ARE REQUIRED TO SIGN THE ATTESTED/CERTIFIED COPIES OF ALL THE CERTIFICATES SENT ALONG WITH THE APPLICATION FORM AND ALSO TO PUT THE DATE.

9. *REFUND OF FEE.*—No refund of fee paid to the Commission with the application will be made except in the following cases nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection :—

(i) A refund of Rs. 15/- (Rupees fifteen) [Rs. 4/- (Rupees four) in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes] will be made to a candidate who has paid the prescribed fee and is not admitted to the examination by the Commission. If, however, an application is rejected on receipt of information that the candidate has failed in the degree examination or will not be able to submit the proof of passing the degree examination by the prescribed date, on refund of fee will be made to that candidate.

(ii) A refund of Rs. 28/- (Rupees Twenty-eight) [Rs. 7/- (Rupees seven) in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes] will be made in the case of a candidate who took the Combined Defence Services Examination November, 1981, and is recommended for admission to any of the courses on the results of that Examination provided his request for cancellation of candidature for the Combined Defence Services Examination May, 1982, and refund of fee is received in the office of the Commission on or before 15th October, 1982.

10. *ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS*—Every application including late ones, received in the Commission's Office is acknowledged and Application Registration No. is issued to the candidate in token of receipt of his application. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a month from the last date prescribed for receipt of applications for the examination, he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

The fact that the Application Registration No. has been issued to the candidate does not, *ipso-facto*, mean that the application is complete in all respects and has been accepted by the Commission.

11. *RESULT OF APPLICATION.*—If a candidate does not receive from the Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination he should at once contact the Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

12. *ADMISSION TO THE EXAMINATION.*—The decision of the Union Public Service Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate shall be final. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. *ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT.*—Candidates are warned that they should not furnish particulars that are false or suppress any material in the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more much documents or their attested/certified copies, an explanation regarding the discrepancy should be submitted

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregong clauses may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the Examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them; and

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this paragraph shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed, to him, into consideration.

14. *ORIGINAL CERTIFICATES—SUBMISSION OF*—Only those candidates who qualify in the SSB interview are required to submit their original certificates in support of their age and educational qualifications etc. to Army HQ/Rtg. 6(SP) (e), New Delhi-110022 in case of IMA/SSC (NT) first choice candidates and Naval HQ/R&R, Sena Bhawan New Dedhi-110011 in case of Navy first choice candidates and Air HQ/PO-3, Vayu Bhavan, New Delhi-110001, in case of Air Force first choice candidates within two weeks of completion of SSB interview and not later than 31st December, 1982. Certified true copies or photostat copies of the certificates will not be accepted in any case.

15. *COMMUNICATION REGARDING APPLICATIONS.*—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, NEW DELHI-110011 AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS :—

(1) NAME OF EXAMINATION

(2) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION

(3) APPLICATION REGISTRATION NUMBER/ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OR CANDIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICATED

(4) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS)

(5) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

N.B. (i)—COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

N.B. (ii)—IF A LETTER COMMUNICATION IS RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN EXAMINATION HAS BEEN HELD AND IT DOES NOT GIVE HIS FULL NAME AND ROLL NUMBER, IT WILL BE IGNORED AND NO ACTION WILL BE TAKEN THEREON.

16. *CHANGE OF ADDRESS.*—A candidate must see that communications sent to him at the address stated in his application are redirected, if necessary. Change in address should be communicated to the Commission at the earliest opportunity giving the particulars mentioned in paragraph 15 above.

CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMISSION FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLICATIONS FOR THE EXAMINATION SHOULD IMMEDIATELY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO ARMY HEADQUARTERS, A.G.'s BRANCH RTG. 6(SP) (e)(ii), WEST BLOCK 3, WING 1, RAMAKRISHNAPURAM, NEW DELHI-110022, AND AIR HQ(PO3) VAYU BHAWAN, NEW DELHI-110011, FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTERS FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD.

Although the authorities make every effort to take account of such changes they cannot accept any responsibility in the matter.

17. *ENQUIRIES ABOUT INTERVIEW OF CANDIDATES QUALIFYING IN THE WRITTEN EXAMINATION.*—Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board, should address enquiries or requests, if any, relating to their interview direct to the Army Headquarters. AG's Branch, RTG 6(SP)(e)(ii), West Block 3, Wing 1, Ramakrishnapuram, New Delhi-110022 and Air Headquarters (PO3) Vayu Bhavan, New Delhi-110011 in the case of Air Force candidates.

Candidates are required to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up letter for interview. Request for postponing interview will only be considered in very genuine circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army HQ Air Headquarters will be the sole deciding authority.

The candidates called for SSB interview at different Services Selection Centres will bring with them the following articles :

(a) Passport size photographs in white shirt—6 Nos.

(b) Bedding and blankets (according to season).

(c) Two pairs of white shirts and shorts.

(a) A pair of white P1 shoes and two pairs of white socks.

(e) Two pairs of trousers and shirts.

(f) Fountain Pen, ink and pencils.

(g) Boot polish and white blanco.

(h) One mosquito net.

18. *ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSE OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES.*—The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission in their discretion. Such candidates shall appear before a Services Selection Board for Intelligence and Personality Tests simultaneously for all the entries for which they have qualified.

Candidates who qualify in the written examination for IMA (D.E.) Course and/or Navy (S.E.) Course and/or Air Force Academy Course irrespective of whether they have also qualified for SSC (NT) Course or not, will be detailed for S.S.B. tests in September/October, 1982 and candidates who quality for SSC (NT) Course only will be detailed for SSB tests in December, 1982/January, 1983.

Candidates will appear before the Services Selection Board and undergo the tests thereat at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Candidates will be required to sign a certificate to this effect on the form appended to the application.

To be acceptable, candidates should secure the minimum qualifying marks separately in (i) written examination and (ii) S.S.B. tests as fixed by the Commission in their discretion. The candidates will be placed in the order of merit on the basis of the total marks secured by them in the written examination and in the S.S.B. tests. The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success at the examination confers no right of admission to the Indian Military Academy, the Naval Academy, Air Force Academy or the Officers' Training School as the case may be. The final selection will be made in order of merit subject to medical fitness and suitability in all other respects and number of vacancies available.

19. *DISQUALIFICATIONS FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE.*—Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, Indian Military Academy, Air Force Flying College, Naval Academy, Cochin Officers' Training School, Madras but were removed therefrom on disciplinary grounds will not be considered for admission to the Indian Military Academy, Naval Academy, Air Force Academy or for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the Indian Military Academy for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

Candidates who were previously selected as Special Entry Naval Cadets but were withdrawn from the National Defence Academy or from Naval Training Establishments for lack of Officer-like qualities will not be eligible for admission to the Indian Navy.

Candidates who were withdrawn from Indian Military Academy, Officers' Training School, N.C.C. and Graduate Course for lack of Officer-like qualities will not be considered for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the N.C.C. and Graduates Course for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

20. *RESTRICTIONS ON MARRIAGE DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY.*—Candidates for the Indian Military Academy Course or Naval Academy Course, or Air Force Academy Course must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application, though successful at this or any subsequent examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government.

No candidate for the Short Service Commission (N.T.) Course—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for admission to the Officers' Training School/grant of Short Service Commission.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

21. *OTHER RESTRICTIONS DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY.*—After admission to the Indian Military Academy or the Naval Academy or the Air Force Academy candidates will not be considered for any other Commission. They will also not be permitted to appear for any interview or examination after they have been finally selected for training in the Indian Military Academy, or the Naval Academy or the Air Force Academy.

22. *INTELLIGENCE TEST—INFORMATION ABOUT.*—The Ministry of Defence (Directorate of Psychological Research) have published a book with the title "A Study of Intelligence Test Scores of candidates at Services Selection Boards". The purpose of publishing this book is that the candidates should familiarise themselves with the type of Intelligence Tests they are given at the Services Selection Boards.

The book is priced publication and is on sale with Controller of Publications, Civil Lines, Delhi-110054 and may be obtained from him direct by Mail Orders or on cash payment. This can also be obtained only against cash payment from (i) Kitab Mahal, opposite Rivoli Cinema, Emporia Building, 'C' Block, Baba Kharag Singh Marg, New Delhi-110001, (ii) Sale counter of the Publication Branch at Udyog Bhawan, New Delhi-110001, and (iii) the Government of India Book Depot, 8, K. S. Roy Road, Calcutta-700001.

VINAY JHA,
Joint Secretary

APPENDIX I

(The scheme, standard and syllabus of the examination)

A. SCHEME OF THE EXAMINATION

1. The Competitive examination comprises :—

(a) Written examination as shown in para 2 below :

(b) Interview for intelligence and personality test (*vide* Part 'B' of this Appendix) of such candidates as may be called for interview at one of the Services Selection Centres.

2. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :—

(a) *For admission to Indian Military Academy :*

Subject	Duration	Maximum Marks
1. English	2 Hours	100
2. General Knowledge	2 Hours	100
3. Elementary Mathematics	2 Hours	100

(b) *For Admission to Naval Academy*

Subject	Time allowed	Maximum Marks
COMPULSORY		
1. English	2 Hrs.	100
2. General Knowledge	2 Hrs.	100
OPTIOANL		
*3. Elementary Mathematics or Elementary Physics	2 Hrs.	100
*4. Mathematics or Physics	2 Hrs.	150

*Candidates offering Elementary Mathematics will take Physics as their 4th paper and Candidates offering Elementary Physics will take Mathematics as their 4th paper.

(c) *For Admission to Officers' Training School :*

Subject	Time allowed	Maximum Marks
1. English	2 Hours	100
2. General Knowledge	2 Hours	100

(d) *For Admission to Air Force Academy .*

Subject	Duration	Maximum Marks
1. English	2 Hours	100
2. General Knowledge	2 Hours	100
3. Elementary Mathematics	2 Hours	100
4. Mathematics or Physics	2 Hours	150

The maximum marks allotted to the written examination and to the Interviews will be equal for each course i.e. the maximum marks allotted to the written examination and to the Interviews will be 300, 450, 200 and 450 each for admission to the Indian Military Academy, Naval Academy, Officers' Training School and Air Force Academy.

3. THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. FOR DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS, PLEASE SEE CANDIDATES' INFORMATION MANUAL AT APPENDIX V.

4. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of Weights and Measures only will be set.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

7. The candidates are not permitted to use calculators, for answering objective type papers (Test Booklets). They should not therefore, bring the same inside the examination hall.

B. STANDARD AND SYLLABUS OF THE EXAMINATION

STANDARD

The standard of the paper in Elementary Mathematics will be of Matriculation Examination and that of Elementary Physics will be of Higher Secondary Examination

The standard of papers in other subjects will approximately be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

There will be no practical examination in any of the subjects.

SYLLABUS

ENGLISH (Code No. 01)

The question paper will be designed to test the candidate's understanding of English and workmanlike use of words.

GENERAL KNOWLEDGE (Code No. 02)

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

ELEMENTARY MATHEMATICS (Code No. 03)

Arithmetic

Number System—Natural numbers, Integers, Rational and Real numbers. Fundamental operations addition subtraction, multiplication, division, Square roots, Decimal fractions.

Unitary method—time and distance, time and work, percentages—applications to simple and compound interest, profit and loss. Ratio and proportion, variation.

Elementary Number Theory—Division algorithm. Prime and composite numbers. Tests of divisibility by 2, 3, 4, 5, 9 and 11 Multiples and factors. Factorisation Theorem, H.C.F. and L.C.M. Euclidean algorithm.

Logarithms to base 10, laws of logarithms, use of logarithmic tables.

Algebra

Basic Operations: simple factors, Remainder Theorem, H.C.F., L.C.M. Theory of polynomials, Solutions of quadratic equations relation between its roots and coefficients. (Only real roots to be considered). Simultaneous linear equations in two unknowns—analytical and graphical solutions. Simultaneous linear inequations in two variables and their solutions. Practical problems leading to two simultaneous linear equations or inequations in two variables or quadratic equations in one variable and their solutions. Set language and set notation. Rational expressions and conditional identities. Laws of Indices.

Trigonometry

Sine X, Cosine X, Tangent X when $0° \leqslant \leqslant 90°$.

Values of sin x, cos x and tan x, for x=0°, 30°, 45°, 60° and 90°,

Simple trigonometric identities.

Use of trigonometric tables.

Simple cases of heights and distances.

Geometry

Lines and angles, Plane and plane figures. Theorems on (i) Properties of angles at a point, (ii) Parallel lines, (iii) Sides and angles of a triangle, (iv) Congruency of triangles, (v) Similar triangles, (vi) Concurrence of medians and altitudes, (vii) Properties of angles, sides and diagonals of a parallelogram, rectangle and square, (viii) Circle and its properties including tangents and normals, (ix) Loci.

Mensuration

Areas of squares, rectangles, parallelograms, triangle and circle. Areas of figures which can be split up into these figures (Field Book) Surface area and volume of cuboids, lateral surface and volume of right circular cones and cylinders. Surface area and volume of spheres.

Statistics

Collection and tabulation of statistical data. Graphical representation—frequency polygons, histograms, bar charts, pie charts etc.

Measures of central tendency.

ELEMENTARY PHYSICS (Code No. 05)

(a) *Mensuration.*—Units of measurement; CGS and MKS units. Scalers and vectors. Composition and resolution of forces and velocities. Uniform acceleration. Rectilinear motion under uniform acceleration. Newton s Laws of Motion, concept of Force. Units of Force. Mass and weight.

(b) *Mechanics of Solids.*—Motion under gravity. Parallel forces. Centre of Gravity. States of equilibrium. Simple Machines Velocity Ratio. Various simple machines including inclined plane. Screw and Gears. Friction angle of friction, coefficient of friction. Work, Power and energy, Potential and kinetic energy.

(c) *Properties of fluids.*—Pressure and Thrust. Pascal's Law. Archimedes principle. Density and Specific gravity. Application of the Archimedes principle for the determination of specific gravities of solids and liquids. Laws of flotation. Measurement of pressure exerted by a gas. Boyle's Law. Air pumps.

(d) *Heat.*—Linear expansion of solids and cubical expansion of liquids. Real and apparent expansion of liquids. Charles Law. Absolute Zero; Boyles and Charles Law, specific heat of solids and liquids: calorimetry. Transmission of heat; Conductivity of metals. Change of State. Latent heat of fusion and vaporization. SVP humidity, dew point and relative humidity.

(e) *Light.*—Rectilinear propagation. Laws of reflection, spherical mirrors; Refraction, laws of refraction, Lenses, Optical instruments, camera, projector, epidiascope, telescope, Microscope, binocular & periscope. Refraction through a prism, dispersion.

(f) *Sound.*—Tranamission of sound; Reflection of sound, resonance. Recording of sound-gramophone.

(g) *Magnetism & Electricity.*—Laws of Magnetism. Magnetic field. Magnetic lines of force, Terrestrial Magnetism, Conductors and insulators. Ohm's Law. P. D. Resistances EMF (Resistances in series and parallel). Potentiometer, Comparison of EMF's Magnetic effect of an electric current; A conductor in a magnetic field. Fleming's left hand rule. Measuring instruments—Galvanometer, Ammeter, Voltmeter, Wattmeter, chemical effect of an electric current, electroplating; Electromagnetic induction. Faraday's Laws; Basic C & DC-generator.

PHYSICS (Code No. 06)

1. *General properties of matter and mechanics*

Units and dimensions, scalar and vector quantities; Moment of Inertia, Work, energy and momentum. Fundamental laws a mechanics; rotational motion gravitation. Simple, harmonic motions, simple and compound pendulum. Elasticity, Surface tension; Viscosity of liquids. Rotary pump.

2. *Sound*

Damped, forced and free virations. Wave motion. Doppler effect, velocity of sound waves; effects of pressure temperature and humidity on velocity of sound in a gas. Vibration of strings, membranes and gas columns. Resonance, beats; Stationary waves. Measurement of frequency, velocity and intensity of sound. Elements of ultra sonics. Elementary principles of gramophone, talkies and loudspeakers.

3. *Heat and Thermodynamics*

Temperature and its measurement; thermal expansion; Isothermal and adiabatic changes in gases Specific heat and thermal conductivity; Elements of the kinetic theory of matter; Physical ideas of Boltzmann's distribution law; vander wall's equation of state; Joule Thompson effect; liquefaction of gases; Heat engines; Carnot's theorem; Laws of thermodynamics and simple applications. Black body radiation.

4. *Light*

Geometrial optics. Velocity of light. Reflection and refraction of light at plane and spherical surfaces. Spherical and chromatic defects in optical images and their correction. Eye and ohter optical instruments. Wave theory of light, interference.

Electricity and Magnetism

Energy due to a field: Electrical and magnetic properties of matter: Hysteresis permeability and susceptibility: Magnetic field due to electrical curent; Moving magnet and moving coil galvanometers Measurement of current and resistance; Properties of reactive circuit elements and their determination. thermoelectric effect; Electromagnetic induction; Production of alternating currents. Transformers and motors; Electronic valves and their simple applications.

6. *Modern Physics*

Elements of Bohr's theory of atom Electrons Discharge of Electricity through gases; Cathode Rays and X-rays Radioactivity Artificial radioactivity, Isotopes. Elementary ideas of fission and fusion.

MATHEMATICS (Code No. 04)

1. *Algebra*

Algebra of Sets, relations and functions; inverse of functions; composite function; equivalence relation; De Movire's theorem for rational index and its simple applicatitons.

2. *Matrices*

Algebra of Matrices, determinants, simple properties of determinants, product of determinants; adjoint of a matrix; inversion of matrices, rank of a matrix. Application of matrices to the solution of linear equvations (in three dimensions).

8 *Analytical Geometry*

Analytical Geometry of two dimensions

Straight lines, pair of straight lines, circles, systems of circles, ellipse, parabola, hyperbola (referred to principal axis). Reduction of a second degree equation to standard form. Tangents and normals.

Analytical Geometry of three dimensions

Planes, straight lines and spheres (Cartesian co-ordinate only).

4. *Calculus and Differential Equation*

Differential calculus—Concept of limit, continuity and differentiability of a function of one real variable, derivative of standard functions, successive differentiation Rolle's theorem. Mean value theorem; Maclaurin and Taylor series (proof not needed) and their applications; Binomial expansion for rational index, expansion of exponential, logarithmic trigonometrical and hyperbolic functions. Indeterminate forms Maxima and Minima of a function of a single variable. geometrical applications such as tangent, normal, subtangent, subnormal, asympotic curvature (cartesian co-ordinates only). Envelope : Partial differentiation. Euler's theorem for homogeneous functions.

Integral calculus—Standard methods of integration. Reimann definition of definite intergral of continuous functions. Fundamental theorem of integral calculus. Rectification, quadrature, volumes and surface area of solids of revolution. Simpsons rule for numerical integration.

Differential equations—Solution of standard first order differential equations. Solution of second and higher order linear differential equations with constant coefficients. Simple application of problems on growth and decay, simple harmonic motion. Simple pendulum and the like.

5. *Mechanics (Vector methods may be used)*

Statics.—Conditions of equilibrium or coplanar and concurrent forces. Moments. Couples. Centre of gravity of simple bodies. Friction, Static and limiting friction, angle of friction, equilibrium of a particle on a rough inclined plane. Virtual work (two dimensions).

Dynamics.—Kinematics Displacement, speed velocity and accleration of a particle; relative velocity. Motion in a straight line under constant acceleration Newtons laws of motion. Central Orbits. Simple harmonic motion. Motion under gravity (in vacuum). Impulse work and energy. Conservation of energy and linear momentum. Uniform circular Motion.

6. *Statistics.*—Probability—Classical and statsitical definition of probability, calculation of probability of combinatorial methods, addition and multiplication theorems, conditional probability. Random variables (discrete and continuous), density function. Mathematical expectation.

Standard distribution—Binomial distribution, definition, mean and variance, skewness, limiting from simple application; Poisson distribution—definition, mean and variance additive property fitting of Poisson distribution to given data. Normal distribution, simple properties and simple applications, fitting a normal distribution to given data.

Bivariate distribution—Correlation, linear regression involving two variables, fitting of straight line, parabolic, and exponential curves, properties of correlation coefficient.

Simple sampling distribution and simple tests of hypothesis; Random sample. Statistics. Sampling distribution and standard error Simple application of the normal't, chi² and F distributions to testing of significance of difference of means.

Note :—Out of the two topics No. 5 Mechanics and No. 6 Statistics, the candidates will be allowed the option of answering questions on any of the two topics.

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST

In addition to the interview the candidates will be put to Intelligence Tests both verbal and non-verbal, designed to assess their basic intelligence They will also be put to Group Tests such as group discussions, group planning outdoor group tasks, and asked to give brief lectures on specified subjects All these tests are intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also his social traits and interests in current affairs.

APPENDIX II

Physical Standards for Candidates for Combined Defence Services Examination

NOTE.—CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STANDARD. THE STANDARDS OF MEDICAL FITNESS ARE GIVEN BELOW.

A NUMBSR OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. CANDIDATES ARE THEREFORE ADVISED IN THEIR OWN INTERFST TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

1. A candidate recommended by the Services Selection Board will undergo a medical examination by a Board of Service Medical Officers. Only those candidates will be admitted to the academy or school who are declared fit by the Medical Board. The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. However, the candidates declared unfit/temporarily unfit will be intimated by the President of the Medical Board and the procedure for request for an Appeal Medical Board will also be intimated to the candidate. The candidate must be physically fit according to the prescribed physical standards which are summarised below :—

(a) The candidate must be in good phvsical and mental health and free from any disease/disability which is likely to interfere with the efficient performance of duties

(b) There should be no evidence of weak constitution, bodily defects or over-weight.

(c) The minimum acceptable height is 157.5 cms (157 cms for Navy and 162.5 cms for Air Force). For Gorkhas and individuals belonging to hills of North Eastern regions of India, Garhwal and Kumaon the minimum acceptable height will be 5 cms less In case of candidates from Laccadives the minimum acceptable height can be reduced bv 2 cms. Height and weight standards are given below :—

Height & Weight Standards

Height in Centimetres (without shoes)	Weight in Kgs.		
	18 years	20 years	22 years
152	44	46	47
155	46	48	49
157	47	49	50
160	48	50	51
162	50	52	53
165	52	53	55
168	53	55	57
170	55	57	58
173	57	59	60
175	59	61	62
178	61	62	63
180	63	64	65
183	65	67	67
185	67	69	70
188	70	71	72
190	72	73	74
193	74	76	77
195	77	78	78

A+10% (± 6 Kg for Navy) departure from the average weight given in the Table above is to be considered within normal limits. However, in individuals with heavy bones and broadbuilt as well as individuals with thin but otherwise healthy this may be relaxed to some extent on merit.

(d) Chest should be well developed. The minimum range of expansion after full inspiration should be 5 cms. The measurement will be taken with a tape so adjusted that its lower edge should touch the nipple in front and the upper part of the tape should touch the lower angle of the shoulder blades behind. X-Ray of the chest is compulsory and will be taken to rule out any disease of the chest.

(e) There should be no disease of bones and joints of the body.

(f) A candidate should have no past history of mental breakdown or fits.

(g) The hearing should be normal. A candidate should be able to hear a forced whisper with each ear at a distance of 610 cms in a quiet room. There should be no evidence of present or past disease of the ear, nose and throat.

(h) There should be no signs of functional or organic disease of the heart and blood vessels. Blood pressure should be normal.

(j) The muscles of abdomen should be well developed and there should be no enlargement of liver or spleen. Any evidence of disease of internal organs of the abdomen will be a cause for rejection.

(k) Un-operated hernias will make a candidate unfit. If operated, this should have been done at least a year prior to the present examination and healing is complete.

(l) There should be no hdrocele, varicocele or piles.

(m) Urine examination will be done and any abnormality if detected will be a cause for rejection.

(n) Any disease of the skin which is likely to cause disability or disfigurement will also be a cause for rejection.

(o) A candidate should be able to read 6/6 in a distant vision chart with each eye with or without glasses (For Navy and Air Force without glasses only). Myopia should not be more than 2.5 D and hypermetropia not more than 3.5 D including Astigmatism. Internal examination of the eye will be done by means of ophthalmoscope to rule out any disease of the eye. A candidate must have good binocular vision. The colour vision standard will be CP-3. A candidate should be able to recognise red and green colours. The candidates for the Navy should have normal night vision acuity and will be required to give a certificate that neither he nor any member of his family had suffered from congenial night blindness.

(p) The candidate should have sufficient number of natural and sound teeth. A minimum of 14 dental points will be acceptable. When 32 teeth are present, the total dental points are 22. A candidate should not be suffering from severe pyorrhoea.

(q) X-Ray examination of the chest will include the lower part of cervical spine for presence of cervical ribs. X-Ray examination of other parts of spine will be taken if the SMB considers it necessary.

2. In addition to the above, the following medical standards will be applicable in respect of Air Force candidates only :—

(a) Antropmetric measurements acceptable for Air Force are as follows :—

Height . . .	162·5 cms.
Leg length : . . .	Min. 99 cms. & Max 120 cms.
Thigh Length : . .	Max 64 cms.
Sitting Height : . . .	Min. 81·5 cms. & Max. 96 cms.

(b) X-Ray Spine of all candidates is to be taken to exclude the following abnormalities :—

(i) Scoliosis of more than 7 by Cobb's method.

(ii) Spina bifida except at SV-I.

(iii) Unilateral Sacralisation of LV-5.

(iv) Scheuermann's disease : Scheuermann's nodes, spondylosis or Spondylolistheosis.

(v) Any other significant spinal disease.

(c) X-Ray Chest is compulsory.

(d) *Vision*

Distance Vision : .	6/6 6/9 Correctable to 6/6.
Near Vision : .	N-5 each eye
Colour Vision : . .	CP-I (MTL)

Manifest Hypermetropia....must not exceed 2·00 D

Ocular Muscle Balance

Hetrophoria with the Maddox Rod test must not exceed:

(i) at 6 metres . . .	Exophoria 6 prism dioptres.
	Esophoria 6 prism dioptres
	Hyperphoria 1 prism dioptres
(ii) at 33 cms	Exophoria 16 prism dioptres
	Esophoria 6 prism dioptres
	Hyperphoria 1 prism dioptres
	Myopia Nil
	Astigmatism +0·75 D only

Binocular Vision—Must possess good binocular vision (fusion and sterwopsis with good amplitude and depth)

(e) *Hearing Standards*

(i) Speech test	: Whispered hearing 610 cms each ear
(ii) Audiometric test	: Audiometric loss should not exceed +10 db in frequencies between 250 Hz and 4000 Hz

(f) Routine ECG and EEG should be within normal limits.

3. The medical standards for candidates of Naval Aviation Banch will be the same as for flying duties of Air Force.

APPENDIX III

(Brief Particulars of service etc.)

(A) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN MILITARY ACADEMY, DEHRA DUN

1. Before the Candidate joins the Indian Military academy—

(a) he will be required to sign a certificate to the effect that he fully understands that he or his legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical opperation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise;

(b) his parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that if for any reason considered within his control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay and allowances received as may be decided upon by Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training for about 18 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as 'gentlemen cadets' Gentlemen cadets will be dealt with for ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Indian Military Academy, Dehra Dun.

3. While the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves. The minimum expenses at the Indian Military Academy are not likely to exceed Rs. 55.00 per mensem. If a cadet's parent or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance may be granted by the Government No cadet whose parent or guardian has an income of Rs. 500.00 per mensem or above would be eligible for the grant of the financial assistance. The immovable property and other assets and income from all sources are also taken into account for determining the eligibility for financial assistance.

The parent/guardian of a candidate desirous of having any financial assistance, should immediately after his son/ward has been finally selected for training at the Indian Military Academy submit an application through the District Magistrate of his District who will, with his recommendation, forward the application to the Commandant, Indian Military Academy, Dehra Dun.

4. Candidates finally selected for training at the Indian Military Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival :—

(a) Pocket allowance for five months at Rs. 55.00 per month—Rs. 275.00.

(b) For items of clothing and equipment—Rs. 800.00

Total : Rs. 1075.00

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them :—

Pocket allowance for five months at Rs. 55.00 per month Rs 275.00.

5. The following scholarships are tenable at the Indian Military Academy :—

(1) PARSHURAM BHAU PATWARDHAN Scholarship —This scholarship is awarded to cadets from MAHARASHTRA AND KARNATAKA The value of one scholarship is up to the maximum of Rs 500 00 per annum for the duration of a cadet's stay at the Indian Military Academy subject to the cadet making satisfactory progress. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(2) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL Scholarship —This Scholarship is of the value of Rs. 360 00 per annum and is awarded to an eligible Maratha cadet who should be a son of ex-serviceman The Scholarship is an addition, to any financial assistance from the Government.

6 An outfit allowance at the rates and under the general conditions applicable at the time for each cadet belonging to the Indian Military Academy will be placed at the disposal of the Commandant of the Academy The unexpended portion of this allowance will be—

(a) handed over to the cadet on his being granted a Commission; or

(b) if he is not granted a commission, refunded to the state.

On being granted a commission, article of clothing and necessaries purchased from this allowance shall become the personal property of the cadet Such articles will, however, be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning The article withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

7. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training However, Gentlemen Cadets resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ. Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Indian Military Academy. A Gentleman Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may, with permission of the Government, be discharged. An Army candidate under these circumstances will be reverted to his Regiment or Corps.

8. Commission will be granted only on successful completion of training The date of commission will be that following the date of successful completion of training, Commission will be permanent.

9. Pay and allowances, pensions, leave and other conditions of service after the grant of commission will be identical with those applicable from time to time to regular officers of the army.

Training :

10. At the Indian Military Academy, Army Cadets are known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military training for a period of 18 months aimed at turning out officers capable of leading infantry sub-units. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permament Commission in the rank of 2nd Lt. subject to being medically fit in S.H.A.P.E.

11. *Terms and Conditions of Service*

(i) PAY

Rank	Pay Scale	Rank	Pay Scale
	Rs.		Rs.
2nd Lieut .	750—790	Lt. Colonel (Time scale)	1900 fixed
Leiut . .	830—950	Colonel	1950—2175
Captain . .	1100—1550	Brigadier	2200—2400
Major .	1450—1800	Maj. General	2500—125/2 2750
Lt. Colonel . (By Selection)	1750 1950	Lt. General	3000 p.m.
		Lt. General (Army Commanders)	3250 p.m.

(ii) QUALIFICATION PAY AND GRANT

Officers of the rank of Lt Col and below possessing certain prescribed qualifications are entitled to a lump sum grant of Rs. 1600/-, 2400/- 4500/- or 6000/- based on the qualifications held by them Flying Instructors (Cat. 'B') are authorised qualification pay @ Rs. 70/- p.m.

(iii) ALLOWANCES

In addition to pay, an officer at present receives the following allowances—

(a) Compensatory (city) and Dearness Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the civilian Gazetted Officers from time to time.

(b) A kit maintenance allowance of Rs. 50 p.m

(c) Expatriation Allowance is admissible when serving outside India This varies from 25% to 40% of the corresponding single rate of foreign allowance.

(d) *Separation allowance* : Married officers posted to non-family stations are entitled to receive separation allowance of Rs. 70 p.m.

(e) *Outfit Allowance* :—Initial outfit allowance is Rs. 1400/-.

A fresh outfit allowance @ Rs 1200/- is to be claimed after every seven years of the effective service commencing from the date of first commission.

(iv) POSTING

Army officers are liable to serve anywhere in India and abroad.

(v) PROMOTION

(a) *Substantive promotion*

The following are the service limits for the grant of substantive promotion to higher ranks :—

by time scale

Lt. . . . . 2 years of Commissioned Service
Capt. . . . . 6 years of Commissioned Service

Major	13 Years of Commissioned Service
Lt. Col. from Major (if not promoted by selection) .	25 years of Commissioned Service

by selection

Lt. Col. . . .	16 years of Commissioned Service
Col.	20 years of Commissioned Service
Brigadier . . .	23 years of Commissioned Service
Major Gen. . . .	25 years of Commissioned Service
Lt. Gen. . . .	28 years of Commissioned Service
Gen.	Not restriction

(b) *Acting promotion*

Officers are eligible for acting promotion to higher ranks on completion of the following minimum Service limits subject to availability of vacancies :

Captain	3 years
Major	5 years
Lt. Colonel	6-1/2 years
Colonel	8-1/2 years
Brigadier	12 years
Major General . . .	20 years
Lt. General	25 years

(B) FOR CANDIDATES JOINING THE NAVAL ACADEMY, COCHIN.

1. (a) Candidates finally selected for training at the Academy will be appointed as cadets in the Executive Branch of the Navy. They will be required to deposit the following amount with the Officer-in-Charge, Naval Academy, Cochin.

(1) Candidates not applying for government financial aid:

(i) Pocket allowance for five months @Rs 45·00 per month . .	Rs. 225·00
(ii) For items of clothing and equipment .	Rs. 460·00
Total . . .	Rs. 685·00

(2) Candidates applying for Governmental financial aid:

(i) Pocket allowance for two months @45·00 per month . . .	Rs. 90·00
(ii) For items of clothing and equipment	Rs. 460·00
Total	Rs. 550·00

(b) (i) Selected Candidates will be appointed as cadets and undergo training in Naval Ships and Establishments as under :—

(a) Cadets Training including afloat training for 6 months	1 year
(b) Midshipmen afloat Training . . .	6 months
(c) Acting Sub-Lieutenant Technical Courses	12 months
(d) Sub-lieutenants	

On completion of the above training, the officers will be appointed on board Indian Naval Ships for obtaining full Naval Watch-keeping certificate for which a minimum period of six months is essential.

(ii) The cost of training including accommodation and allied services, books, uniform, messing and medical treatment of the cadets at the Naval Academy will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets will however, be required to meet their pocket and other private expense while they are cadets. When a cadet's perent on guardian has an income less than Rs. 500 per mensem and is unable to meet wholly or partly the pocket expenses of the cadet, financial assistance up to Rs. 55 per mensem may be granted by the Government. A candidate desirous of securing financial assistance may immediately after his selection submit an application through the District Magistrate of his District, who will with his recommendations, forward the application to the Director of Personnel Service, Naval Headquarters, New Delhi :

Provided that in a case where two or more sons or wards of a parent or guardian are simultaneously undergoing training at Naval ships/establishments, financial assistance as aforesaid may be granted to all of them for the period they simultaneously undergo training, if the income of the parent or guardian does not exceed Rs. 600 p.m.

(iii) Susequent training in ships and establishments of the Indian Navy is also at the expense of the Goverment. During the fist six months of their training after leaving the Academy financial concession similar to those admissible at the Academy vide sub-para (ii) above will be extended to them. After six months of training in ships and establishments of the Indian Navy, when Cadets are promoted to the rank of Midshipman they begin to receive pay and parents are not expected to pay for any of their expenses.

(iv) In addition to the uniform provided free by the Government cadets should be in possession of some other items of clothing. In order to ensure correct pattern and uniformity these items will be made at Naval Academy and cost will be met by the parents or guardians of the cadets. Cadets applying for financial assistance may be issued with some of these items of clothing free or on loan. They may only be required to purchase certain items.

(v) During the period of training Service Cadets may receive pay and allowances of the substantive rank held by them as a sailor or as a boy or as an apprentice at the time of selection as cadets. They will also be entitled to recieve increments of pay. If any, admissible in that rank. If the pay and allowances of their substantive rank be less than the financial assistance admissible to direct cadets and provided they are eligible for such assistance they will also receive the difference between the two amounts.

(vi) No cadet will normally be permitted to resign while under training. A cadet who is not considered suitable to complete the full course at the Indian Naval Ships and establishment may, with the approval of the Government be withdrawn from training and discharged. A service cadet

under these circumstances may be reverted to his original appointment. A cadet thus discharge or reverted will not be eligible for re-admission to a subsequent course. Cases of cadets who are allowed to resign on compassionate grounds may, however, be cosidered on merits.

2. Before a candidate is selected as a cadet in the Indian Navy, his parent or guardian will be required to sign—

(a) A certificate to the effect that he fully understands that he or his son or ward shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which his son or ward may sustain in the course of or as a result of the training or whose bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) A bond to the effect that if for any reason considered within the control of the candidate, he wishes to withdraw from training or fails to accept a commission, if offered, he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of the tuition, food clothing and pay and allowances received as may be decided upon by Government.

3. *PAY AND ALLOWANCES*

(a) PAY

Rank	Pay Scale
	General Service
(1)	(2)
Midshipman	Rs. 560
Ag. Sub Lieut.	Rs. 750
Sub. Lieut.	Rs. 830—870
Lieut.	Rs. 1100—1450
Lieut Cdr.	Rs. 1450—1800
Commander (By Selection)	Rs. 1750—1950
Commander (By time Scale)	Rs. 1900 fixed
Captain	Rs. 1950—2400 (Commodore receives pay to which entitled according to seniority as Captain).
Rear Admiral	Rs. 2500—125/2—2750
Vice Admiral	Rs. 3000

(b) ALLOWANCES

In addition to pay, an officer receives the following allowances :—

(i) Compensatory (City) and dearness allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted Officers from time to time.

(ii) A kit maintenance allowance of Rs. 50 p.m.

(iii) When officers are serving outside India expatriation allowance ranging from Rs. 50 to Rs. 250 p.m. depending on rank held; is admissible.

(iv) A separation allowance of Rs. 70 p.m. is admissible to—

(i) married officers serving in non-family station; and

(ii) married officers serving on board I.N. Ships for the period during which they remain in ships away from the base ports.

(v) Free ration for the periods they remain in the ships away from the base ports.

NOTE I :—In addition certain special concessions like hard-lying money, sub-marine allowance, sub-marine pay, survey bounty, qualification pay/grant and diving pay are admissible to officers.

NOTE II :—Officers can volunteer for Service in Sub-marine or Aviation Arms. Officers slected for Service in these arms are entitled to enhanced pay and special allowances.

4. *PROMOTION*

(a) *By time scale*

Midshipmen to Ag. Sub. Lieut.	1/2 year
Ag. Sub. Lieut. to Sub Lieut	1 year
Sub. Lieut to Lieut	3 years as Ag. and confirmed Sub. Lt. (Subject to gain/forfeiture of seniority)
Lieut to Lieut Cdr.	8 years seniority as Lieut.
Lieut. Cdr. to Cdr. (if not promoted by selection)	24 years (reckonable commissioned service)

(b) *By selection*

Lieut Cdr. to Cdr.	2-8 years seniority as Lieut. Cdr.
Cdr. to Capt.	4 years seniority as Cd.

Capt. to Rear Admiral and above No service restriction.

5. POSTING

Officers are liable to serve anywhere in India and abroad.

NOTE.—Further information, if desired, may be obtained from the Director of Personnel Service Naval Headquarters, New Delhi-110011.

(C) FOR CANDIDATES JOINING THE OFFICERS' TRAINING SCHOOL, MADRAS.

1. Before the candidate joins the Officers Training School, Madras—

(a) he will be required to sign a certificate to the effect that he fully understands that he or his legal heirs shall not be enitled to claim any compensation of other relief from the Government in respect of any injury which he may sustain in the course of or as a result of the training, or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) his parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that, if for any reason considered within his control the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered or marries while under training at the Officers' Training School, he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay and allowances received as may be decided upon by the Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training at the Officers' Training School, for an approximate period of 9 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as gentlemen cadets. Gentlemen cadets will be dealt with for ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Officers' Training School.

3. While the cost of training, including accommodation books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves. The minimum expenses during pre-Commission training are not likely to exceed Rs. 55 per month but if the cadets pursue any hobbies such as photography, Shikar, hiking etc. they may require additional money. In case, however, the cadet is unable to meet wholly or partly even the minimum expenditure, financial assistance at rates which are subject to change from time to time, may be given provided the cadet and his parent/guardian have an income below Rs. 500 per month. The rate of assistance under the existing orders is Rs. 55 per month. A candidate desirous of having financial assistance should immediately after being finally selected for training submit an application on the prescribed form through the District Magistrate of his district who will forward the application to the Commandant Officers Training School, MADRAS along with his verification report.

4. Candidates finally selected for training at the Officers Training Schoool will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival :—

(a) Pocket allowance for ten months at Rs. 55·00 per month . .	Rs. 550·00
(b) For items of clothing and equipment.	Rs. 500·00
Total	Rs. 1050·00

Out of the amount mentioned above, the amount mentioned in (b) above is refundable to the Cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them.

5. Outfit allowance will be admissible under orders as may be issued from time to time.

On being granted a commission articles of clothing and necessaries purchased from this allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles, will however, be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The articles withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

6. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However Gentlemen Cadets resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Officers' Training School.

7. A Gentleman Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may with permission of Government be discharged. An Army candidate under these circumstances will be reverted to his Regiment or Corps.

8. Pay and allowances, pension, leave and other conditions of service, after the grant of commission, are given below.

9. *Training*

1. Selected candidates will be enrolled under the Army Act as Gentlemen Cadets and will undergo a course of training at the Officers Training School for an approximate period of nine months. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Short Service Commission in the rank of 2/Lt. from the date of successful completion of training.

10. *Terms and conditions of Service*

(a) *Period of probation*

An officer will be on probation for a period of 6 months from the date he receives his Commission. If he is reported on within the probationary period as unsuitable to retain his commission, it may be terminated at any time, whether before or after the expiry of the probationary period.

(b) *Posting*

Personnel granted Short Service Commissions are liable to serve anywhere in India and abroad.

(c) *Tenure of Appointment and Promotion*

Short Service Commission in the Regular Army will be granted for a period of five years. Such officers who are willing to continue to serve in the Army after the period of five years' Short Service Commission may if eligible and suitable in all respects, be considered for the grant of Permanent Commission in the last year of their Short Service Commission in accordance with the relevant rules. Those who fail to qualify for the grant of Permanent Commission during the tenure of five years, would be released on completion of the tenure of five years.

(d) *Pay and Allowances*

Officers granted Short Service Commission will receive pay and allowances as applicable to the regular officers of the Army.

Rates of pay 2/Lt. and Lieut. are :—

Rs. 750—790 p.m.

Rs. 830—950 p.m. Plus other allowances as laid down for regular officers

(e) *Leave* . For leave, these officers will be governed by rules applicable to Short Service Commission Officers as given in Chapter V of the Leave Rules for the Service Vol. I-Army. They will also be entitled to leave on passing out of the Officers Training School and before assumption of duties under the provisions of Rule 91 ibid.

(f) *Termination of Commission* : An officer granted Short Service Commission will be liable to serve for five years but his Commission may be terminated at any time by the Government of India—

(i) for misconduct or if services are found to be unsatisfactory; or

(ii) on account of medical unfitness; or

(iii) If his services are no longer required; or

(iv) if he fails to qualify in any prescribed test or course.

An officer may on giving three months notice be permitted to resign his Commission on compassionate grounds of which the Government of India will be the sole judge. An officer who is permitted to resign his Commission on compassionate grounds will not be eligible for terminal gratuity.

(g) *Pensionary benefits*

(i) These are under consideration.

(ii) SSC officers on expiry of their five years term are eligible for terminal gratuity of Rs. 5,000.00

(h) *Reserve Liability*

On being released on the expiry of five years Short Service Commission or extension thereof they will carry a reserve liability for a period of five years or up to the age of 40 years whichever is earlier.

(i) *Miscellaneous* : All other terms and conditions of Service where not at variance with the above provisions will be the same as for regular officers.

(D) FOR CANDIDATES JOINING THE AIR FORCE ACADEMY

1. *Selection.*—Recruitment to the Flying Branch (Pilots) of the IAF is carried out through two sources i.e. Direct entry through UPSC and NCC (Senior Division Air Wing).

(a) *Direct Entry.*—Selection is made through a written examination conducted by the commission twice a year normally in May and November. Successful candidates are then sent to the Air Force Selection Boards for tests and interview.

(b) *NCC Entry.*—Applications from NCC candidates are invited by Director General NCC through respective NCC units and forwarded to Air HQ. Eligible candidates are directed to report to AFSBs for tests and interview.

2. *Detailing for Training.*—Candidates recommended by the AFSBs and found medically fit by appropriate medical establishment are detailed for training strictly on the basis of merit and availability of vacancies. Separate merit lists are prepared for Direct Entry candidates through UPSC and for NCC candidates. The merit list for Direct Entry Flying (Pilot) candidates is based on the combined marks secured by the candidates in the tests conducted by the UPSC and at the AF Selection Boards. The merit list for NCC candidates is prepared on the basis of marks secured by them at AFSBs

3. *Training.*—The approximate duration of training for Flying branch (Pilots) at the Air Force Academy will be 75 weeks.

4. *Career Prospects*

After successful completion of training, the candidates pass out in the rank of Pilot Officer and become entitled to the pay and allowances of the rank. At the existing rates, Officers of the Flying Branch get approximately Rs. 1575/- p.m. which includes flying pay of Rs. 375/- p.m. Air Force officers good career prospects through it varies from branch to branch.

There are two types of promotions in the IAF i.e. grant of higher Acting rank and Substantive rank. Each higher rank carries with it extra emoluments. Depending on the number of vacancies, one has a good number of chances to get promotion to the higher Acting rank. Time-scale promotion to the rank of Squadron Leader and Wing Commander is granted after successful completion of 11 years for Flying (Pilot) branch and 24 years of service respectively. Grant of higher rank from Wing Commander and above is by selection, carried out by duly constituted promotion Boards. Promising Officers have good chances of higher promotions.

5. PAY AND ALLOWANCES

Substantive Rank	Flying Branch
	Rs.
Plt Offr.	825—865
Flg. Offr.	910—1030
Flt. Lt.	1150—1550
Sqn. Ldr.	1450—1800
Wg. Cdr.	1550—1950
Gp. Capt.	1950—2175
Air comde.	2200—2400
Air Vice Marshal	2500—2750
Air Marshal	3000/-

Dearness and Compensatory Allowance.—Officers are entitled to these allowances at the rates under condition applicable to civilian employees of Government of India.

Kit Maintenance Allowance.—Rs 50/- p.m Flying Pay; Officers of the Flying Branch are entitled to get Flying Pay at the following rates :—

Wg. Cdr. and below	Rs. 375·00 P.M.
Gp. Capt. and Air Comde	Rs. 333·33 P.M.
Air Vice Marshal and above	Rs. 300·00 P.M.

Qualification Pay.—Officers of the rank of Wing Commander and below who have completed two or more years of commissioned service are eligible for qualification pay/grant at prescribed rates in respect of certain specified qualifications. Rates of qualification pay are Rs. 70/- and 100/- and grants are Rs. 6,000/-, Rs. 4,500/-, Rs. 2,400/- and Rs. 1,600/-.

Expatriation Allowance.—Ranging from 25% to 40% (depending upon the rank held) of the Foreign Allowance admissible to a single Third Secretary/Second Secretary/First Secretary/Counsellor, serving in the country where IAF Officers are required to move as body of troop.

Separation Allowance.—Married Officers posted to Units/Formations located at non-family stations/areas notified as such by Government for this purpose, where families are not permitted to accompany them will receive separation allowance of Rs. 70/- p.m.

Outfit Allowance.—Rs. 1400/- initially (as modified from time to time) towards cost of uniform/equipment which an officer has to possess : Rs. 1,200/- for renewal after every seven years.

Camp Kit.—Free issue at the time of commissioning.

6 . *Leave and Leave Travel Concession*

Annual Leave.—60 days a year.

Casual Leave.—20 days a year, not more than 10 days at a time.

Officers and their families are entitled to free conveyance when proceeding on annual/casual leave irrespective of its duration one year after commissioning. Once in a block of two years, commencing from January, 1971 the conveyance is admissible from place of duty (unit) to home. The year in which this concession is not availed of, free conveyance for a distance of 965 kms each way is admissible for self and wife.

In addition officers of Flying Branch employed on regular flying duties in vacancies in authorised establishment are allowed, while proceeding on leave, once every year, on warrant, a free rail journey in the appropriate class upto a total distance of 1600 kms, for the forward and return journeys both inclusive

Officers when travelling on leave at their own expense are entitled to first class travel on payment of 60% of the fare for self, wife and children from unit to any place within India thrice in a calendar year. One of these may be availed of for the entire family. In addition to wife and children family includes parents, sisters and minor brothers residing with and wholly dependent upon the officers.

7. PENSIONARY BENEFITS

Retiring Rank (Substantive)	Minimum length of qualifying service	Standard rate of Retiring Pension
		Rs.
Plt offr/Fg offr	20 years	525 Pm
Flt Lt.	20 „	750 „
Sqn Ldr	22 „	875 „
Wg. Cdr (Time Scale)	26 „	925 „
Wg Cdr (Selective)	24 „	950 „
Gp Capt	26 „	1100 „
Air Comde	28 „	1175 „
Air Vice Marshal	30 „	1275 „
Air Marshal	30 „	1375 „
Air Chief Marshal	30 „	1700 „

8. *Retiring Gratuity*

Retiring gratutiy at the discretion of the President as under :—

(a) For 10 years service—Rs. 12,000/- less 1½ month's pay of rank last held.

(b) for every additional year—Rs. 1200/- less ½ month's pay of rank last held.

In addition to pension or gratuity a death-cum-retirement gratuity, equal to ¼th of emoluments for each completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 16½ times of the emoluments not exceeding Rs. 30,000/- is admissible. In case of death while in service the amount of death-cum-retirement gratuity will be as follows :—

(a) Two months pay, if death occurs in the first year of service;

(b) Six months pay, if death occurs after the first year, but before completion of five years;

(c) Minimum of 12 months pay, if death occurs after five years.

Disability pension and Special Family Pensionary award, including awards to children and dependents (parents, brothers and sisters), are also payable in accordance with the prescribed rules.

9. *Other privileges*

The Officers and their families are entitled to free medical aid, accommodation on concessional rent, group insurance scheme, group housing scheme, family assistance scheme, canteen facilities etc.

APPENDIX IV

The form of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri ———— son of Shri ———— of village/town* ———— in District/Division* ———— of the State/Union Territory* ———— belongs to the ————Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under :—

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950*

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950*

the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories Order, 1951*

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956 the Bombay Reorganisation Act 1960 the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976]

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956*

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 1976*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962*

the Constitution (Pondicherry), Scheduled Castes Order. 1964*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order 1967*

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968*

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order 1968*

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970*

the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978*

the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978*

2. Shri ———— and/or* his family ordinarily reside(s) in village/town* ———— of ———— District/Division** of the State/Union Territory* of————

Signature.....

**Designation.....

State/Union Territory*.....

(with seal of office)

Place.....

Date.....

*Please delete the words which are not applicable.

NOTE.—The term 'ordinarily reside(s)' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**Officers competent to issue Caste/Tribe Certificates :

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

†(Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer, Lakshadweep.

APPENDIX V

CANDIDATES INFORMATION MANUAL

A. OBJECTIVE TEST

Your examination will be what is called an 'OBJECTIVE TEST'. In this kind of examination (test) *you do not write answers.* For each question (hereinafter referred to as item) several suggested answers (hereinafter referred to as responses) are given. You have to choose one answer to each item.

This Manual is intended to give you some information about the examination so that you do not suffer due to unfamiliarity with the type of examination.

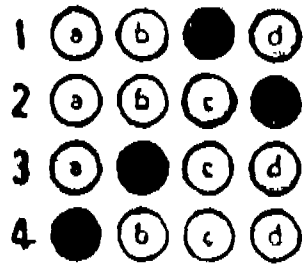
B. NATURE OF THE TEST

The question paper will be in the form of a TEST BOOKLET. The booklet will contain items bearing numbers 1, 2, 3..... etc. Under each item will be given suggsted answers marked a, b, c, d. Your task will be to choose the correct or if you think there are more than one correct, then the best answer. (See "sample items" at the end). In any case, in each item you have to select only one answer; if you select more than one, your response will be considered wrong.

C. METHOD OF ANSWERING

A separate ANSWER SHEET (a specimen copy of which will be supplied to you along with the Admission Certificate) will be provided to you in the examination hall. You have to mark your response on the answer sheet. Response marked on the Test Booklet or in any paper other than the Answer Sheet will *not* be examined.

In the Answer Sheet, number of the items from 1 to 160 have been printed in four 'Parts'. Against each item, circular spaces marked, a, b, c, d, are printed. After you have read each item in the Test Booklet and decided which of the given answer is correct or the best, you have to mark the circle containing the letter of the selected answer by blackening it completely with pencil as shown below (to indicate your response). Ink should not be used in blackening the circles on the Answer Sheet.



IT IS IMPORTANT THAT—

1. You should bring and use only good quality HB pencil(s) for answering the items.

2. To change a wrong marking, erase it *completely* and remark the new choice. For this purpose, you must bring along with you an eraser also.

3. Do not handle your Answer Sheet in such a manner as to mutilate or fold or wrinkle or spoil it.

D. SOME IMPORTANT REGULATIONS

1. You are required to enter the examination hall twenty minutes before the prescribed time for commencement of the examination and get seated immediately.

2. Nobody will be admitted to the test 30 minutes after the commencement of the test.

3. No candidate will be allowed to leave the examination hall until 45 minutes have elapsed after the commencement of the examination.

4. After finishing the examination, submit the Test Booklet and the Answer Sheet to the Invigilator/Supervisor. YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINATION HALL. YOU WILL BE SEVERELY PENALISED IF YOU VIOLATE THIS RULE.

5. You will be required to fill in some particulars on the Answer Sheet in the examination hall. You will also be required to encode some particulars on the Answer Sheet. Instructions about this will be sent to you along with your Admission Certificate.

6. You are required to read carefully all instructions given in the Test-Booklet. You may loose marks if you do not follow the instructions meticulously. If any entry in the Answer Sheet is ambiguous you will get no credit for that item response. Follow the instructions given by the Supervisor. When the Supervisor asks you to start or stop a test or part of a test, you must follow his instructions immediately.

7. Bring your Admission Certificate with you. You should also bring a HB pencil, an eraser, a pencil sharpener, and a pen containing blue or black ink. You are advised also to bring with you a clip-board or a hard-board or a card-board on which nothing should be written. You are not allowed to bring any scrap (rough) paper or scales or drawing instrument into the examination hall as they are not needed. Separate sheets for rough work will be provided to you on demand. You should write the name of the examination, your Roll No. and the date of the test on it before doing your rough work and return it to the supervisor along with your Answer Sheet at the end of the test.

E. SPECIAL INSTRUCTIONS

After you have taken your seat in the hall, the invigilator will give you the Answer Sheet. Fill up the required information on the Answer Sheet. After you have done this, the invigilator will give you the Test Booklet, on receipt of which you must ensure that it contains the booklet number, otherwise get it changed. You are not allowed to open the Test Booklet until you are asked by the Supervisor, to do so.

F. SOME USEFUL HINTS

Although the test stresses accuracy more than speed, it is important for you to use your time as efficiently as possible. Work steadily and as rapidly as you can, without becoming careless. Do not worry if you cannot answer all the questions. Do not waste time on questions which are too difficult for you. Go on to the other questions and come back to the difficult ones later.

All items carry equal marks. Attempt all of them. Your score will depend only on the number of correct responses indicated by you. There will be no negative marking.

G. CONCLUSION OF TEST

Stope writing as soon as the Supervisor asks you to stop Remain in your seat and wait till the invigilator collects al the necessary material from you and permits you to leave th Hall. You are NOT allowed to take the Test Booklet, the answer sheet and the sheet for rough work out of the examination Hall.

SAMPLE ITEMS (QUESTIONS)

(NOTE:—*denotes the correct/best answer-option)

1. (General Studies)

Bleeding of the nose and the ears is experienced at high altitudes by mountain climbers because

(a) the pressure of the blood is less than the atmospheric pressure

*(b) the pressure of the blood is more than the atmospheric pressure

(c) the blood vessels are subjected to equal pressures on the inner and outer walls

(d) the pressure of the blood fluctuates relative to the atmospheric pressure

2. (English)

(Vocabulary—Synonyms)

There was a *record* turnout of voters at the municipal elections.

(a) exactly known

(b) only those registered

(c) very large

*(d) largest so far

3. (Agriculture)

In Arhar, flower drops can be reduced by one of the measures indicated below

*(a) spraying with growth regulators

(b) planting wider apart

(c) planting in the correct season

(d) planting with close spacing

4. (Chemistry)

The anhydride of H_3VO_4 is

(a) VO_3

(b) VO_4

(c) VO_2O_3

*(d) V_2O_5

5. (Economics)

Monopolistic exploitation of labour occurs when

*(a) wage is less than marginal revenue product

(b) both wage and marginal revenue product are equal

(c) wage is more than the marginal revenue product

(d) wage is equal to marginal physical product

6. (Electrical Engineering)

A coaxial line is filled with a dielectric of relative permittivity 9. If C denotes the velocity of propagation in free space, the velocity of propagation in the line will be

(a) 3C

(b) C

*(c) C/3

(d) C/9

7. (Geology)

Plagioclase in a basalt is

(a) Oligoclase

*(b) Labradorite

(c) Albite

(d) Anorthite

8. (Mathematics)

The family of curves passing through the origin and satisfying the equation $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = r$ is given by

(a) $y=ax+b$

(b) $y=ax$

(c) $y=ae^x+be^{-x}$

*(d) $y=ae^x-a$

9. (Physics)

An ideal heat engine works between temperatures 400° K and 300° K. Its efficiency is

(a) 3/4

*(b) (4—3)/4

(c) 4/(3+4)

(d) 3/(3+4)

10. (Statistics)

The mean of a binomial variate is 5. The variance is

(a) 4^2

*(b) 3

(c) ∞

(d) —5

11. (Geography)

The Southern part of Burma is most prosperous because

(a) it has vast deposits of mineral resources

*(b) it is the deltaic part of most of the rivers of Burma

(c) it has excellent forest resources

(d) most of the oil resources are found in this part of the country

12. (Indian History)

Which of the following is NOT true of Brahmanism ?

(a) Brahmanism always claimed a very large following even in the heyday of Buddhism

(b) Brahmanism was a highly formalised and pretentious religion

*(c) With the rise of Brahmanism the Vedic sacrificial fire was relegated to the back ground

(d) Sacraments were prescribed to mark the various stages in the growth of an individual

13. (Philosophy)

Identify the atheistic group of philosophical systems in the following :

(a) Buddhism, Nyāya, Cārvāka, Mimāmsā

(b) Nyāya, Vaisesika, Jainism and Buddhims Cārvāka

(c) Advaita, Vedānta, Sāmkhya, Cārvāka Yoga

*(d) Buddhism, Sāmkhya, Mimāmsā, Cārvāka

14. (Political Science)

'Functional representation' means

*(a) election of representatives to the legislature on the basis of vocation

(b) pleading the cause of a group or a professional association

(c) election of representatives in vocational organization

(d) indirect representation through Trade Unions

15. (Psychology)

Obtaining a goal leads to

(a) increase in the need related to the goal

*(b) reduction of the drive state

(c) instrumental learning

(d) discrimination learning

16. (Sociology)

Panchayati Raj Institutions in India have brought about one of the following:

*(a) formal representation of women and weaker sections in village government

(b) untouchability has decreased

(c) land-ownership has spread to deprived classes

(d) education has spread to the masses

NOTE:—Candidates should note that the above sample items (questions) have been given merely to serve as examples and are not necessarily in keeping with the syllabus for this examination.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD 1981